खण्ड-123, अंक-2
मंगलवार, 10 चैत्र, शक संवत् 1875
(31 मार्च, 1953 ई0)

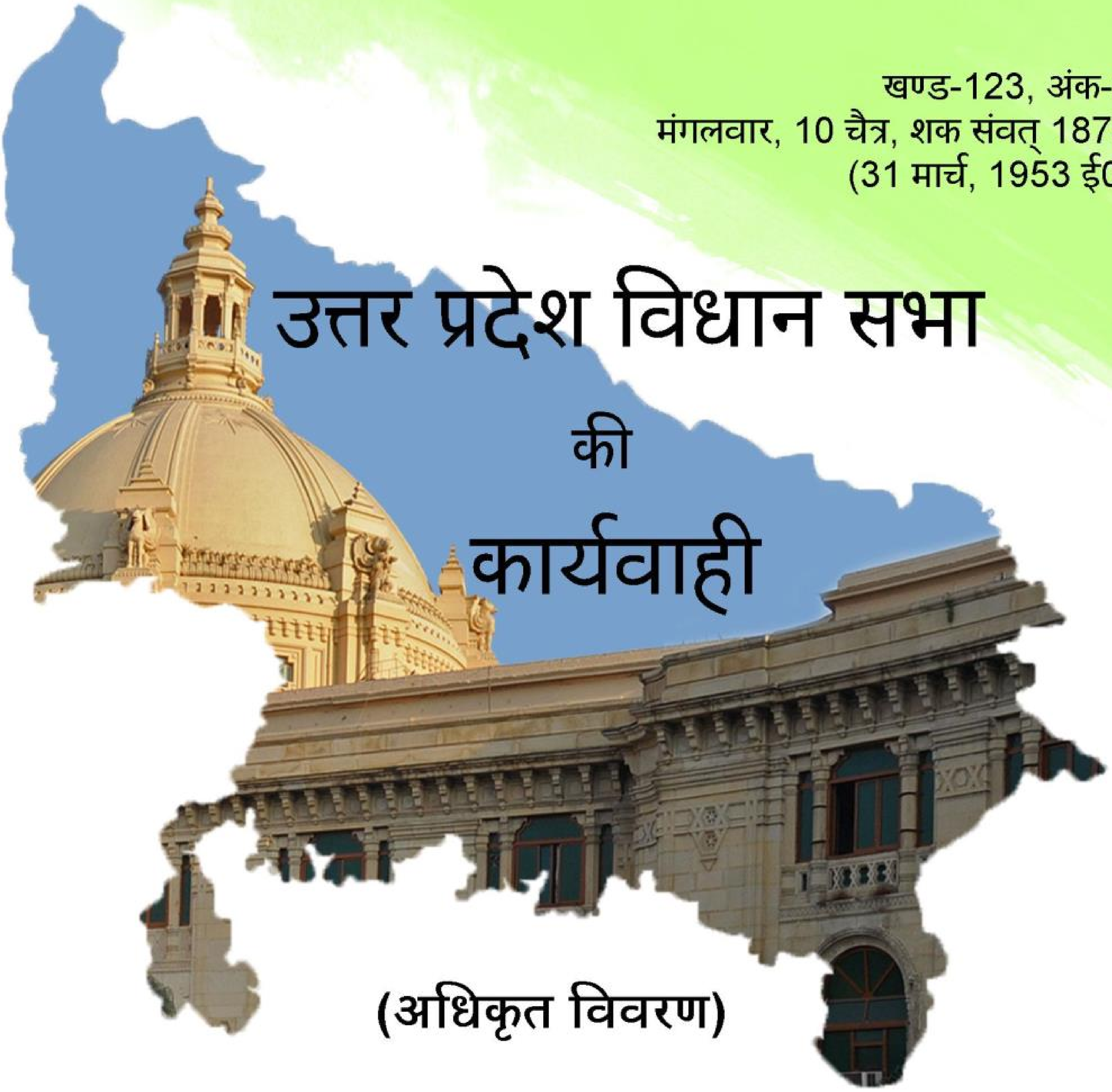

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 123 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ३१ मार्च, १९५३

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३४६)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूपसिंह, श्री
अब्दुल रऊफ़ खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फ़तसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टण्डन, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
केवलसिंह, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानुशरणसिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री

चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगनप्रसाद, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
झारखण्डे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रतापसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दलबहादुरसिंह, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवमूर्तिराम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रतापनारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ट, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीराम, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बरसिंह, श्री

बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसादसिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुज़फ़्फ़र हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनाप्रसाद, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहनसिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवधसिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलामसिंह, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसादसिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन,श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री

रामलखन, श्री
रामलाल, श्री
रामबचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दरराम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकरप्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रवर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
ब्रजभूषण मिश्र, श्री
ब्रजरानी मिश्र, श्रीमती
ब्रजवासीलाल, श्री
ब्रजविहारी मिश्र, श्री
ब्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामसनोहर मिश्र, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री

हमीद खां, श्री
हरखयालसिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्दसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

*१-२—श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—[१४ अप्रैल, १९५३ के लिए स्थगित किये गये।]

भारतीय संविधान के अनुच्छेद १८७ (३) के अधीन राज्यपाल द्वारा नियमों की स्वीकृति के सम्बन्ध में विधान सभा सचिवालय को पत्र

*३—श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद १८७ (३) के अधीन कोई पत्र विधान सचिवालय को भेजा है कि नियमों का आलेख राज्यपाल की स्वीकृति के लिये भेजा जाय? यदि हां, तो कब?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली ज़हीर)—जी हां, इस संबंध में विधान सभा सचिवालय को मई, १९५० ई० में लिखा गया था।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५० में जो लिखा गया था उसका क्या उत्तर मिला?

श्री सैयद अली जहीर—उत्तर तो नहीं मिला, सिर्फ यह है कि अभी बन नहीं सके हैं, काम हो रहा है उनके ऊपर लेकिन वह बाद को चूंकि कांस्टीट्यूशन वग़ैरह में तब्दीली होने का खयाल था, फिर एलेक्शन आ गये इसी वजह से अब तक काम नहीं हो सका।

*४—श्री भगवान सहाय—क्या गवर्नमेंट आफ़ इंडिया ऐक्ट, १९३५ की धारा २४१ के अन्तर्गत भी विधान सभा सचिवालय के लिये नियम बनाने की कोई चेष्टा की गयी थी? यदि हां, तो क्या फल हुआ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां। पर देश में वैधानिक तब्दीलियों के कारण उन नियमों को अन्तिम रूप न दिया जा सका।

कैनाल ऐण्ड ड्रेनेज ऐक्ट में संशोधन

*५—श्री श्रीचन्द (जिला मुज़फ़्फ़रनगर)—क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि केनाल ऐण्ड ड्रेनेज ऐक्ट को संशोधित किये जाने पर सरकार विचार कर रही है?

सिंचाई उपमंत्री (श्री राममूर्ति)—जी हां।

*६—श्री श्रीचन्द—क्या सरकार कृपया यह बतलायेगी कि इर्रीगेशन मैनुअल को नये सिरे से परिष्कृत करने के लिये क्या सरकार विचार कर रही है?

श्री राममूर्ति—इर्रीगेशन मैनुअल परिष्कृत की जा रही है।

श्री बलवन्तसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या सरकार ने इसके लिये कोई कमेटी बनायी है?

श्री राममूर्ति---यह तो जो डिपार्टमेंट के आफिसर्स हैं, उनके जरिये से काम हो रहा है।

श्री श्रीचन्द---क्या सरकार कैनाल ऐण्ड ड्रेनेज ऐक्ट का हिन्दी अनुवाद कराकर संशोधन और परिष्कार करायेगी?

श्री राममूर्ति---यह जो नार्दन कैनाल ऐण्ड ड्रेनेज ऐक्ट है यह बहुत पुराना है। सन् १८७३ में गवर्नमेंट आफ इंडिया के जरिये से बना था और उस वक्त लेजिस्लेचर्स वगैरह नहीं थे। बाद में वक्तन फवक्तन सरकारें अपने काम को पूरा करने के लिये सप्लीमेण्ट्री लेजिस्लेशन पास करती रहीं अभी सरकार का विचार हुआ है कि नये तरीक़े से इस ऐक्ट को बनाया जाय जिसमें उन तमाम बातों की गुंजायश रखी जायगी जिससे पंचायतों के जरिये से पानी के बटवारे इत्यादि का इंतजाम किया जायगा। दूसरे कैनाल रेट्स इकट्ठा करने में पंचायतों की मदद ली जायगी और जो काश्तकारों को दिक्क़तें होती हैं उन सब के लिये स्पष्ट कर दिया जायगा ताकि उनकी दिक्क़तें दूर हो सकें।

श्री श्रीचन्द---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह संशोधन कब तक सदन के सामने आ जायंगे?

श्री राममूर्ति---यह ऐक्ट क़रीब क़रीब तैयार हो गया है, लेकिन अभी यह कहना मुश्किल है कि लेजिस्लेचर के सामने कितनी जल्दी लाया जायगा।

श्री श्रीचन्द---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इर्रीगेशन मैनुअल का भी हिन्दी में अनुवाद किया जा रहा है?

श्री राममूर्ति---यह हिन्दी में कर दी जायगी।

*७-८---श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर) (अनुपस्थित)---[देखिये आगे पृष्ठ १०४ पर]

जिला बुलन्दशहर में पक्की सड़कों का निर्माण

*९---श्री धर्मसिंह (जिला बुलन्दशहर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९४६ के बाद बुलन्दशहर जिले में कौन कौन सी पक्की सड़कें बनायी गयीं हैं?

निर्माण उप मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)---सन् १९४६ के बाद जो बुलन्दशहर जिले में पक्की सड़कें बनायी गयी हैं उनकी एक सूची माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १७१ पर)

श्री धर्मसिंह---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इनमें से सन् ४६ से पहले भी कुछ सड़कें बनी हुई थीं?

श्री चतुर्भुज शर्मा---दो सड़कों के अलावा जो सन् ४६ के बाद बनी हैं, बाक़ी सब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की पुरानी सड़कें थीं। वे बहुत ख़राब हालत में थीं और उनका पुनर्निर्माण हुआ है।

श्री दीनदयालु शर्मा (जिला बुलन्दशहर)---ये दो सड़कें कौन-कौन सी हैं जो सन् ४६ के बाद बनी हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा---सूची में दिया हुआ है, एक खुर्जा-जेवर सड़क और दूसरी डिबाई-राजघाट सड़क हैं।

*१०—श्री धर्मसिंह—[१४ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

सितारगंज व खटिमा तहसील में आबपाशी की कठिनाई

*११—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या सरकार को मालूम है कि सितारगंज व खटिमा तहसील के काश्तकारों को आबपाशी के लिये पानी कठिनाई से मिलता है? अगर हां, तो सरकार इस कमी को दूर करने के लिये पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री राममूर्ति—तहसील सितारगंज का एक भाग बहगुल नहर प्रणाली (रुहेलखंड नहर) द्वारा सींचा जाता है। यह नहर संतोषजनक अवस्था में चलती है तथा काश्तकारों को पानी आसानी से मिलता है। इस नहर के उत्तर पश्चिम में जो दो उपनहर प्रणाली कटना व लालर नाम से प्रसिद्ध थीं कुछ वर्ष हुये क्षेत्र बंजर होने के साथ साथ जीर्ण शीर्ण हो कर टूटती गयीं। पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस वर्ष इन दोनों नहर प्रणालियों को अनुमानतः १८,००० रु० की लागत में पुनः पूर्वावस्था में लाया जा रहा है।

तहसील खटिमा की लोहिया नामक नहर प्रणाली संतोषजनक अवस्था में काम करती है। इन दोनों ही तहसीलों के अन्य क्षेत्रों में जो वर्षा होती है वही कृषि के लिये पर्याप्त है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलावेंगे कि यह बेहजुलपुर नहर प्रणाली और लोहिया नहर प्रणाली से कितने गांवों की सिंचाई होती है?

श्री राममूर्ति—इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार सितारगंज तहसील की मछलीगन नहर को भी चालू करने का इरादा रखती है जो आज तक बंजर है?

श्री राममूर्ति—अगर उस क्षेत्र को पानी की जरूरत है तो उस नहर को भी ठीक किया जायगा।

जिला गढ़वाल में सिंचाई के लिये नहर व गूल बनवाने की योजना

*१२—श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—क्या सरकार की इस साल भी गढ़वाल जिले में सिंचाई के लिये नहर व गूल बनवाने की कोई योजना है? यदि हां, तो कहां कहां?

श्री राममूर्ति—जी हां। गढ़वाल में सिंचाई के लिये जोशीमठ, पनई तथा मेठ नामक तीन नहरें बनवाने का विचार है। यदि विस्तृत भू-माप के पश्चात् उनका बनवाना संभव प्रतीत हुआ तो इसी वर्ष कार्य आरम्भ किया जायगा।

श्री चन्द्रसिंह रावत—क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि इस साल के बजट में इन गूलों के बनवाने के लिये रुपये का प्रबंध किया गया है?

श्री राममूर्ति—जी हां, है।

श्री चन्द्रसिंह रावत—इस काम को चालू करने के लिये क्या नहर के अधिकारियों को गढ़वाल में भेजा गया है?

श्री राममूर्ति—इसका सर्वे हो रहा है।

श्री चन्द्रसिंह रावत—क्या सरकार यह इत्तिला दे सकती है कि कितना रुपया इन नहरों पर खर्च करने का वह इरादा रखती है?

श्री राममूर्ति—वह तो आप के बजट में दिया गया है।

जिला गढ़वाल में जल विद्युत् निर्माण कार्य

*१३—श्री चन्द्रसिंह रावत—क्या सरकार के विचाराधीन गढ़वाल जिले के लिये कोई जल विद्युत निर्माण कार्य है? यदि हां, तो कहां के लिये ?

वित्त मन्त्री (श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम)—निम्नलिखित हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीमों की जांच गढ़वाल जिले में बिजली पैदा करने के लिये की गयी थी और उनके सामने दिखलायी गयी रक़म उन स्कीमों की जांच पर ख़र्च की गयी—

		रु०
१—इलेक्ट्रीफिकेशन श्रीबद्रीनाथपुरी	..	१५,०००
२—खोह नदी प्रोजेक्ट	..	२१,३४१
३—नयार नदी प्रोजेक्ट	..	१६,६०,५६२
४—रामगंगा नदी प्रोजेक्ट	..	५,३२,५८०
५—गेंठी छड़ा स्कीम	..	२,०००
६—मलिन इलेक्ट्रिक स्कीम	..	६,९०५
७—भागीरथी	..	२,११८
८—पिंडर नदी प्रोजेक्ट	..	१३,१८०

अब भी जांच हो रही है कि मुनासिब जगह मिल जाये जहां किफायत से बिजली पैदा की जा सकेगी।

श्री चन्द्रसिंहरावत—क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि जो जांच जारी है वह किस प्रकार की जांच जारी है और कौन आफिसर उसको कर रहे हैं ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—यह जो स्कीम्स मैंने बतलायी हैं यह तो जांच शुदा स्कीम्स ही हैं। बाक़ी जो आफिसर्स हैं वह वक्तन फवक्तन जाते रहते हैं।

श्री चन्द्रसिंह रावत—क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि गेंठीछड़ा जल प्रपात एक ऐसी योजना है जो आधे रुपये पर बन सकती है ?

श्री अध्यक्ष—इसमें इसका नाम है।

श्री चन्द्रसिंह रावत—जी हां।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—गेंठीछड़ा के इंवेस्टीगेशन पर दो हज़ार रुपये ख़र्च हुआ है। यह तो डिटेल्ड एस्टीमेट से मालूम होगा कि वहां बिजली सस्ती मिल सकती है।

श्री चन्द्रसिंह रावत—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बजट में सरकार ने इसके फरदर इंवेस्टीगेशंस के लिये रुपया रखा है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—प्रोजेक्ट्स में इस किस्म के कामों के लिये अलग अलग स्कीम्स के नाम से तो रुपया नहीं रखा जाता है, लेकिन जहां तक मुझे याद है करीब ४ लाख रुपया बजट में इन कामों के लिये रखा गया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन स्कीमों को तैयार हुये कितने दिन हो चुके हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—तैयार तो कोई भी नहीं है। यह तैयार स्कीम्स नहीं हैं। यह तो इंवेस्टीगेशन की बात बतलाई है।

श्री बलवंतसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गढ़वाल की इस स्कीम से सूबे के और भागों को भी लाभ पहुंचेगा ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी हां। मस्लन नायर डैम है, जिस वक्त वह बन जायगा तो सूबे के वैस्टर्न पार्ट्स को बहुत बड़ा नफा पहुंचेगा।

काशी में गंगा के घाटों की खराब दशा तथा उनकी मरम्मत

*१४—श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—क्या सरकार को पता है कि काशी के गंगा के घाटों की दशा खराब होती जा रही है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां।

*१५—श्री रामनरेश शुक्ल—क्या इन घाटों को सुरक्षित रखने तथा उन्हें फिर से बनवाने के लिये सरकार सोच रही है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इस प्रश्न पर विचार हो रहा है और संबंधित संस्थाओं से बात चल रही है।

श्री रामनरेश शुक्ल—क्या शासन कृपा करके बतायेगा कि काशी को भारत की जनता अपना संस्कृति का प्रतीक मानती है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, इसकी सूचना तो हर एक को है, सरकार को भी है।

श्री रामनरेश शुक्ल—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि वह किन किन संस्थाओं से बातचीत कर रही है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—म्युनिसिपल बोर्ड, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, बनारस और गवर्नमेंट आफ इंडिया।

श्री रामनरेश शुक्ल—क्या सरकार यह घाट बनाने की योजना पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने पर विचार कर रही है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं, यह पंचवर्षीय योजना से अलग चीज होगी।

श्री ब्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार को ज्ञात है कि गंगाजी काशी के घाटों को छोड़ रही हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा—कहीं कहीं छोड़ रही हैं।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इन घाटों की मरम्मत करने में कितना रुपया खर्च होगा?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सब घाटों को अगर बनाया जाय तो ५ करोड़ रुपया लगेगा।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी और डेवलेपमेंट प्रोजेक्ट्स के बनने तक इस स्कीम को स्थगित करने की बात पर विचार करेंगे?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं। इस पर भी विचार होगा और डेवलेपमेंट स्कीम तो चल ही रही है।

श्री बद्रीनारायण मिश्र (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि अस्सी के पास जो घाट है उसके गिर जाने से बहुत खतरा पैदा हो गया है जिससे आने जाने वाले यात्रियों को बहुत कठिनाई हो रही है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—कोई खासतौर से रिपोर्ट अस्सी घाट की नहीं है।

श्री रामनरेश शुक्ल—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि किस इंजीनियर को इन घाटों को देखने के लिये भेजा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—बनारस के इंजीनियर ने आलरेडी सब घाटों को देख लिया है।

गोरखपुर की दुर्दशाग्रस्त सड़कों का सुधार

*१६—श्री रामप्रसादसिंह (जिला गोरखपुर)—क्या उपनिर्माण मंत्री गोरखपुर की जिन दुर्दशाग्रस्त सड़कों को देख आये हैं सरकार उन्हें बनवाने का कोई प्रबंध निकट भविष्य में करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जिन सड़कों को उपनिर्माण मंत्री ने दुर्दशाग्रस्त देखा था वह सड़कें जिला बोर्ड की हैं और उनके सुधार का भार जिला बोर्ड्स का है।

श्री रामप्रसादसिंह—क्या गोरखपुर से महाराजगंज जाने वाली सड़क भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जो सड़कें खराब हालत में हैं वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की थीं जो मैंने देखीं और जिन पी० डब्लू० डी० की सड़कों पर मैं गया उनकी हालत खराब नहीं थी।

श्री रामप्रसादसिंह—क्या इनमें बहुत सी सड़कें पहले पी० डब्लू० डी० के अधीन थीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—केवल एक सड़क कौडीराम गोला बाजार पी० डब्लू० डी० की थी जो दुरुस्त करके डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दे दी गयी थी बाकी जो सड़कें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास हैं उनकी हालत ज्यादा खराब है।

*१७-१८—श्री राजारामशर्मा (जिला बस्ती)—[२० अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

लखनऊ डिवीजन में पी० डब्ल्यू० डी० के वर्क-चार्जों की जगहों की समाप्ति

*१९—श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)—क्या यह सही है कि लखनऊ डिवीजन के पी० डब्लू० डी० के समस्त कार्यालयों से वर्क-चार्जों की जगह खत्म कर दी गयी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां।

*२०—श्री गुप्तारसिंह—क्या यह सही है कि रायबरेली जिला में पी० डब्लू० डी० कार्यालय में अब भी लोग वर्क-चार्ज की जगह पर काम करते हैं और वेतन किसी दूसरी पोस्ट से पाते हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं।

*२१-२२—श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—[२५ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

जिला जौनपुर में सिकरारा से वरईपार तक सड़क को पक्की करना

*२३—श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह जिला जौनपुर में सिकरारा से वरईपार तक की सड़क को पक्की करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो यह सड़क कब तक पक्की हो जायगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन इस समय नहीं है।

श्री नागेश्वर द्विवेदी—क्या यह सही है कि इन सड़कों पर मिट्टी डालने का काम चालू है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ऐसी कोई इत्तिला मेरे पास नहीं है।

*२४-२५—श्री राजवंशी राय (जिला देवरिया)—[२१ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किये गये ।]

आजमगढ़ जिले में सड़कों की मरम्मत

*२६—श्री ब्रजविहारी मिश्र—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में किन-किन कच्ची सड़कों को सरकार ने जिला बोर्ड को वापस कर दिया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इन सड़कों के नाम माननीय सदस्य की मेज पर रखी हुई तालिका में दिये हुये हैं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १७२ पर)

*२७—श्री ब्रजविहारी मिश्र—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन सड़कों के रख-रखाव के लिये वह कुछ विशेष धन उक्त बोर्ड को देने जा रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इन सड़कों के रख-रखाव के लिये बोर्ड को २०,००० रुपये का अनुदान दे दिया गया है।

श्री ब्रजविहारी मिश्र—क्या सरकार इन सड़कों पर पड़े हुये ह्यूम पाइप्स को जिला बोर्ड को देने का विचार कर रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ये ह्यूम पाइप्स जिला बोर्ड को दाम लेकर दिये जा सकते हैं। इस पर विचार हो रहा है।

श्री ब्रजविहारी मिश्र—क्या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आजमगढ़ के पास से कोई ऐसा पत्र आया था कि यह ह्यूम पाइप्स उनको मुफ्त दे दिये जायं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, ऐसा पत्र आया था और उसका जवाब भी दे दिया गया है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन सड़कों को सरकार ने वापस किया है उन पर कितना रुपया खर्च किया जा चुका है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या सरकार यह बतायेगी कि जो ह्यूम पाइप्स वहां पर पड़े हुये हैं क्या वे जिले के कार्यालय पर नहीं मंगाये जायेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--अगर जिला बोर्ड उन्हें नहीं लेगा तो वह वापस कर लिये जायेंगे।

श्री ब्रजविहारी मिश्र--क्या सरकार ने जो यह रकम इस वर्ष दी है वह प्रति वर्ष देगी या केवल इस वर्ष के लिये है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---यह जिस वर्ष के लिये है उसी वर्ष की है।

*२८---श्री पुत्तूलाल (जिला आगरा) (अनुपस्थित)---[देखिये आगे पृष्ठ १०६ पर]

*२९-३१---श्री राजाराम किसान (जिला प्रतापगढ़)---[१४ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

*३२---श्री बद्रीनारायण मिश्र--[१ अप्रैल, १९५३ के लिये संख्या २१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*३३-३४---श्री बद्रीनारायण मिश्र---[२१ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

*३५-३६---श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल) (अनुपस्थित)---[देखिये आगे पृष्ठ १०६-१०७ पर]

फर्रुखाबाद जिले में नयी सड़कों का निर्माण

*३७---श्री चिरंजीलाल पालीवाल (जिला फर्रुखाबाद)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले में सड़कों के पहले दौर में कौन-कौन सड़कें पक्की व कच्ची बनाये जाने के लिये ली गई हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---माननीय सदस्य की मेज पर एक तालिका रख दी गई है जिसमें यह सूचना दी है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १७३ पर)

*३८---श्री चिरंजीलाल पालीवाल---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इनमें से कितनी पूरी हो चुकी हैं और कितने पर अभी काम बाकी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---माननीय सदस्य की मेज पर रखी हुई तालिका में यह भी सूचना दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १७३ पर)

श्री चिरंजीलाल पालीवाल--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि तालिका में दी हुई सड़कों में से किस किस पर मिट्टी डालने का काम पूरा हो चुका है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---यह सूची जो दी हुई है उसमें दिया हुआ है। किसी पर कम हुआ है, किसी पर ज्यादा हुआ है। जो सूची में लिखा हुआ है सिर्फ उन्हीं सड़कों पर काम हुआ है।

श्री चिरंजीलाल पालीवाल---क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि मुंडेरवा छटिया से जिले की हद तक जो कच्ची सड़क बनी है उसमें पुलों का निर्माण नहीं हो सका है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---हो सकता है। अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री चिरंजीलाल पालीवाल---क्या माननीय मंत्री जी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को यह आदेश करने की कृपा करेंगे कि सरकार से मिला हुआ रुपया इन सड़कों की पुलियों के निर्माण में व्यय हो ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---यह तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के डिस्क्रिशन पर है। उनको ग्रांट दिया जाता है जिसे वे खर्च करते हैं।

श्री मथुराप्रसाद त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मौजूदा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की आर्थिक परिस्थिति में इन सड़कों के रख-रखाव के लिये सरकार उनको कुछ देने को सोच रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---हर साल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को ग्रांट इसी खयाल से दी जाती है कि वे सड़कों पर भी खर्च करेंगे।

भाटपार, ज़िला देवरिया में गंडक पर पुल की आवश्यकता

*३९---श्री सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी (ज़िला देवरिया)---क्या सरकार को यह मालूम है कि देवरिया जिला के अन्तर्गत बिहार की सरहद पर भाटपार एक ऐसा क्षेत्र है जो एक छोटी सी नदी गंडक पर पुल न होने के कारण जिले के और हिस्सों से बिल्कुल अलग रहता है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जी नहीं, भाटपार रेल द्वारा बरहज, सलेमपुर इत्यादि से मिला हुआ है और इसके अतिरिक्त सड़क से भी गंडक नदी को फेरी द्वारा सदा ही पार किया जा सकता है।

श्री सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि फेरी द्वारा रास्ता तय करने में कितना समय लगता है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---यह तो सही नहीं कहा जा सकता है। माननीय सदस्य ही ज्यादा जानते होंगे। थोड़ा सा समय लगता होगा।

श्री गेंदासिंह (ज़िला देवरिया)---क्या माननीय निर्माण मंत्री जी को इसका पता है कि इस पुल के न होने से सलेमपुर तहसील की अधिकांश जनता को यातायात की भारी कठिनाई होती है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---हो सकता है कि कुछ लोगों को कठिनाई हो।

*४०---श्री सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी---क्या सरकार उस क्षेत्र को विकसित करने के लिये गंडक नदी पर पुल बनवायेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---गंडक नदी पर पक्का पुल बनवाने की कोई योजना इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

सर्गीखेत से पहाड़पानी तक सड़क बनवाने के लिये सर्वे

*४१---श्री खुशीराम (ज़िला अल्मोड़ा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सर्गीखेत से सुन्दरखाल मानाघेर, चौरलिख पहाड़पानी, जिला नैनीताल तक जो नापजोख (सर्वे) हो रही है उससे आगे मोतिया पाथर तक नापजोख (सर्वे) होगी या इससे भी आगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जी हां, पहाड़पानी के आगे भी नापजोख (सर्वे) की जा सकती है यदि जनता अपने श्रमदान से सड़क बनाने के लिये तैयार हो।

श्री खुशीराम---क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जनता श्रमदान के लिये तैयार हो तो सरकार वहां किस तरह की मदद देने के लिये तैयार है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---सरकार उनका सर्वे कर देगी, टेक्निकल एडवाइस देगी और पी० डब्लू० डी० के कर्मचारियों से जो सहायता हो सकती है उनका काम कराने में वह दी जायेगी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सर्गीखेत से सुन्दरखाल तक सड़क बनाने का विचार कर रहे हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---पंचवर्षीय योजना में तो यह है नहीं ।

हरदुआगंज पावर स्टेशन पर व्यय

*४२---श्री मलखानसिंह (जिला अलीगढ़)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरदुआगंज पावर स्टेशन की पक्की ईंटों की फेंसिंग के लिये कितने रुपये का तखमीना हुआ था और वास्तव में कितना खर्च हुआ ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---फेंसिंग (fencing) का तखमीना २८,५०० रुपये का था ईंटों के बजाय लोहे के जंगले (Summer Villa fencing) जो कि disposal से खरीदे गये थे इस फेंसिंग में लगाये गये हैं । Accountant General के जरिये जांच हुये असल खर्च की सूचना अभी प्राप्त नहीं है ।

श्री मलखानसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि फेंसिंग के लिये जो सामान डिस्पोजल का खरीदा गया यह कितनी कीमत का खरीदा गया ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---उसकी कीमत ठीक इसलिये नहीं बतलायी जा सकती क्योंकि जवाब में कहा गया कि ए० जी० के यहां वह सब मामला है । वह जो कीमत मुकर्रर कर देंगे, वह दी जायगी । करीब २८ हजार का तखमीना है ।

श्री मलखानसिंह---जवाब में यह कहा गया है कि ए०जी० के जरिये जांच होगी, असल खर्चे की सूचना प्राप्त नहीं हुई है । मैं माननीय मंत्री जी से मालूम करना चाहूंगा कि हरदुआगंज पावर स्टेशन को बनाने के लिये हिसाब के रजिस्टरों में कितना रुपया दिखाया गया ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मैंने बतला दिया कि २८ हजार रुपये का तखमीना है ।

श्री मलखानसिंह---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ए० जी० के यहां से जांच हो कर कब तक आ जायगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मुख्तलिफ कामों में मुख्तलिफ वक्त उनके यहां लगता है । मैं कह नहीं सकता कि वह इस काम में कितना वक्त लेंगे ।

*४३---श्री मलखान सिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरदुआगंज पावर हाउस की १९४५ ई० में आरम्भिक विद्युत शक्ति क्या थी और उस समय जितने बायलर थे, वे कितने किलोवाट के थे और टरबाइन्स कितने किलोवाट के थे ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---सन् १९४५ में हरदुआगंज स्टीम स्टेशन की (installed capacity) १०,००० K. W. की थी । उस वक्त १०,००० K.W. का

एक टरबाइन था और ६ ब्वायलर थे जिन से ८,५०० K. W. बिजली पैदा की जा सकती थी ।

श्री मलखानसिंह—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ये ब्वायलर्स कहां से कितनी कीमत में खरीद गये ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—यह तो सन् ४५ की खरीद है। मेरे पास उनकी कीमत इस वक्त यहां नहीं है।

श्री मलखानसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो ब्वायलर्स खरीदे गये थे उनका ९० फीसदी हिस्सा नया लगाया गया है जिनकी कीमत पुराने खरीदे हुये ब्वायलर्स से कहीं अधिक है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मैं उस जमाने के हिसाब को देखे बगैर नहीं बता सकता । उस जमाने की किसी फाइल में यह सब होगा मैंने वे फाइल्स देखी नहीं हैं ।

*४४—श्री शिवपूजन राय (जिला गाजीपुर)—[२१ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किया गया ।]

*४५—श्री झारखण्डे राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—[देखिये आगे पृष्ठ १०७ पर]

विभिन्न विभागों की रिपोर्ट और कार्य विवरण को विधान सभा के सदस्यों के पास भेजने की व्यवस्था

*४६—श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या सरकार को विदित है कि विभिन्न विभागों की रिपोर्ट और कार्य विवरण विधान सभा के सदस्यों में उसी समय वितरित की जाती है जब कि बजट पर चर्चा शुरू होने वाली होती है ? क्या सरकार उनको कम से कम दो सप्ताह पूर्व सदस्यों के पास भेजने की व्यवस्था करेगी ?

श्री सैयद अली जहीर—सरकार यह समझती है कि विभिन्न विभागों की रिपोर्ट और कार्य विवरण विधान सभा के सदस्यों में आमतौर से बजट पर चर्चा शुरू होने से काफी समय पहले वितरित हो जाते हैं। संभव है अनिवार्य कारणवश कुछ रिपोर्ट और विवरण समय पर वितरित न हो सके हों। सरकार प्रयत्न करेगी कि ऐसी रिपोर्ट और कार्य विवरण यथासंभव बजट पर चर्चा शुरू होने के कम से कम दो सप्ताह पूर्व सदस्यों के पास पहुंच जायं ।

श्री श्रीचन्द—क्या सरकार को ज्ञात है कि पशु पालन तथा मत्स्य विभाग से संबंधित रिपोर्ट अभी तक माननीय सदस्यों को नहीं दी गई है ?

श्री सैयद अली जहीर—इस की मुझे कोई इत्तिला नहीं है, मैं दरयाफ्त करूंगा क्या वजह है देर क्यों हुई ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि बहुत सी रिपोर्ट्स उस समय बांटी जाती हैं जब कि बजट पर विवाद हो चुकता है ?

श्री सैयद अली जहीर—ऐसा अमूमन तो नहीं होता है, लेकिन जैसा कि पहले जवाब में कहा गया बाज वक्त किसी खास वजह से देर हो जाती है।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इस विलम्ब होने का क्या कारण है ?

श्री सैयद अली जहीर---इसका कोई खास कारण नहीं है, बाज वक्त इसलिये देर में पहुंचती है और इसी वजह से रिपोर्ट तैयार होने में और छपने में देर हो जाती है।

श्री रामनरेश शुक्ल---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हम लोगों को रिपोर्ट्स क्यों दी जाती हैं ?

श्री सैयद अली जहीर---वजह यह है कि बाज वक्त अगर एक भाषा में हो तो उस को अच्छी तरह से समझ नहीं सकते हैं। इसलिये जरूरत समझी जाती है कि दोनों भाषाओं में हो।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि रिपोर्टों को छापने में देर इसलिये होती है क्योंकि उसमें इस साल से बहुत सुन्दर आर्ट पेपर इस्तेमाल होने लगा है ?

श्री सैयद अली जहीर---मुझे नहीं मालूम। कभी-कभी आर्ट पेपर इस्तेमाल होता है। लेकिन सब में तो नहीं होता, जहां तक मैं जानता हूं।

श्री श्रीचन्द---क्या सरकार इन रिपोर्टों को मामूली कागज पर छपवाने पर विचार करेगी ?

श्री सैयद अली जहीर---इसके लिये कोई रूल नहीं बन सकता। लेकिन जहां तक किफायत का खयाल हो सकता है, रखा जायगा।

* * * *

रामपुर के आनरेरी मैजिस्ट्रेटों का अवधिकाल

*७---श्री कृष्णशरण आर्य (अनुपस्थित)---क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर के वर्तमान आनरेरी मैजिस्ट्रेटों का अवधिकाल पृथक पृथक किस किस दिनांक तक है ?

श्री सैयद अली जहीर---रामपुर जिले के निम्नलिखित आनरेरी मैजिस्ट्रेटों का अवधिकाल उनके नाम के सम्मुख लिखित दिनांक तक है---

१-श्री ए० ए० किदवई	...	२८ फरवरी, १९५५ ई०
२-श्री लक्ष्मी नारायण	...	२८ फरवरी, १९५५ ई०
३-श्री बकायुल हक़	...	२८ फरवरी, १९५५ ई०
४-श्री हिदायत अली खां	...	२८ फरवरी, १९५५ ई०
५-श्री अहमद रजा खां	...	२८ फरवरी, १९५५ ई०
६-श्री बी० एल० गुप्ता	...	३१ दिसम्बर, १९५३ ई०
७-श्री असद अली खां	...	३१ मार्च, १९५३ ई०

रामपुर की आनरेरी अदालतों में हिन्दी में कार्य न होना

*८---श्री कृष्णशरण आर्य (अनुपस्थित)---क्या यह सही है कि रामपुर की आनरेरी अदालतों में अधिकांश कार्य राज्य भाषा में नहीं होता है ?

श्री सैयद अली जहीर---रामपुर जिले में आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की अदालतों का कार्य कुछ भाग अंग्रेजी में, थोड़ा हिन्दी में और ज्यादातर उर्दू में होता है।

श्री रामनरेश शुक्ल---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो रामपुर की अदालतों में उर्दू चल रही है उसके लिये सरकार ने अनुमति दी है ?

तोड---तारांकित प्रश्न ७-८ श्री रणंजयसिंह ने पूछे।

श्री सैयद अली ज़हीर—जी नहीं, यह तो नहीं है। वह तो चली आती है। तारीखी है। वहां के कलेक्टर से जब पूछा गया था तो उन्होंने यह बताया कि उसी के वजह से वह काम चला आ रहा है और चूंकि वे लोग काम आसानी से उर्दू में करते हैं इसलिये काम उर्दू में हुआ है लेकिन उन्होंने अहकाम जारी कर दिये हैं कि काम हिन्दी में हो।

श्री रामनरेश शुक्ल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसको कुछ सूचना मिली है कि कुछ प्रगति हिन्दी में काम करने की हुई या नहीं?

श्री सैयद अली ज़हीर —यह तो जो उनका २६ मार्च का खत आया है उससे मैंने जवाब दिया। लेकिन यह पता नहीं है कि इसमें कितनी प्रगति हुई है।

श्री ब्रजविहारी मिश्र—क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि उन आनरेरी मैजिस्ट्रेटों को राज्यभाषा का ज्ञान है?

श्री सैयद अली ज़हीर—यह तो वहां पर जाहिर है ही कि जहां तक हो सके ऐसे लोगों को हिन्दी का थोड़ा बहुत जिनको ज्ञान हो उनको चुना जाय।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि कितने रोज के बाद रामपुर में भी हिन्दी में कार्यवाही होने लगेगी?

श्री सैयद अली ज़हीर—इसका अन्दाजा तो अभी नहीं किया जा सकता लेकिन खयाल यह है कि बहुत थोड़े जमाने में हो जायगा।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि रामपुर के आनरेरी मैजिस्ट्रेटों को पहले इस तरह का आदेश दिया गया था कि काम हिन्दी में करें?

श्री सैयद अली ज़हीर—जी हां, यह तो मैंने बतलाया कि वहां यह आदेश जारी कर दिये गये हैं कि वे लोग काम हिन्दी में करें।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या यह सही है कि आदेश देने के बाद भी काम अधिकतर उर्दू में किया गया है?

श्री सैयद अली ज़हीर—नहीं, उन्होंने यह खुद लिखा है कि इसकी वजह यह है कि जो गुजिश्ता तरीका है उसकी वजह से उनकी आदत हो गई है और दूसरी वजह यह है कि उनको काफी काम करना होता है और अगर वह हिन्दी में काम करेंगे तो बहुत ज्यादा देर होगी? इसलिये वे उर्दू में काम करते हैं ताकि जल्दी फैसला हो।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय न्याय मंत्री जी गे बतलाने की कृपा करेंगे कि आनरेरी मैजिस्ट्रेटी की प्रथा को खत्म करने पर सरकार विचार कर रही है?

श्री सैयद अली ज़हीर—इस वक्त तो कोई ऐसा ख्याल नहीं है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना (जिला इलाहाबाद)—क्या माननीय न्याय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश महोदय का जो पत्र उनके पास इस संबंध में आया है वह अंग्रेजी में है या हिन्दी में?

श्री सैयद अली ज़हीर—वह खत अंग्रेजी में है।

श्री बलवन्तसिंह—क्या सरकार ने इन आनरेरी मैजिस्ट्रेटों के पास कोई सूचना भेजी है कि इस समय तक उनको काम हिन्दी में कर लेना पड़ेगा?

श्री सैयद अली ज़हीर—मेरे पास जो इत्तिला थी वह मैंने पढ़ कर सुना दी कि उनको यह हुक्म गया है कि वह अपना काम हिन्दी में करें।

* * * * *

कुटीर उद्योग-धंधों को बिक्री कर से मुक्त करने का प्रश्न

*२८—श्री पुत्तूलाल (अनुपस्थित)—क्या यह सच है कि कुटीर उद्योग-धंधों को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार ने बिक्री-कर से कुटीर उद्योग करने वालों को मुक्त कर रखा है ?

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम—यह आम फैसला कर देना ठीक नहीं हो सकता है कि हर काटेज इंडस्ट्री सेल्स टैक्स से एक्जेम्प्ट (Exempt) रहे। सही ढंग यह हो सकता है कि जो चीज बनती है वह क्या है। उस पर विचार करके राय निश्चय होना चाहिये कि बिक्री कर लगाया जाये या नहीं।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कुटीर उद्योग धंधों से जो सेल्स टैक्स वसूल होता है वह कितना रुपया वसूल होता है ?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम—यह तो इस वक्त मैं नहीं बतला सकता।

श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ के ताला उद्योग पर सेल्स टैक्स लगने के कारण वहां मजदूर लोग काम बन्द कर रहे हैं ?

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम—जी नहीं, मुझे यह मालूम नहीं है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कुटीर उद्योग से बिक्री कर के द्वारा प्रदेश की सरकार को कितनी आमदनी होती है ?

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम—इसका जवाब तो मैंने दे दिया कि मेरे पास उसके फीगर नहीं हैं।

श्री शिवकुमार शर्मा—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कुटीर उद्योग द्वारा बनने वाली कुछ चीजें आज तक बिक्री कर से मुक्त हैं या अगर कर लगा हुआ है तो वह नाममात्र है ?

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम—जी हां, यही बात है। जैसा कि मैंने बतलाया कि हर इंडस्ट्री को देखकर यह फैसला किया जाता है कि उसके मुताल्लिक क्या होना चाहिये।

* * * * *

जिला गढ़वाल में पीपल कोटि-गुलाब कोटि सड़क पर एकत्रित लोहे के रस्से

*३५—श्री गंगाधर मैठाणी (अनुपस्थित)—क्या सरकार को मालूम है कि जिला गढ़वाल के पीपलकोटि व मठ चटियों में पी० डब्लू० डी० के कुछ लोहे के रस्से (Cables) पड़े हुये हैं ? यदि हां, तो कब से और कहां से ये रस्से किस काम के लिये वहां तक पहुंचाये गये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, सन् १९५० ई० में यह रस्से रिजर्व स्टाक से पीपलकोटि गुलाबकोटि सड़क के सत्रहवें मील के लिये भेजे गये थे।

नोट—तारांकित प्रश्न २८ श्री हरदयालसिंह पिपल ने पूछा।

नोट—तारांकित प्रश्न ३५-३६ श्री नारायणदत्त तिवारी ने पूछे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह रस्से पीपलकोटि व मठ चट्टियों में १७वें मील पर किस वास्ते भेजे गये थे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—एक वहां पर झूला बनने को था उसके लिये भेजे गये थे ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सभी रस्से १७वें मील पर पहुंच गये हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री यह बतलायेंगे कि यह सन् १९५० से अभी तक वहां पर क्यों नहीं पहुंचे और अगर पहुंच गये हैं तो अभी तक कितने पर हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह एक टैम्पोरेरी काम था । वह काम बन्द हो जाने पर यह वापस कर लिये जायेंगे और यह चमोली के करीब-करीब आसपास ही था ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—इन सब रस्सों के उस स्थान पर पहुंचाने के लिये जहां पर कि वह आजकल हैं सरकार का कुल कितना खर्च हुआ ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसके मुताल्लिक कोई सूचना हमारे पास नहीं है ।

*३६—श्री गंगाधर मैठाणी (अनुपस्थित)—क्या सरकार ने इन रस्सों को पहुंचाने के लिये टेन्डर दिया था ? यदि हां, तो कितने रुपये पर और किन-किन शर्तों पर ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं । यह काम पीस वर्क ऐग्रीमेंट पर दिया गया था । इसमें रेट के अतिरिक्त और कोई शर्त नहीं होती है । इन रस्सों की ढुलाई १ रु० ६ आना फी मील फी मन के हिसाब से दी गई थी ।

* * * * *

चन्द्रप्रभा बांध पर क़ैदी मजदूरों की मजदूरी

*४५—श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि चन्द्रप्रभा बांध पर कैदी मजदूरों को २३ रु० फी हजार घनफुट के हिसाब से और दूसरे मजदूरों को १६ रुपये फी हजार घनफुट के हिसाब से मजदूरी क्यों दी जाती है ?

श्री राममूर्ति—चन्द्रप्रभा बांध पर कैदी मजदूरों को २० रु० फी हजार घनफुट और ठेकेदार को १६ रुपये फी हजार घनफुट के हिसाब से मजदूरी दी जाती है । जेल के मजदूर दूसरे मजदूरों की अपेक्षा मिट्टी फैलाने तथा ढीला तोड़ने का काम अच्छा करते हैं क्योंकि उनका काम जेल विभाग के कर्मचारियों के निरीक्षण में होता है । दूसरे मजदूरों की संख्या घटती बढ़ती रहती है जिसके कारण काम में गड़बड़ी पड़ती है । दूसरे मजदूरों को ५ फीट से अधिक ऊंचाई पर मिट्टी उठाने के लिये अतिरिक्त मजदूरी दी जाती है लेकिन कैदी मजदूरों को ऐसी कोई मजदूरी नहीं दी जाती ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो मजदूरी का लेखा कैदियों के संबंध में तैयार किया गया है इसमें देख रेख का जो खर्च है क्या वह पैसा भी शामिल है ?

श्री राममूर्ति—नहीं, देख रेख तो जो कुछ गवर्नमेंट के परमानेंट आफिशियल्स ट्रांसफर किये गये हैं, वह करते हैं ।

नोटः—तारांकित प्रश्न ४५ श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना ने पूछा ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि इन कैदियों के खाने पीने और देख रेख में जो पैसा खर्च होता है वह इस रुपये में से काट लिया जाता है ?

श्री राममूर्ति—कुछ दिया जाता है, कुछ काट लिया जाता है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि क्या औसत है उस रुपये का जो उन्हें दिया जाता है यानी कुल मजदूरी का कितने प्रतिशत कैदियों का उनकी देख रेख की मद में काट लिया जाता है और कितना रुपया उनकी मजदूरी का जमा किया जाता है ?

श्री राममूर्ति—यह प्रश्न तो जेल विभाग का है और जेल विभाग वाले ही यह सब बतला सकते हैं ?

श्री सीताराम शुक्ल—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि कैदी मजदूरों से काम लेने में और साधारण मजदूरों से काम लेने में सस्ता किससे पड़ता है ?

श्री राममूर्ति—दोनों की मजदूरी क़रीब-क़रीब बराबर ही पड़ती है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि कैदी मजदूरों की देखभाल करने के लिये वार्डर रखे गये हैं या दूसरे आदमी उनकी देखभाल करते हैं ?

श्री राममूर्ति—वार्डर्स हैं।

अतारांकित प्रश्न

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आजमगढ़ जिले में सड़कों का निर्माण

१—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि पंचवर्षीय योजना में आजमगढ़ जिले की कौन-कौन और कितनी मील सड़कों का निर्माण होगा ?

निर्माण मंत्री (श्री गिरधारी लाल)—

पक्की सड़कें :—

मधुबन बिल्थरा	..	८	मील
घोसी मधुबन	..	१०	मील
कुल पक्की सड़कें	..	१८	मील

कच्ची सड़कें :— ..

घोसी मुहम्मदाबाद	..	१३	मील
कुल कच्ची सड़कें	..	१३	मील

२—श्री रामसुन्दर पांडेय—[१४ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

३—श्री बशीर अहमद हकीम (जिला सीतापुर)—[१४ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किया गया ।]

बस्ती जिले में कुआनो नदी पर मुखिलस पुर में पुल की आवश्यकता

४—श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह जानती है कि कितनी बस्ती जिले की कुआनो नदी पर मुखलिसपुर में पुल न होने से वर्षाकाल में उस क्षेत्र का संबंध जिले से बिलकुल टूट जाता है?

श्री गिरधारी लाल—मुखलिसपुर जिला बोर्ड की सड़क पर पड़ता है और मालूम हुआ है कि जिला बोर्ड नदी को नाव द्वारा पार करने का प्रबंध करता है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी के ३० मार्च, १९५३ के स्पष्टीकरण को "पायोनियर" में भ्रमात्मक ढंग से छापने पर आपत्ति

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक पत्र सेक्रेटरी को भेजा है। मैं चाहता हूं कि आप मुझको उसकी इजाजत दें कि मैं पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष—पत्र पढ़ने की इजाजत मैं नहीं दे सकता हूं। आप उसके बारे में जो कहना चाहें कहिये ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मैं पढ़ ही . . . . .

श्री अध्यक्ष—सदन में मैं उसे पढ़ने की इजाजत नहीं दूंगा । आपको कुछ कहना हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, इसमें मैंने आपसे यह निवेदन किया है...

श्री अध्यक्ष—आप शार्ट में कह दीजिये जो आपने पत्र में लिखा है। यहां उसे नहीं पढ़ सकते आप ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—पायनियर में सदन की कल की कार्यवाही के संबंध में जो रिपोर्ट छपी है उससे गलतफहमी होने का अंदेशा है। पायनियर में जो रिपोर्ट हुई उसमें लिखा है कि मैंने जो बयान प्रिविलेज कमेटी के सामने दिया था उसको कल वापस ले लिया, वियड्रा कर लिया जिससे काफी भ्रम पैदा हो गया । जहां तक वस्तुस्थिति का सवाल है, जो स्टैन्ड मैंने प्रिविलेज कमेटी के सामने लिया था वही स्टैन्ड मैंने सदन में लिया। लेकिन जो पायनियर में रिपोर्ट छपी है उससे बहुत भ्रम उत्पन्न हो गया है। उसमें लिखा गया है कि अध्यक्ष महोदय ने "रिकांट" शब्द का प्रयोग किया। चूंकि 'पायनियर' में कार्यवाही गलत छापी गयी है, मिसरिप्रेजेन्ट किया गया है, इसलिये मैं आपका ध्यान उस तरफ आकर्षित करता हूं कि पायनियर को इस संबंध में सही रिपोर्ट क्या है वह भेज दी जाय ।

दूसरे मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि मैंने पायनियर के चीफ एडिटर श्री एस०एन० घोष को टेलीफोन भी किया था ।

श्री अध्यक्ष—उससे इस सदन का कोई संबंध नहीं है। मैंने आपकी रिक्वेस्ट सुन ली।

मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि उसके सिलसिले में आपने क्या इसलिये मुझे पत्र लिखा है कि कोई विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है और उसकी आप कार्यवाही करना चाहते हैं? इस दृष्टि से मेरे पास भेजा है?

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रश्न आपके सामने उपस्थित कर दिया है।

श्री अध्यक्ष—आपका मंशा यह तो नहीं है कि मैं विशेषाधिकार की अवहेलना के लिये भी कार्यवाही करूं या आप सिर्फ 'कंट्रेडिक्शन' भेजना चाहते हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मैंने सिर्फ कंट्रेडिक्शन भेजने के लिये कहा है। ब्रीच आफ प्रिविलेज के संबंध में कोई प्रश्न नहीं उठाया है।

श्री अध्यक्ष—यही पूछना चाहता था। तो इस संबंध में जो कार्यवाही कल हुई थी वह सदन में सबने स्पष्ट सुनी। मेरे पास तत्काल इतना समय नहीं है कि पायनियर ने क्या छापा और यहां क्या कार्यवाही हुई उसकी तुलना करूं।

इसलिये उसके ऊपर जब मैं तुलना कर लूं, सही रिपोर्ट मेरे पास हो और यह हो, उस वक्त अगर मैं यह समझूंगा कि उसमें कोई आपत्तिजनक ऐसी बात है कि उसके लिये ऐसा कंट्रेडिक्शन करने की आवश्यकता है, तो सदन की कार्यवाही सही छपे इस दृष्टि से मैं, जो उचित कार्यवाही होगी, वह पत्रकार को लिखने की होगी तो लिखने की या जो प्रथा हमारे यहां होगी उसकी जांच कर, उसके अनुसार और कार्यवाही करूंगा।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)—माननीय तिवारी जी के 'ना' कह देने के बाद हम यह समझते हैं कि कल जो हुआ था उसकी स्थिति बदल गयी है। क्योंकि कल के उनके भाषण से आपको उनका यह आश्वासन व्यक्त होता था कि जो कार्य उन्होंने ४ मार्च को किया है वह आवेश में आकर किया है और उसका उन्हें खेद है .....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि जब मैं यह कहता हूं कि कल क्या हुआ उसकी तुलना करूंगा, अगर वह चीज उनकी गलत होगी, जो आज उन्होंने बात कही है तो मैं यहां पर आकर कह दूंगा कि जो पायनियर ने लिखा है उसी के अनुसार उन्होंने बात कही थी लिहाजा कोई गलती नहीं हुई। और आज जो कह रहे हैं क्या वह स्वयं अपने पहले भाषण को रिट्रैक्ट कर रहे हैं? यह तो देखने से पता लगेगा और अगर उनकी बात सही होगी तो मैं सदन को एक दिन बता दूंगा कि ऐसी ऐसी बात हुई और इनका आज का कथन जो है, जो सदन ने कल समझा उसको आज के कथन से मिलाने से सदन गलत समझा था और सदन जो कार्यवाही करना चाहे वह करे। यह उस रोज कहूंगा जब तुलना कर लूंगा।

इसलिये उस दिन यह आपत्ति कि आपने तत्काल यह प्रश्न नहीं उठाया, यह आपके लिये बाधक नहीं होगी। चूंकि मुझे यह देखने की आवश्यकता है, उतना समय लेने की आवश्यकता है, इसलिये आपको इजाजत होगी उस दिन भी आगे सदन को कार्यवाही करनी चाहिये या नहीं, इस प्रश्न को उठावें।

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९५२

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९५२ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ५ नवम्बर, १९५२ की बैठक में, तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २२ सितम्बर, १९५२ की बैठक में कतिपय संशोधनों के सहित जिन्हें उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ८ जनवरी, १९५३ की बैठक में स्वीकार किया, पारित किया था, श्री राज्यपाल की अनुमति १८ फ़रवरी, १९५३ को प्राप्त हो गयी और वह १९५३ का उत्तर प्रदेश का सातवां अधिनियम बन गया।

*उत्तर प्रदेश कृषि आय-कर (संशोधन) विधेयक, १९५३ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—राजस्व मंत्री के प्रस्ताव पर कि उत्तर प्रदेश कृषि-आय-कर (संशोधन) विधेयक, १९५३ पर विचार किया जाय, विवाद जारी रहेगा ।

माल मंत्री के सभासचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक इस भवन के सामने विचाराधीन है उस पर अपने भाषण में माननीय सदस्य श्री वीरेन्द्र शाह जी ने यह कहा था कि यह कर जो बढ़ाया जा रहा है, यह अनुचित है। इस संबंध में मैं उन्हें यह बतलाना चाहता हूं कि कृषि आय-कर का इस संशोधित विधेयक के द्वारा कोई कर बढ़ाया नहीं जा रहा है बल्कि जो मूल विधेयक के अन्तर्गत ३ हजार रुपये की कृषि की आमदनी पर कर लगता था उसी ३ हजार रुपये की आमदनी पर कर लगेगा । यह बात स्पष्ट है कि ३ हजार से कम आमदनी पर कोई भी टैक्स न तो पहले लगता था और न अब लगेगा ।

आमदनी के संबंध में कुछ भूमि को कृषि आयकर के लेखा या हिसाब से बरी कर दिया गया है जो पहले ५० एकड़ थी और इस संशोधित विधेयक के द्वारा ३० एकड़ कर दी गई है। लेकिन इसका यह कदापि अर्थ नहीं है कि ३ हजार से कम की आमदनी पर कोई टैक्स लगेगा यानी अब इस संशोधित विधेयक के द्वारा ३० एकड़ से कम जिसके पास भूमि है और ५० रु० से कम जिससे लगान में वसूल होता है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर कोई भी कृषि आयकर नहीं लगेगा और उसके संबंध में कोई जांच भी नहीं होगी कि इसकी आमदनी ३ हजार से ऊपर होती है या नहीं। उसको कोई नोटिस भी नहीं जारी होगी लेकिन ३० एकड़ से अधिक भूमि अगर है अथवा ५० रु० से अधिक आमदनी होती है, उसी सूरत में यह देखा जायगा कि इसकी कृषि की आय ३ हजार से अधिक है अथवा नहीं। यह भी कहा गया कि जो आप्शन दिया गया है वह कृषि आयकर लगाने के लिये कि चाहे तो वह कृषि की पैदावार पर ३ हजार पर कर दे और अगर कृषि की पैदावार का लेखा और हिसाब वह नहीं लगा कर देना चाहता तो फिर उस भूमि का जो मौरूसी दर का लगान है उसके हिसाब से साढ़े बारह गुना जो रकम होती हो, उस पर वह कृषि आयकर दे दे। यह आप्शन उस असेसी को जिसके ऊपर कि कृषि आयकर लगने वाला है, दे दिया है। इस संबंध में यह कहा गया कि साढ़े सात गुना पहले मूल अधिनियम में था और अब उसको साढ़े बारह गुना कर दिया गया है। इस पर यह कहा गया है कि यह तो बड़ी बेइंसाफी हुई और कर बढ़ाया गया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह कोई कर बढ़ाने की बात नहीं है। यह भूमि का जो मौरूसी दर का लगान है, उसके साढ़े सात गुने पर जो पहले आप्शन था और जो कृषि की पैदावार की आय है उन दोनों में उसको आप्शन है। साढ़े बारह गुना भी, मैं यह निवेदन करूंगा कि, पैदावार के लिहाज से साढ़े बारह गुने का किया जाना कोई अधिक नहीं है क्योंकि यह आय जितनी खेत से पैदावार होती है उससे इस समय जो मौरूसी दर से लगान है खेत का वह करीब २०वां हिस्सा पड़ता है। पहले की बात आज नहीं है। पहले किसान जो खेती करता था वह अपनी पैदावार का जितना भाग रुपये की शकल में लगान में देता था वह करीब ५वां हिस्सा पड़ जाता था लेकिन आज मौजूदा दर जो गल्ले की बिक्री की है उस हिसाब से करीब पैदावार का बीसवां हिस्सा ही लगान में रुपये की शक्ल में उसे पड़ता है। तो ऐसी सूरत में लगान की दर का साढ़े बारह गुना कृषि की पैदावार का हिसाब रखना यह कोई बहुत ज्यादा अन्याय हुआ, या जो टैक्स पे करने वाले हैं उनके साथ बेइंसाफी की जा रही है यह बात नहीं है ।

कृषि की पैदावार के संबंध में भी आज जो भाव की बात है, तीस एकड़ से ऊपर जो लोग भूमि रखते हैं उनसे यह आशा की जा सकती है कि तीन हजार रुपये से

---

*२५ मार्च, १९५३ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य]

कम आमदनी उनकी कृषि से नहीं होनी चाहिये। अगर कोई यह कहे कि उसके पास तीस एकड़ से ऊपर जमीन है और तीन हजार से कम उसकी आमदनी है, तो वह देश के साथ अन्याय करता है। आजकल जो गल्ले का भाव है उसके हिसाब से किसी भी खेती करने वाले के लिये, जिसके पास तीस एकड़ से ज्यादा भूमि हो, यह कहना उचित नहीं है है कि मैं इस आयकर से बरी कर दिया जाऊं और मेरी पैदावार का हिसाब न लगाया जाय। कानून में यह भी है कि अगर किसी के पास तीस एकड़ से ऊपर भूमि है लेकिन उसकी आमदनी तीन हजार से कम है तो वह कृषि आयकर का देनदार नहीं होगा। ऐसी सूरत में यह कहना कि तीस एकड़ की व्यवस्था क्यों की गयी है....

श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—कुछ पूछना है....

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—आप बैठिये, फिर पूछ लीजियेगा, अभी बहुत मौका है। ३० एकड़ के बजाय ५० एकड़ क्यों नहीं कर दिया गया, यह कोई दलील नहीं है क्योंकि जब कृषि से तीन हजार की आमदनी होगी तभी टैक्स लगेगा। कृषि तीस एकड़ से ऊपर हो और वह इस टैक्स से बरी कर दिया जाय, मैं यह कहूंगा कि यह ग़लत मांग है। कहा यह गया कि छोटे-छोटे गरीब किसानों के साथ बड़ा अत्याचार इस संशोधन के जरिये होगा, सरकार तमाम टैक्स बढ़ा रही है। मैं यह निवेदन करूंगा कि गरीब किसानों की बात का करके भ्रम फैलाया जाता है। इसमें गरीब किसानों की बात नहीं है। हमारे माननीय सदस्य श्री सुरेश प्रकाश सिंह जी ने यह कहा कि मैं एक जमींदार की हैसियत से कहना चाहता हूं, अपने जमींदार भाइयों की तरफ से कहना चाहता हूं, मैं जमींदार पार्टी का सदस्य नहीं हूं, फिर भी मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इससे जमींदार तबाह हो जायेंगे। इसमें जमींदार और किसान का सवाल नहीं है। जो तीस एकड़ से ऊपर खेती करने वाले होंगे वही कृषि आयकर के देनदार होंगे। वास्तव में गरीबों की बात कह करके अमीरों का संरक्षण मांगा जा रहा है। तीन हज़ार से ऊपर जिनकी आमदनी है उनके लिये आप यह चाहते हैं कि उनको कृषि आयकर न देना पड़े, यह न्यायसंगत बात नहीं है।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य ने एक बात कही कि बुंदेलखंड के इलाके में जहां भूमि की पैदावार कम है वहां तीस एकड़ के बजाय कुछ और रकबा होना चाहिये। मैं उनकी जानकारी के लिये यह बतलाना चाहता हूं कि मूल अधिनियम की धारा ४ के दूसरे प्रतिबन्ध में यह लिखा हुआ है कि प्रांतीय सरकार को अधिकार होगा कि निर्दिष्ट क्षेत्रों में पहले प्रतिबंध में उल्लिखित भूमि के क्षेत्रफल की मात्रा नियम द्वारा बढ़ा दे। ऐसा तो मूल अधिनियम में ही इस सदन के द्वारा अधिकार दे दिया गया है कि सरकार ऐसे क्षेत्रों के लिये उस सीमा को अधिक बढ़ा सकती है।

एक बात यह कही गयी कि कृषि आयकर लगाने में आफ़िसर बड़ी ज्यादती करते हैं, आफिसरों से बचने का कोई उपाय होना चाहिये। मैं यह निवेदन करूंगा कि जो आप्शन का अधिकार दिया गया है वह पूरा उनके बचाव का उपाय है। अगर किसी को इस बात का शुबहा हो कि उसकी कृषि की जितनी आमदनी है उससे अधिक आफिसर लगाना चाहता है तो उसके लिये उसको आप्शन दे दिया गया है। जो मौरूसी लगान की दर है उसके साढ़े बारह गुने पर दे दें। तो इसलिये कृषि में आमदनी को अफ़सर अगर अपने मन से अन्यायपूर्वक जैसा वह समझता हो बढ़ा देगा तो यह बात भी नहीं होने वाली है, उस आप्शन से उस को काफी मौक़ा मिल जाता है। हमारे देवरिया के एक माननीय सदस्य जी ने बहुत बड़े जोरों से यह कहा कि देवरिया तबाह और बरबाद हो रहा है, सूखा है, ओला पड़ रहा है, सारे किसानों के साथ बड़ा भारी जुल्म किया जा रहा है और कृषि आयकर लगाया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा जैसा मैंने पहले कहा कि देवरिया के लिये या और

कहीं के लिये कोई नया कर तो लगाया नहीं जा रहा है। जिन की ३ हजार से अधिक कृषि की आमदनी होगी, चाहे वह देवरिया के हों चाहे दूसरे जिले के हों, तभी यह टैक्स उनके ऊपर लगाया जायगा। यह कहना कि देवरिया के सारे किसानों को तबाह और बरबाद किया जा रहा है, इस कृषि आयकर से उनपर मुसीबत ढाई जा रही है, तो मैं यह कहूंगा कि शायद उन्होंने समझने की कोशिश नहीं की है। जो ३० एकड़ या इससे ज्यादा के किसान होंगे और उनकी आमदनी ३ हजार से ज्यादा की होगी, तभी वह कृषि आय कर के जिम्मेदार होंगे। इस-लिये किसानों की दुहायी देना और यह कहना कि बड़ा अन्याय और बड़ा जुल्म हो रहा है देव-रिया वालों पर, यह बड़ी ग़लत धारणा है।

ऐसा मालूम होता है कि जैसे कोई नया कर लग रहा हो, अगर कोई संशोधन विधेयक आया, उन्होंने समझा कि कोई कर है और उस का विरोध करने लगे। मैं उनसे यह कहूंगा कि माननीय राजनारायण जी ने खुद अपने भाषण में सपोर्ट किया है कि ५० एकड़ के बजाय ३० किया गया। वैसे तो ३० एकड़ के नीचे के भी काश्तकारों पर यह होना चाहिये जिनकी उससे आमदनी ३ हजार है और ३ हजार की आमदनी पैदा करते हैं लेकिन हमने ३० एकड़ तक वालों को बरी रखा है। यह भी कहा गया कि नयी जमीनों पर जो मौरूसी दर लगायी जायंगी साढ़े १२ गुनी वह ठीक नहीं हैं तो मूल विधेयक को अगर माननीय सदस्य देखेंगे तो उसमें दिया हुआ है कि बोर्ड आफ रेवेन्यू दर को कम कर सकता है। इसलिये इसमें किसी के साथ अन्याय होने की गुन्जायश नहीं है। इसलिये जितनी आपत्तियां की गयी हैं, मैं समझता हूं कि कोई आपत्ति इस संशोधन विधेयक के संबंध में ठीक नहीं की गयी है और अगर की गयीहैं तो भ्रमवश की गयी हैं। यह तो बहुत ही मुनासिब तरीक़े पर इस विधेयक के द्वारा कृषि आयकर का संशोधन किया गया है। और मैं आशा करता हूं कि इसे भवन स्वीकार करेगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि आयकर (संशोधन) विधेयक, १९५३, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

२—१९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय कृषि-आय-कर ऐक्ट (जिसे यहां पर आगे चलकर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा २ की उपधारा (१०) के बाद निम्नलिखित नयी उपधारा (१०-क) के रूप में रख दिया जाय:—

"(१०-क) 'भूमिव्यवस्था कमिश्नर (Land Reforms Commissioner)' का आशय राज्य सरकार द्वारा उस रूप में नियुक्त किये गये अधिकारी से है"।

संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट सं० ३, १९४९ की धारा २ में संशोधन।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

३—मूल अधिनियम के अध्याय २ के अधीन किसी ऐसे व्यक्ति पर कृषि-आय-कर लगाये जाने के संबंध में सन्देह उत्पन्न हुये हैं जो अपने प्रभुत्व या अधिकार में कोई सम्पत्ति पूर्व वर्ष में तो रखता हो किन्तु बाद को वह उसके प्रभुत्व या अधिकार में न रही हो, इसलिये एतद्द्वारा प्रख्यापित किया जाता है कि मूल अधिनियम की धारा २ के खंड (११) में प्रयुक्त शब्दों "अपने प्रभुत्व या अधिकार में रखता हो" का यह अर्थ नहीं समझा जायगा कि उस व्यक्ति के संबंध में यह कभी भी आवश्यक था कि उस वर्ष में जिसके लिये कर लिया जाना है, सम्पत्ति उसके प्रभुत्व या अधिकार में बनी रही हो।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा (ज़िला सहारनपुर)---जनाबवाला, पेश्तर इसके कि मैं यह संशोधन जनाबवाला की खिदमत में पेश करूं, मैं यह चाहता हूं कि इसमें जो एक दो ग़ल्तियां हैं उनको जरा दुरुस्त कर लिया जाय। यह होना चाहिये कि "मूल अधिनियम की धारा २ के खंड ११ में....." । और दूसरी बात यह है कि अजेंडा में छपे संशोधन में जहां "लिखा" है वहां "लिया" शब्द होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---यह तो प्रिंटिंग की मिस्टेक है।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा---अब जनाब की इजाज़त से मैं यह संशोधन पेश करता हूं। खंड ३ निकाल दिया जाय और उस की जगह निम्नलिखित लिखा जाय --

मूल अधिनियम की धारा २ के खंड ११ में निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाय --

"अपने प्रभुत्व या अधिकार में रखता हो" का यह अर्थ नहीं समझा जायगा कि व्यक्ति के संबंध में यह कभी भी आवश्यक था कि उस वर्ष में जिसके लिये कर लिया जाता है सम्पत्ति उसके प्रभुत्व या अधिकार में बनी रही हो।

जनाबवाला, देखेंगे कि असल में यह संशोधन मेरा उससे मुख्तलिफ़ नहीं है जो अभी गवर्नमेंट का ड्राफ्ट आया है। असल में ड्राफ्ट्समैन की ग़लती को दुरुस्त करने के लिये यह अमेंडमेंट मैंने पेश किया है। इस बिल के सैक्शन ३ में असल में कोई अमेंडमेंट नहीं है मैं समझता हूं कि यह कोई भूल है आबजेक्ट्स ऐंड रीज़न्स में तो लिख दिया गया है। वह कहते हैं "कि इट इज़ हियरबाई डिक्लेयर्ड", लेकिन कहां और किन अल्फ़ाज़ में, यह नहीं है। जो सेक्शन ३ में दिया गया है वही होना चाहिये था, आबजेक्ट्स और रीज़न्स में। और कहां तब्दीली है, यह इस बिल में आना चाहिये था। ड्राफ्ट्समैन की ग़लती को ठीक करने के लिये मेरा मक़सद है : इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जो मक़सद सेक्शन ३ से गवर्नमेंट का है वही मेरा भी है। मैंने महज़ खंड ११ में एक एक्सप्लेनेशन जोड़ा है। इसमें यह नहीं है कि किस जगह पर इसका इजाफ़ा किया जाता है। इसलिये इस डिफ़ेक्ट को रफ़ा करने के लिये मैंने यह संशोधन पेश किया है। मैं समझता हूं कि इसमें कोई फ़र्क़ नहीं है। वही सेंस और वही मक़सद है और मैं समझता हूं कि आनरेबिल मिनिस्टर इसे मंजूर फ़रमावेंगे ताकि वह डिफ़ेक्ट दूर हो जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी (ज़िला नैनीताल)---श्रीमन्, माननीय अतहर-हुसैन ख्वाजा के संशोधन में मेरा भी एक शाब्दिक संशोधन है। जहां उन्होंने 'अपने प्रभुत्व' से शुरू किया है उसके पहले मैं चाहता हूं कि "स्पष्टीकरण---किसी भी संदेह के निवारण के लिये उपर्युक्त परिभाषा के शब्दों" जोड़ दिया जाय। उनका संशोधन इस प्रकार है "अपने प्रभुत्व या अधिकार में रखता हो, का यह अर्थ नहीं समझा जायगा"। मैं चाहता हूं कि इन शब्दों से पहले जिन शब्दों को मैं पढ़ रहा हूं वह जोड़ दिये जायं।

श्री अध्यक्ष---"निम्नलिखित स्पष्टीकरण" के बाद जोड़ा जाय ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---जी हां। इसके बाद यह शब्द जोड़ दिये जायं "किसी भी संदेह के निवारण के लिये उपर्युक्त परिभाषा के शब्दों" इसके बाद उनका संशोधन शुरू होता है।

श्री अध्यक्ष---जोड़े जायं या निकाल दिये जायं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---जी नहीं। मुख्य शब्द हैं; उनके लिये मैं कह रहा हूं। "अपने" के पहले इन शब्दों को जोड़ दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---स्पष्टीकरण जोड़ा जाय, यह तो रहेगा ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--जी हां।

श्री अध्यक्ष--"स्पष्टीकरण" शब्द दुबारा आय ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--जी हां। मैं चाहता हूं कि "स्पष्टीकरण- किसी भी संदेह के निवारण के लिये उपर्युक्त परिभाषा के शब्दों, अपने प्रभुत्व या अधिकार में रखता हो का यह अर्थ नहीं समझा जायगा कि व्यक्ति के संबंध में यह कभी भी आवश्यक था कि उस वर्ष में जिसके लिये कर लिखा जाना है सम्पत्ति इसके प्रभुत्व या अधिकार में बनी रही हो"।

श्री अध्यक्ष--यह आप मुझे लिख कर दे दें।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं समझता हूं कि ख्वाजा जी ने जो संशोधन पेश किया है वह बहुत उपयोगी है। मेरे संशोधन के बढ़ाने के बाद पूरा अर्थ इस संशोधन में आ जाता है खंड ३ का, जैसाकि इस संशोधन अधिनियम में है। इस प्रकार मूल अधिनियम के अध्याय २ के अधीन किसी ऐसे व्यक्ति पर कृषि आय कर लगाये जाने के संबंध में सन्देह उत्पन्न हुये हैं जो अपने प्रभुत्व या अधिकार में कोई सम्पत्ति पूर्व वर्ष में तो रखता हो किन्तु बाद को वह उसके प्रभुत्व या अधिकार में न रही हो।" तो यह एक प्रकार का एक्सप्लेनेशन है। इसलिये संशोधन की आवश्यकता पड़ी है। इस प्रकार से नयी धारा बनाना शोभा नहीं देता है। इसलिये संदेह निवारण के लिये जो शब्द मैंने बतलाये हैं उनको इस परिभाषा में रख दिये हैं और धारा २ के खंड (११) में अगर स्पष्टीकरण के रूप में यह शब्द आजायंगे तो नये खंड के रूप में न हो कर इसी में मूल अधिनियम का अंग बन जायंगे। मैं चाहता हूं कि नया खंड न बन कर मूल अधिनियम के स्पष्टीकरण के रूप में यह धारा आजाय जिससे इसका अर्थ पूरा हो जाय। इन शब्दों के साथ मैं ख्वाजा जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)--अध्यक्ष महोदय, जो बात माननीय ख्वाजा जी ने और नारायण दत्त जी ने कही है वह बजाहिर बहुत ही माकूल है और अब तक जो ड्राफ्टिंग होता आया है उसमें बेशक ऐसा ही होता है जैसा कि दोनों मित्रों ने सुझाव दिया है और जो उनकी प्रतिक्रिया इस क्लाज को देख कर हुई है, ठीक वैसी ही मेरी थी जब कि हमारे कानूनी सलाह कार इसको ड्राफ्ट कर के मेरे सामने लाये तो मैंने भी उनसे यही कहा कि इसकी क्या आवश्यकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि यह बेहतरीन तरीक़ा है और लेटेस्ट ड्राफ्टिंग का ढंग यही हो गया है। उन्होंने दो चार अथारटीज मुझे बतलायीं। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में भी यही तरीक़ा है। लिहाजा अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूं कि हमने जौनसार बावर के लिये जो ऐक्ट बनाया है उसमें भी यही शब्द इस्तेमाल किये गये हैं।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा--यह किस जगह पर रखा जायागा ?

श्री चरण सिंह--एक सेक्शन होगा अलाहिदा। लिहाजा जौनसार बाबर का जो बिल था उसमें भी बिल्कुल इसी तरह के शब्द एक क्लाज में लिखे हुये हैं। अब केवल ड्राफ्टिंग कीबात है और ड्राफ्टिंग के मामले में जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय से चलना होता है। कोई पालिसी की बात नहीं, कोई सब्सटेंस की बात नहीं। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय ख्वाजा साहब को शायद तसल्ली हो गयी हो और अगर हो गयी हो, केवल बातों की बात है, कोई रुपये पैसे की बात नहीं है, तो मैं समझता हूं कि वह इसे वापस लेने की मेहरबानी करेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी--एक सूचना मैं चाहता था।

श्री अध्यक्ष--हां, पूछिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, बात यह थी कि माननीय मंत्री जी ने जौनसार बावर के अधिनियम का जिक्र किया था। तो जौनसार बावर तो स्वयं अपने से ही एक मूल अधिनियम था, वह संशोधन, अधिनियम नहीं था और यह कृषि आय कर विधेयक एक संशोधन विधेयक है, यह कोई ओरीजिनल विधेयक नहीं है। तो क्या माननीय मंत्रीजी ओरीजिनल ऐक्ट और अमेंडमेंट ऐक्ट दोनों को एक ही प्रकार की श्रेणी में रखना चाहते हैं या उनके ड्राफ्टिंग के सलाहकार एक ही स्थिति में रखना चाहते हैं, यह मैं जरा जानना चाहता हूं।

श्री चरण सिंह--ड्राफ्टिंग में तो प्रिन्सिपल ऐक्ट या अमेंडिंग बिल में कोई फ़र्क़ नहीं हो सकता। जो बात वहां सही है वही यहां भी सही है।

श्री अध्यक्ष--तो ख्वाजा साहब, क्या आप अपने अमेंडमेंट को वापस लेना चाहते हैं?

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा--जनाब वाला, बात यह है कि जो चीज मुझे नजर आयी वह मैंने अपने इंटरेस्ट में और गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में कह दी क्योंकि गवर्नमेंट का और मेरा इंटरेस्ट एक ही है। अगर आनरेबिल मिनिस्टर यह समझते हैं कि वह अननेसेसरी है तो मुझे इसके वापस लेने में कोई एतराज नहीं हो सकता। लेकिन फिर यह अर्ज करूंगा कि आनरेबिल मिनिस्टर इस पर जरा गौर फरमा लें कि अमेंडिंग ऐक्ट में आप हवाला दे रहे हैं प्रिंसिपल ऐक्ट की धारा २ और धारा ११ का और धारा २ और धारा ११ में आप कोई तरमीम नहीं कर रहे हैं। तो यह कहां तक लीगल होगा बहरहाल इसकी जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट के ही ऊपर है और आनरेबिल मिनिस्टर इसको बेहतर समझ सकते हैं। अगर वह इसको मंजूर नहीं फ़रमाना चाहते हैं और समझते हैं कि उनका मक़सद पूरा हो जाता है तो मुझे वापस लेने में कोई ऐतराज नहीं है।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष--माननीय नारायणदत्त तिवारी, जी आप भी अपना संशोधन वापस लेते हैं?

श्री नारायणदत्त तिवारी--जी, वह तो जब ख्वाजा साहब ने वापस ले लिया तो मुझे भी लेना पड़ेगा।

(सदन की अनुमति से दूसरा संशोधन भी वापस लिया गया।)

श्री रामलखन (जिला बनारस)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की इजाजत से खंड ३ की पहली पंक्ति में शब्द "के" और शब्द "अधीन" के बीच में शब्द "अध्याय २ के" निकाल दिये जाने का प्रस्ताव करता हूं।

श्रीमान् जी, हमारा प्रस्ताव कोई ऐसा नहीं है कि जो गवर्नमेंट का बिल आया हुआ है उसका जो मक़सद है उस को किसी प्रकार से ठेस पहुंचाता हो। प्रश्न यह है कि मूल अधिनियम के खंड ३ में "अध्याय २ के अधीन ऐसे किसी व्यक्ति पर कृषि आय कर लगाये जाने के संबंध में" इत्यादि इत्यादि लिखा है। तो मतलब यह है कि केवल संदेह की बात है कि मूल अधिनियम के अध्याय २ के अनुसार कोई संदेह उत्पन्न हो तो उसके अनुसार उसका परिमार्जन किया जायगा। तो यह जो ऐक्ट बन रहा है तो कृषि आय कर के पूरे ऐक्ट के अनुसार यदि कहीं संदेह उत्पन्न हो तो उसका परिमार्जन किया जाय न कि चैप्टर २ के अधीन ही कोई संदेह उत्पन्न हो। ऐसी परिस्थिति में मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी को ये शब्द निकाल देने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--यह स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३ की पहली पंक्ति में शब्द "के" और शब्द "अधीन" के बीच में शब्द "अध्याय २ के" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---आप इसका विरोध कर सकते हैं।

श्री रणंजय सिंह---मैं इसका विरोध करता हूं। श्रीमन्, इसके लिये एक तो मुख्य कारण यह प्रतीत होता है कि यह मामला हाईकोर्ट के विचाराधीन है। हाईकोर्ट इलाहाबाद और उस की लखनऊ बांच में भी इस पर विचार हो रहा है। इसलिये जब तक इस पर विचार नहीं हो जाता उस वक्त तक यहां विचार होना न्याय संगत नहीं मालूम होता।

इसके अतिरिक्त दूसरा कारण यह है कि यदि इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी तो फिर इसका अर्थ क्यों बदला जा रहा है। यह भी चीज संदेहास्पद है। जब कोई किसी बात का संदेह ही नहीं था तो फिर उस संदेह को निवारण करने की आवश्यकता ही क्यों प्रतीत हुई ? अभी जो यहां पर संशोधन पेश किया गया था उस में भी यह दिखाया गया था कि उसमें स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त माननीय नारायण दत्त जी ने भी संदेह निवाणार्थ एक प्रस्ताव दिया था। अतः जब ये बातें पैदा होती हैं तो संदेह कहां से उत्पन्न हुआ, यह प्रश्न भी पैदा होता है। तब हमें यह बात माननी होगी कि हाईकोर्ट में मुक़द्दमा दायर होने से यह बात पैदा हुई और इसीलिये इसका अर्थ बदला जा रहा है। अधिक अच्छा तो यह होता कि पहले हम हाईकोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा कर लेते। अतः इस प्रकार से अर्थ का बदला जाना आपत्तिजनक प्रतीत होता है।

इसके साथ ही साथ यहां पर यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज कल उन लोगों की परिस्थिति सरकार से छिपी नहीं है। उन लोगों के पास आज कल भूमि नहीं रह गयी है। ऐसी दशा में अगर यह मान भी लिया जाय कि गत वर्ष उनके अधिकार में भूमि थी और उसकी आय उनको हुई, लेकिन चूंकि आज वे उसको देने में असमर्थ हैं, इसलिये अगर उनके साथ कोई रियायत कर भी दी जाय तो कोई अनुचित बात प्रतीत नहीं होती है। जब कर लगाया गया था तो एक ही वर्ष का कर नहीं बल्कि दो वर्ष का कर बहुत ही कम समय में लिया गया था। इसलिये अब जब कि उनके पास भूमि नहीं है, अगर उनके साथ कोई रियायत कर दी जाय तो बहुत अच्छा होगा। तथा हमारी सरकार के लिये बहुत ही कृपा की बात होगी। इन सब बातों को सोचने के लिये मैं मानवता के नाते प्रार्थना करूंगा कि इस स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, मैं आप की आज्ञा से माननीय श्री रणंजय सिंह द्वारा खंड ३ का विरोध करने का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय रणंजय सिंह जी ने अपने विरोध को करते हुये जो तर्क किया उसमें प्रमुख तर्क यह था कि यह मामला हाईकोर्ट के विचाराधीन है, इसलिये इस प्रकार का खंड नहीं बढ़ना चाहिये। मेरे क्षुद्र विचार के अनुसार हम इस प्रकार का स्पष्टीकरण करके हाईकोर्ट की मदद ही कर रहे हैं। अगर इस प्रकार का कोई स्पष्टीकरण हो जायगा तो हाईकोर्ट को ठीक निष्कर्ष पर पहुंचने में आसानी ही होगी। श्रीमन्, मैंने आज तक कोई इस प्रकार का विशेष तर्क नहीं सुना जिसमें यह प्रश्न उठा हो कि क्योंकि कोई मामला किसी कोर्ट के अधीन विचाराधीन है इसलिये कानून में परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि हमेशा किसी न किसी कोर्ट में, भले ही वह हाईकोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हर तरह का विधेयक या अधिनियम किसी न किसी मुक़द्दमे में उद्धृत होता ही रहता है ; इसलिये किसी सदन का यह सोचना कि चूंकि किसी कोर्ट में इस अधिनियम की इस धारा पर विचार हो रहा है इसलिये हम लेजिस्लेट नहीं कर सकते हैं, इसलिये हम कानून नहीं बना सकते हैं, यह तो सदन के रूल का विपर्यय होगा ; क्योंकि यह सोचने की

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

बात है कि इस तरह से तो कोई भी विधान सभा कोई कानून बना ही नहीं पायेगी। इसलिये मैं माननीय रणंजय सिंह से यह प्रार्थना करता हूं कि वे इस पर पुनर्विचार करें और जिस सिद्धांत का उन्होंने प्रतिपादन किया है कि इस खंड ३ को निकाल दिया जाय, अगर उसी सिद्धांत को सदन मान ले तो हम कोई भी विधेयक, अधिनियम, चाहे संशोधन हो या खंड जोड़ने की बात हो, नहीं बना पायेंगे। तो यह प्रश्न है जिस पर माननीय रणंजय सिंह को और इस सदन को विचार करना है। इसी सिद्धांत की बात को लेकर मैं उनके विरोध का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्री अध्यक्ष---(श्री द्वारका प्रसाद मौर्य से) क्या आप को कुछ कहना है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है। जो माननीय नारायण दत्त तिवारी ने कहा वह काफी है। उनका जवाब काफ़ी हो चुका है।

श्री अध्यक्ष---आपकी तरफ से उन्होंने कह दिया।

श्री रणंजय सिंह---मैं सिर्फ एक जानकारी के लिये पूछना चाहता हूं कि अगर हाईकोर्ट ने इसके विरुद्ध इंटरप्रिटेशन किया तो क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष---वह तो काम में आ जायगा। यह तो कोई पूछने के योग्य सवाल नहीं है।

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ४

संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट सं० ३, १९४९ ई० की धारा ४ में संशोधन।	४---मूल अधिनियम की धारा ४ के पहले प्रतिबंध में शब्द और संख्या "५० एकड़" के स्थान पर शब्द और संख्या "३० एकड़" रख दिये जायं।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अपना संशोधन पढ़ना चाहता हूं।

खंड ४ की पंक्ति २ में शब्द और संख्या "५० एकड़" के स्थान पर "१०० एकड़" रखा जाय।

श्रीमन्, मेरा इस संशोधन के पेश करने का अभिप्राय इसलिये है कि कृषि आयकर जो सरकार ने लगाया था उसके दो उद्देश्य थे। वह इसलिये कि जब जमींदारी का एबालिशन नहीं हुआ था और बड़े बड़े जमींदारों को काफी आमदनी लगान से होती थी तो सरकार ने यह मुनासिब समझा कि उनकी आमदनी पर कृषि आय कर लगायें और लगान से सरकार को काफी आमदनी होती थी। श्रीमन् करीब दो करोड़ के रुपया सरकार वसूल करती थी और मुआविजा घटाने में भी सहायता देनी थी, इसलिये यह कर लगाया गया। लेकिन अब सरकार इस छोटे से विधेयक द्वारा ५० एकड़ से घटा कर ३० एकड़ करने का विचार कर रही है। उसका कारण यह है कि उधर हमारे मौर्य जी ने अभी इस भवन के सामने यह कहा कि हम टैक्स के लिये कोई कर नहीं बढ़ा रहे हैं। श्रीमन्, मैं आपके जरिये मौर्य जी को बतलाना चाहता हूं कि उनका यह कहना मेरी समझ में नहीं आया कि इधर तो वे कह रहे हैं कि हम कुछ बढ़ा नहीं रहे हैं। मैं आपके जरिये उनसे पूछना चाहता हूं कि इससे कितने लाख रुपये का सरकार को फायदा होगा ? मेरी समझ से ५० एकड़ से ३० एकड़ कर देने पर सरकार को करीब ७५ लाख रुपये का फायदा होगा। जो कभी जमींदारी जाने के बाद कृषि आयकर में हो गयी थी

वह करीब ७५ लाख रुपया इस कर से वसूल कर लिया जायगा। इसीलिये यह ५० एकड़ से ३० एकड़ किया गया है। श्रीमान् मैं ५० एकड़ से जो १०० एकड़ करना चाहता हूं उसका कारण यह है कि जमींदारों की जमींदारी चली गयी। उसके बाद उन्होंने जो दूसरे उद्योग धंधे लिये हैं, उनमें किसान बन कर खेती बारी के काम को भी अपने हाथों में संभाला है।

भवन के सदस्यों और सरकार को भलीभांति मालूम है सरकार ने वायदा किया था कि ९ महीने के अन्दर इंट्रीम कम्पेन्सेशन देगी, मुआविजा देगी। वह नहीं दिया गया और न हमको आशा है कि वह कब तक मिलेगा।

श्री चरण सिंह--९ महीने तो हो गये।

राजा वीरेन्द्र शाह--श्रीमान् मंत्री जी कह रहे हैं कि ९ महीने हो गये। अगर कोई शख्स दूसरा उद्योग करे तो उसमें भी सरकार अड़चनें डालती है। और जगहों पर हम देखते हैं कि सरकार अपना रुपया लगाती है। कहीं कहत पड़ गया तो सरकार ने उसके लिये रुपया रक्खा। रिफ्यूजीज आये तो उनको करोड़ों रुपया सरकार ने दिया लेकिन यह १ करोड़ रिफ्यूजीज बना दिये गये, जिनकी जायदादें आपने ले लीं, उनको कीमत नहीं दी गई है और ९, ९ महीने से वे घर बैठे हुये हैं और वह कोई उद्योग करना चाहते हैं तो मौर्य जी कहते हैं कोई कर नहीं बढ़ रहा है। ५० एकड़ के बजाय ३० एकड़ आपने कर दिया तो मंत्री जी किस बुनियाद पर यह बात कहते हैं कि कर नहीं बढ़ रहा है? आपने कह दिया कि ३ हजार की आमदनी होगी लेकिन आमदनी कूतने वाले भी तो आप ही हैं। पहले ५० एकड़ में वह आमदनी होती थी लेकिन अब वह ३० एकड़ में होती है। सरकार की जैसी मर्जी होती है उसी तरह से उसका तख्मीना लगा लेती है। यह नहीं देखती कि क्या कैफियत है। यह सरकार नहीं देखती कि प्रांत में यह नया कर किनके ऊपर लगने वाला है। उन्होंने यह देखा कि रुपया कम है, एक्सपर्ट्स को बुलाया, फायनेन्शियल एडवाइजर्स से कहा कि इतना बढ़ना चाहिये। बस फौरन नक्शा आ गया। यहां वोट का सवाल तो है नहीं। हमारे सोशलिस्ट भाई भी कहने लगे कि बहुत अच्छा है। लेकिन यह ३० एकड़ जमीन टैक्स के लिये है, बटवारे के लिये नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--धीरे धीरे वह भी हो जायगा।

राजा वीरेन्द्र शाह--जब यह सवाल आयेगा तो मैं आपसे कहता हूं कि यह इतना आसान नहीं जिस तरह से आप यहां बैठ कर यह कह लेते हैं कि ३० एकड़ बट जायगी। जिस वक्त जमीन बटेगी उस दिन शहर के घर भी बट जायेंगे। यह उतना आसान नहीं कि कह दिया कि ३० एकड़ पर टैक्स लगा दो। किसी की टोपी ले ली और किसी का कुर्ता ले लिया, जिस दिन ऐसा होगा उस दिन क्रांति हो जायगी और उस क्रांति के लिये सिवा कम्युनिस्ट के और कोई तैयार नहीं है। इस प्रांत का बजट काफी बढ़ा है। इस तरह की छोटी-छोटी रकमों से कोई लाभ नहीं होगा। जो लोग उद्योग कर रहे हैं और अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं उन पर इस तरह का टैक्स लगाना कहां तक उचित है? बुंदेलखंड में तो ३० एकड़ जमीन करीब-करीब सभी किसानों पर है। तो मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार किस तरह से ३० एकड़ करना चाहती है। इसीलिये मैं १०० एकड़ के लिये प्रस्ताव लाया हूं। उस पर सरकार को कर लेना चाहिये। उससे नीचे के काश्तकार के पास तो अपने परिवार के गुजारे भर के लिये आमदनी होती है। आज गल्ले का भाव कुछ महंगा है जिससे किसान के पास कुछ आमदनी हो जाती है। मैं सरकार से कहता हूं कि ३० एकड़ वाल काश्तकार की सरकार हालत तो देखे। जब २० सेर का अनाज था तो किसी को सहानुभूति नहीं थी कि उनकी क्या आमदनी होती है और वह क्या लगान देता है लेकिन आज जब नाज कुछ महंगा हो गया है तो उसको फौरन तराजू ले लेंगे तौलने। मुझे क्षमा करें शहर वाले

[राजा वीरेन्द्र शाह]

कि वे फौरन तौलने लगे कि कहीं इसके यहां ज्यादा आमदनी न जाने पाये। अगर हमारे दिन आये हैं और आज हमको अपनी मेहनत का पैसा मिलता है तो क्यों आप परेशान होते हैं, क्यों नहीं हमको थोड़े दिन खा लेने देते? इसलिये मैं कहता हूं कि हमारे संशोधन पर विचार किया जाय और जब तक कम से कम जमींदारों को कम्पेंसेशन और रिहैबिलिटेशन वगैरह न मिल जाय तब तक वह सौ एकड़ की मेरी तजवीज को मान लें।

श्री अध्यक्ष—तीन संशोधन एक ही प्रकार के हैं। इसलिये मैं तीनों को हो जाने दूंगा।

श्री ब्रजवासी लाल (जिला फैजाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं।

खंड ४ की पंक्ति २ में शब्द व संख्या "३० एकड़" के स्थान पर शब्द व संख्या "१५ एकड़" रख दिये जायं।

कृषि आय कर के लिये दो कंडीशंस रखे गये हैं। एक तो ३ हजार की इन्कम और दूसरे ५० एकड़ जमीन। और अगर इनमें से कोई बात पूरी नहीं होती तो कृषि आयकर नहीं लगता। अब सरकार इस ५० एकड़ को ३० एकड़ करने जा रही है। मेरा कहना यह है कि इन दोनों कंडीशंस में कम से कम पैरिटी होनी चाहिये। यानी तीन हजार की इन्कम जो हो वह कितनी जमीन से हो सकती है देखना यह चाहिये कि कितनी जमीन से इतनी इन्कम कम से कम हो जायगी। कृषि आयकर के सिलसिले में दो तरीके रखे गये हैं। एक तो हेरीडिटरी रेट्स के साढ़े सात या साढ़े बारह गुने और दूसरे उसकी आमदनी वैल्यूयेशन के हिसाब से। मैं समझता हूं कि दोनों तरीकों को अगर आप रखें तो १५ एकड़ ऐसी जमीन है जिसकी आमदनी करीब ३ हजार के आजाती है और पैरिटी बन जाती है और कोई खास इन दोनों के हिसाब में फर्क नहीं पड़ता। हमारे जिले में तो कम से कम कास्ट आफ होल्डिंग पर साढ़े दस या १२ गुना लगता है। और उसमें पैरिटी नहीं आती इस ५० एकड़ या ३० एकड़ वाली बात से, और इसीलिये मैं १५ एकड़ रखना चाहता हूं ताकि वह पेरिटी इस्टेब्लिश हो जाय। मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी इस पार राजी हो जायेंगे क्योंकि आज नहीं तो जब पंचवर्षीय योजना पूर्ण हो जायगी और सिंचाई और दूसरे काश्त के तरीके अच्छे और सुलभ हो जायेंगे तो उस समय उनको १५ एकड़ का संशोधन लाना पड़ेगा तो आज ही क्यों न मान लिया जाय? अगर १५ एकड़ के खेत पर तीन हजार की आमदनी न हो तो उस पर न लगे। लेकिन १५ एकड़ ऐसी जमीन है कि उस पर तीन हजार की आमदनी हो जाती है और उससे पैरिटी भी बन जाती है। इसलिये इस बात को देखते हुये मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि वे मेरे १५ एकड़ के संशोधन को मंजूर कर लेंगे।

श्री रमेश चंद्र शर्मा (जिला जौनपुर)—मैं अपना संशोधन नहीं पेश करना चाहता।

श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन श्री ब्रजवासी लाल और राजा वीरेन्द्र शाह ने इस सदन के सामने रखे हैं मैं उन दोनों का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जहां तक इसमें ५० एकड़ से ३० एकड़ करने का संबंध है मैं उससे सहमत हूं वह इसलिये कि यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट जो इस सदन ने बनाया था, उसमें मैक्सिमम होल्डिंग रखने के लिये जो २५० के ऊपर लगान देने वाले हैं उनके लिये एक लिमिट बतलायी थी कि वह इतनी सीर रख सकते हैं और उसके ऊपर उसकी जितनी जमीन होगी चाहे वह किसी काश्तकार के पास हो या सब टेनेन्ट के पास होगी वह सब उनके कब्जे में हो जायगी और वह उसके काश्तकार हो जायेंगे। यह एक सिद्धांत की बात थी और मैं उससे ऐग्री करता हूं। जहां तक जमींदारी अबालिशन ऐक्ट की बात है

उसमें भी हमने देखा कि ३० एकड़ जमीन मैक्सिमम होल्डिंग एक आदमी के पास रखने के लिये कहा गया है। तो इस बात को तो हम मंजूर करते हैं कि ३० एकड़ की लिमिट रख दी जाय और इसके लिये यह जरूरी है कि ३० एकड़ या इससे कम जोत के जितने काश्तकार हैं उनको हर किस्म के टैक्स से बरी कर दिया जाय। यह एक सिद्धांत की बात है और सभी इसको मानते हैं, और मानना भी चाहिये। लेकिन जहां तक ब्रजबासी लाल जी का संशोधन है कि ३० से १५ कर दिया जाय वह मैं समझता हूं कि किसी कदर भी सही नहीं है। कोई भी काश्तकार या किसान जिसको मैक्सिमम होल्डिंग रखने का अधिकार ३० एकड़ तक दिया गया है उससे अगर किसी तरह से टैक्स लिया जाता है तो यह बरदाश्त नहीं किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि यह बहुत अनरीजनेबिल बात है। जहां तक राजा साहब का संशोधन है वह तो राजा साहब हैं, उनके लिये तो कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह ५० से ३० एकड़ की बात जिसके लिये कि गवर्नमेंट का संशोधन आया है वह बिलकुल सही है और वही होना चाहिये।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—श्रीमन्, मैं राजा वीरेन्द्र शाह के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे कुछ आश्चर्य हुआ जब कि माननीय कमला सिंह जी ने यह कहा कि यू०पी० टेनेन्सी ऐक्ट और जमींदारी अबालिशन ऐक्ट के अनुसार मैक्सिमम होल्डिंग ३० एकड़ तक रखने का रूल है या ३० एकड़ तक लिमिट रखना मुनासिब है। लेकिन श्रीमन्, मैं आपके जरिये से सदन से यह अनुरोध करूंगा कि यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट और जमींदारी अबालिशन और लेंड रिफार्म ऐक्ट इन दोनों में जमीन के टैक्स की बाबत कुछ नहीं है बल्कि ऐग्रीकल्चरल इन्कमटैक्स में जो पहले लिमिट रखी गयी थी वह यह थी कि ५० एकड़ तक टैक्स नहीं लिया जायगा। अब श्रीमन्, मुझे यह जानकर बड़ा ताज्जुब होता है कि इस तरह से कहा जाता है। अब मैं यह समझता हूं कि यह सरकार कुछ ऐसे काम करती हैं कि जिनसे हंसी आती है और साथ ही साथ उन पर यह भी दोषारोपण किया जा सकता है कि वह अपनी नीति से इस तरह के काम करती है कि वे अनिश्चित से होते हैं। ऐक्ट की धारा ४ में एक प्राविजो है जिसको पूरा न पढ़ कर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उसमें क्या है।

"Provided further that the provincial government may, for specified areas, prescribe, a higher limit for the area of land which may be cultivated by a person exempted from payment of tax under the first proviso"

[और प्रतिबंध यह भी है कि प्रान्तीय सरकार निर्दिष्ट क्षेत्रों में भूमि के क्षेत्र की अधिक सीमा नियत कर सकती है जो वह व्यक्ति जोत सके जिसको पहले प्रतिबन्धात्मक वाक्य खंड के अन्तर्गत करके दायित्व से मुक्त किया गया हो।]

उस वक्त श्रीमन्, जब कि हमने सन् १९४८ ई० में यह अधिनियम बनाया तो लेजिस्लेचर की यह मंशा थी और उसका ध्यान इस बात पर था कि संभव है कि आगे चल कर ५० एकड़ भी कम मालूम हो तो भविष्य में उस को बढ़ा लिया जायगा और लिमिट को आगे कायम किया जा सकेगा। श्री वीरेन्द्र शाह जी की शिकायत पर माननीय माल मंत्री जी ने कहा कि ९ महीने पूरे हुये हैं यह तो ठीक है लेकिन मैं क्या आप के जरिये उनको बधाई दूं कि कल १ अप्रैल से वह जमींदारों को कुछ देना चाहते हैं या १ अप्रैल का मजाक जमींदारों ही से वह करना चाहते हैं। मैं यह भी कहूंगा कि यह कहना कि ९ महीने हो चुके यह कोई साधारण बात नहीं है। अगर सदन के सम्मानित सदस्यों में से किसी को एक महीने की भी तनख्वाह न मिले तो उन को परेशानी हो सकती है और वह जमींदार जो खर्च करने के आदी हैं और जिन पर फजूलखर्ची का दोषारोपण किया जा रहा है उन का आप खयाल करें कि क्या हाल होगा। उन के पास पहले से भी कोई चारा नहीं था कि उन्होंने इस दुर्दिन के लिये कोई पैसा जमा कर रखा हो। आप जानते हैं कि उन की जमींदारी

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

छीनी गई और उनको ९ महीने के लिये रिफ्यूजी की हालत में छोड़ दिया गया है और उनकी हंसी की जाती है कि ९ महीने पूरे हुये हैं। ऐसे वक्त में जमींदारों से दरयाफ्त किया जाय कि क्या हालत है कि जिन के दिल पर चोट पहुंचाई जा रही है और जिन के पास कोई जीविका उपार्जन का साधन नहीं छोड़ा गया है उन से मजाक किया जाता है कि अभी ९ महीने पूरे हुये हैं। बलिहारी है कि ऐसे ऐसे सज्जन यहां विराजमान हैं मैं तो ब्रीच आफ प्रिविलेज के डर से कुछ कहना नहीं चाहता हूं लेकिन हमारे जो समाजवादी दल के लोग हैं उनकी बात तो कुछ और ही है न तो उन की कोई नीति है और न वह अपने को समझ पाये हैं न कोई उनके सिद्धांत ही समझ में आते हैं। अगर कोई पार्टी है कि जिस की कोई निश्चित नीति है तो वह तो कांग्रेस फिलासफी ही है या गांधियन फिलासफी है या कार्ल मार्क्स ने जो कुछ कहा उस का सिद्धान्त है, लेकिन इन की तो कोई भी नीति नहीं मालूम होती है कि जिस पर कहा जा सके कि देश के लोगों को भरोसा करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—इस संशोधन से पार्टियों का कोई मतलब नहीं है, आप संशोधन के संबंध में ही बोलें।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—कारण यह है कि उधर से छींटेबाजी होती है तो इधर से भी कुछ बौछार होती है क्योंकि कुछ कहना तो चाहिये ही। राजा वीरेन्द्र शाह जी ने जो १०० एकड़ का संशोधन रखा है वह उचित बात है। जमीन ही एक साधन हमारा रह गया है जिस के द्वारा अब हम जीविकोपार्जन कर सकते हैं और अगर उन से वह भी अब इस तरह से ली जाती है तो न उन पर कुठाराघात की नीति का प्रयोग किया जाता है। आज क्या यही प्रगतिशील कदम है कि किसी तरह से बचे खुचे जमीदारों को हलाल कर दो। अगर आप इसी में जस्टिस समझते हैं तो बलिहारी है आप की। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि राजा साहब का संशोधन मान लिया जाय और टैक्स की लिमिट सौ एकड़ कर दी जाय और इस में किसी को कोई आपत्ति न होना चाहिये। जमींदारी तो ले ही ली गई है इस तरह से अब क्या काश्तकारी भी माननीय माल मंत्री जी के सुपुर्द कर दी जाय? इन थोड़े से शब्दों के साथ मैं राजा साहब के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वीरेन्द्र शाह जी और माननीय ब्रजवासी लाल दोनों के संशोधनों का विरोध करना चाहता हूं। श्री बीरेन्द्र शाह जी को जहां तक मैंने सुना और उन्होंने जो शिकायत की वह यह नहीं है कि ३० एकड़ की सीमा निर्धारित न की जाय बल्कि शिकायत उन की यह है कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने ९ महीने का ध्यान नहीं रखा।

मैं माननीय वीरेन्द्र शाह जी को विश्वास दिलाता हूं की हमारे राजस्व मंत्री से वह निराश न हों। माननीय राजस्व मंत्री जी हम समझते हैं कि एक एक दिन का हिसाब रखे होंगे और जिस दिन नौ महीने पूरे हो जायेंगे उस दिन मैं वह चूकेंगे नहीं अपने वादे को पूरा करने में। यह तो माननीय वीरेन्द्र शाह जी ही कह सकते हैं कि किस तारीख को नौ महीने पूरे हो सकते हैं। यह राजस्व मंत्री जी और माननीय वीरेन्द्र शाह जी के बीच की बात है। मैं नहीं कह सकता।

कहा यह कि तीस एकड़ की सीमा निर्धारित की जाय या नहीं। मैं समझता हूं कि सरकार ने एक बहुत ही सही कदम उठाया है। मैं माननीय वीरेन्द्र शाह जी से यह निवेदन करूंगा कि अगर वह भूल न रहे हों तो जमींदारी अबालिशन कमेटी जो बनी थी उसी के एक माननीय सदस्य वह भी थे और उस कमेटी की रिपोर्ट में यह बात लिखी हुई है और कुछ पश्चिमी देशों का उदाहरण भी दिया हुआ है। माननीय अध्यक्ष,

मैं आपकी आज्ञा से केवल उससे दो तीन देशों का उदाहरण दे देना चाहता हूं । जहां कहीं भी बड़ा खाता हुआ है वहां पर उनकी पैदावार धीरे धीरे कम होने लगी है। पन्ना ४७१, जमींदारी उन्मूलन समिति की रिपोर्ट का है, जहां से मैं उद्धरण कर रहा हूं। डेनमार्क में जो जांच की गयी थी उसका परिणाम यह था कि २५ एकड़ से कम के जो खाते थे उनकी २० पौंड एक शिलिंग प्रति एकड़ पैदावार थी । और २५ एकड़ से ५० एकड़ तक १५ पौंड ४ शिलिंग । फिर जैसे ही संख्या बढ़ती गयी, उपज कम होती गयी । फिर २५० एकड़ से ऊपर में १२ पौंड ४ शिलिंग की उपज रह गयी थी । उसी प्रकार स्विटजरलैन्ड में साढ़े सात एकड़ से साढ़े बारह एकड़ तक २२ पौंड ११ शिलिंग ७ पेंस, २५ एकड़ से ३७ एकड़ तक १७ पौंड १७ शिलिंग २ पेंस और ७५ एकड़ से ऊपर १३ पौंड १७ शिलिंग ७ पेंस। इसी प्रकार से इंग्लैन्ड के भी संबंध में लिखा हुआ है। दूसरे देशों के संबंध में भी यहां आंकड़े दिये हुये हैं। तो मैं समझता हूं कि यह विधेयक जो है वह ३० एकड़ से ऊपर खेती करने वालों को निरुत्साहित करता है कि तीस एकड़ से ज्यादा लोग खेती न रखें। चाहे वह घूम करके हो, सीधा न सही, मैं तो ऐसा भी समझता हूं कि टैक्सों से बचने की प्रवृत्ति सारे देश में है। टैक्स से बचने के लिये पिछले जमाने में भी बड़ी बड़ी तरकीबें निकाली जाती थीं। ऐग्रीकल्चरल इनकम टैक्स से बचने वालों के भी कुछ वाक़यात मालूम हैं। तो इसमें से एक बात यह भी हो सकती है कि ऐग्रीकल्चरल इनकमटैक्स से बचने के लिये तीस एकड़ से ऊपर की खेती निकालने की बात सोचें, हो सकता है कि जिनको हम भूमि देना चाहें उनको न मिल सके, वह अपने अजीज़ों को दे दें। लेकिन जिनके पास तीस एकड़ तक जमीन होगी उन्हें नहीं दी जा सकेगी, बल्कि उन्हीं को दी जा सकेगी जिनके पास तीस एकड़ से कम होगी। तो मैं समझता हूं कि यह बहुत सही क़दम है। इसका विरोध माननीय वीरेन्द्र शाह जी को इसलिये नहीं करना चाहिये कि यह देश के उत्थान का एक मार्ग है। यह हो सकता है कि माननीय वीरेन्द्र शाह जी को और हमको भी शिकायत हो कि सरकार को उससे जो रुपया मिलता है उसको खर्च करने का तरीक़ा आपत्तिजनक है। और वास्तव में वह आपत्ति जनक है। लेकिन आखिर रुपया इकट्ठा करने के जो जरिये हैं, उन जरियों को तो हमको देखना पड़ेगा और उनसे रुपया इकट्ठा करने की बात भी सोचनी पड़ेगी। रुपया दूसरे प्रकार से इकट्ठा नहीं किया जा सकता जब तक जो ज़रिये हैं वह न दें।

दूसरी तरफ मैं माननीय ब्रजवासी लाल जी का विरोध इसलिये करना चाहता हूं कि उन्होंने १५ एकड़ की बात कही है। १५ एकड़ की आमदनी कम होगी और मैं उनका ध्यान केंद्रीय सरकार के फैसले की तरफ दिलाना चाहूंगा जो केन्द्रीय सरकार ने आमदनी पर कर लगाया है। जहां तक मुझे स्मरण है ३,६०० रुपया वार्षिक आमदनी से ऊपर वालों पर लगाया है। तो बेहतर तो यह होता कि ३,६०० रुपया उत्तर प्रदेश की सरकार भी आमदनी रखती ताकि दोनों में सामंजस्य हो जाता। परन्तु यदि ३६,०० रुपया नहीं रखती है तो ३,००० रुपये की आमदनी पर उस ने रखा है, यह कोई बहुत बेमुनासिब बात नहीं है। लेकिन अगर तीन हज़ार से नीचे की आमदनी पर टैक्स लगाया जाय तो एक प्रकार से यह हो सकता है कि जो उपज बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है वह कम हो, और ऐसी हालत में १५ एकड़ पर कर लगाना मुनासिब नहीं है।

मैं तो माननीय ब्रजवासी लाल जी से एक बात और निवेदन करूंगा कि वह थोड़ा अपने स्वार्थ के ऊपर भी सोचें तो ज्यादा मुनासिब हो। हम लोग भी माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार की आमदनी वाले कर से बरी हैं। हम लोग जो इस सदन के माननीय सदस्य हैं, ये भी १५ एकड़ के ऊपर के खेती की आमदनी करते हैं। हम लोगों की जो वेतन की आमदनी है वह २४,०० रुपया की है। २४,०० रुपया पर हम कोई कर नहीं देते। तो मैं नहीं समझता कि २४,०० रुपया पर कोई कर न दे कर के २४,०० रुपया से नीचे जिनकी आमदनी है उनके लिये हम कर देने की बात कहें, यह मुनासिब बात नहीं है। इसलिये मैं उसका भी विरोध

[श्री गेंदा सिंह]

करता हूं रिषयूजी और बहुत सी बातें माननीय सदस्य ने अभी कहीं, उन सब चीजों पर अगर हम उनको उत्तर दें तो मुमकिन है उनको तकलीफ़ हो। हम जमीन में हैं या आसमान में हैं? हम तो कहते हैं कि हम जमीन पर हैं, जमीन देख कर चलते हैं और जमीन पर ही रहना चाहते हैं, लेकिन इस समय अगर हम यह कहें कि किसी जमाने में आसमान पर थे तो वह कहां तक उचित होगा? वह आज भी आसमान पर ही रहने का सपना देखते हैं, अगर मैं यह कहूं तो अत्युक्ति नहीं होगी, क्योंकि आज भी वह यही कह रहे हैं कि जमींदार, जमींदार, जमींदार। मालूम नहीं कितनी मर्तबा उन्होंने "जमींदार" शब्द को दोहराया है। मालूम नहीं कै महीने पहले जमींदार शब्द इस प्रदेश से समाप्त हो गया!

श्री चरण सिंह ---वही ९ महीने पहले।

श्री गेंदा सिंह---माननीय राजस्व मंत्री जी ने ध्यान दिलाया ९ महीने का। मुझे याद आ गया। ९ महीने पहले ही सही। ९ महीने पहले इस सदन ने नहीं, बल्कि सारे उत्तर प्रदेश ने "जमींदार" शब्द को और "जमींदारी" शब्द को समाप्त कर दिया। लेकिन क्या यह सही नहीं है कि वह आसमान में ही आज भी रहने की बात सोच रहे हैं "जमींदार, जमींदार" कह करके। मैं समझता हूं कि इससे न जमींदारों का भला होगा और न दूसरों का भला होगा। उनको जमींदार प्रवृत्ति को छोड़ करके किसी दूसरे प्रकार से देश के बारे में सोचना पड़ेगा, जैसा कि पिछले वर्ष बजट के सिलसिले में भाषण करते हुये माननीय वीरेन्द्र शाह जी ने इस बात को कहा था कि हम लोगों को त्याग और तपस्या की भावना से प्रेरित होकर अपनी तनख्वाह भी छोड़नी चाहिये और देश की तरक्की के काम में उसे लगा देना चाहिये। अब मैं सोचता हूं कि कहां तनख्वाह छोड़ देने की बात और कहां यह कि ३० एकड़ या ३० एकड़ से नीचे वालों पर कर लगाने की बात करना दोनों में कोई सामंजस्य नहीं बैठता। तो इस प्रकार मैं तो माननीय सदस्य से यह कहना चाहता हूं और उस समय भी मैंने कहा था कि माननीय सदस्य जो यहां बैठे हुये हैं उनको मोहताज बनाना हमारा काम नहीं है, हम चाहते हैं कि एक मनुष्य जिस तरह से गुजर करता है उसी तरह से वह गुजर करें। आज भी हमारा यह विचार है और इस-लिये मैं यह समझता हूं कि जो कर देने लायक़ हो, उससे कर लेना चाहिये लेकिन जो न देने लायक़ हो उससे कर नहीं भी लेना चाहिये। इसी तरह से माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक संशोधन था। समय शायद नहीं है, इससे शायद न आ पाये। मैं यह चाहता था कि ३० एकड़ जमीन में औसत पैदावार की बात रखी जाय कि औसत पैदावार हमारे प्रान्त भर की जो हो उस तरह से हिसाब लगायें। मैं तो समझता हूं कि सरकारी फार्मों में २३ मन फ़ी एकड़ पैदावार होती है। इटावा के पाइलट प्रोजेक्ट में भी २३ मन फी एकड़ पैदावार होती है। तो मैं तो यह सोचता हूं कि १५ मन फी एकड़ जहां की आराजी में पैदावार होती हो उसी को ३० एकड़ मानें और ३० एकड़, एकड़ को न मान कर ऐसी जमीन को मानें जिसमें १५ मन फी एकड़ पैदावार हो सके। तो इस बात पर माननीय राजस्व मन्त्री जी विचार करें लेकिन मैं उनके द्वारा जो विधेयक प्रस्तुत है उसकी धारा का सार्थन करता हूं और फिर मैं उम्मीद करता हूं माननीय वीरेन्द्र शाह जी से और माननीय ब्रजवासी लाल जी से, कि इस बातचीत को सुनने के बाद वह अपना संशोधन वापस ले लेंगे।

श्री रामनरेश शुक्ल---(जिला प्रतापगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गेंदा सिंह के भाषण को सुनने के बाद मेरी भी इच्छा हुई कि मैं कुछ इस सदन की सेवा में रखूं। जहां तक ९ या साढ़े ९ महीने का संबंध है मैं समझता हूं उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। उसकी गवाही माननीय गेंदा सिंह जी ही ले लें। एक बात मुझे जरूर प्रार्थना करनी है और वह यह है कि माननीय गेंदा सिंह जी ने एक नया सिद्धांत, एक नयी बात कही कि औसतन खेतों की आमदनी लगायी जाय और लग जाने के बाद अगर १५ मन फी एकड़ होता हो तब फिर उसे ३० एकड़ तक को माफ़ी होनी चाहिये, जहां तक मैंने उन्हें समझा है। मैं आप के द्वारा उनसे यह प्रार्थना

करना चाहता हूं कि वह यह सोचें कि यह प्रान्त कितना बड़ा प्रान्त है, यह प्रान्त न तो एक गांव है देवरिया का और न एक जिला है। इतना बड़ा प्रान्त है और इस सारे प्रान्त में खेती होती है। सब का हिसाब लगाया जाय और ऐसे अधिकारियों से लगवाया जाय अध्यक्ष महोदय, जिनके लिये गेंदा सिंह और उनके दल की सहानुभूति भी नहीं है। तो ऐसे अधिकारियों द्वारा उसका औसत लगवाया जाय और फिर उनको यह छूट दे दी जाय कि वह हिसाब लगा करके जिन खेतों को समझें उन्हें लिखें कि किन एरियाज में, किस गाव में २० मन फी एकड़ है, इससे ज्यादा है, या इससे कम है। तो अध्यक्ष महोदय जहां तक मुझे प्रत्यक्ष अनुभव है हम तो चाहें शिकायत करने में देर करें, सही शिकायत या ग़लत शिकायत, लेकिन दूसरी तरफ से १६ हजार दरख्वास्तें तो जरूर ही आ जायंगी और १६ हजार दरख्वास्तें इस क़िस्म की आयेंगी कि जिसका अगर हिसाब लगाया जाय ५ प्रतिशत तक सही उसमें शायद निकलें। तो इस दिक्क़त से अध्यक्ष महोदय, बचने के लिये और यह भ्रष्टाचार और यह दिक्क़तें जो पैदा होंगी तो मैं माननीय गेंदा सिंह से आप के द्वारा यह प्रार्थना करूंगा कि वह कहते तो जरूर हैं कि वह जमीन पर चला करते हैं लेकिन वास्तविकता में अगर देखा जाय तो वह जमीन से कुछ ऊंचे जरूर रहते हैं।

श्री गेंदा सिंह---लेकिन पैर जमीन पर रहते हैं।

श्री रामनरेश शुक्ल---और जमीन से ऊंचे जाने पर कुछ दिक्क़त पैदा हो जायगी। इसलिये मैं उसको बड़ा स्वाभाविक और बड़ा प्रैक्टिकल समझता हूं जो माननीय राजस्व मंत्री जी ने रखा है कि तीस एकड़ तक हम नहीं छूते चाहे उसमें कम पैदा हो चाहे उसमें ज्यादा पैदा हो...

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रामनरेश शुक्ल---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात पर अपने विचार प्रकट कर रहा था कि माननीय गेंदा सिंह जी ने यह कहा कि १५ मन फी एकड़ हिसाब लगाने के बाद, औसत लगाने के बाद २० एकड़ तक के ऊपर जो पड़ें उन पर टैक्स लगाना जरूरी है। मैंने उस संबंध में कहा था कि यह मुमकिन नहीं हो सकता है, इतने बड़े प्रान्त के सारे खेतों का हिसाब लगाना और हिसाब लगा कर के फिर उसके खाते बनाना और फिर उसके द्वारा कर वसूल करना, यही नहीं उसमें यह भी दिक्क़त होती जैसा हमारा मौजूदा समाज है कि अधिकारियों को यह मौका रहता कि वह उसमें कुछ गड़बड़ी करते। अलावा इसके एक बात और है कि यहां बहस इस बात पर भी की गयी कि ४० एकड़, ५० एकड़ या १५ एकड़ हो। यह बात सही है अपनी जगह पर और मैं उससे सहमत हूं कि माननीय गेंदा सिंह जी को रोशनी मिलती है इस बात से कि यह भूमि बटवारे की तरफ एक कदम है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर वह इस कांग्रेस सरकार की और योजनाओं को पढ़ें तो जिन चीजों का वह स्वप्न देखते हैं, और जब वास्तविकता की दुनिया में थोड़े दिन काम करने के बाद उस का फल आ जायगा तब उन्हें पता चलेगा और मैं जानता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि मेरे साथी श्री गेंदा सिंह जी निहायत ईमानदारी से चीजों को तौलते हैं और वह इस कहने से नहीं हिचकेंगे कि यह योजना सचमुच सही थी और भूमि का बंटवारा तो यों ही हो जायगा, आप जरा इंतजार कीजिये थोड़े दिन तक। जहां तक ३०,४०,५० एकड़ का संबंध है, मुझे इसको सुन कर ताज्जुब होता है कि मेरे साथी माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी को शिकायत है और शिकायत कुछ सही हो भी सकती है, मेरी सहानुभूति है उनके साथ। इधर से भी हमला होता है और उधर से भी हमला होता है। उपाध्यक्ष महोदय; उनका ऐसा स्थान है, ऐसी शकल है कि सब का जी चाहता है उनसे कुछ कहने और कुछ सुनने का और जहां तक मेरा संबंध है, मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि अब उन प्रश्नों से हम विचार नहीं करते हैं, जमींदारों के। अगर वह यह कहें कि उनके ऊपर हमला नहीं होना चाहिये, एकाध बार कोई कर लिया तो कर लिया वह दूसरी बात

[श्री रामनरेश शुक्ल]

है, उससे मैं सहमत हूं। लेकिन जब प्रान्त को पूरे तौर पर देखा जाय, कहीं यह नहीं है इस कानून के अन्दर कि जमींदार के पास अगर ३० एकड़ से ज्यादा है तो उस पर कर लगाया जाय। सही बात तो यह है कि जमींदारों के पास ३० एकड़ से ज्यादा ऊसर है। उन्होंने तो कभी काश्तकारी की नहीं। मुंशी जी लोग जो अब चले गये हैं उनकी बदौलत चाहे कुछ के पास रह गयी हो सीर नाम की चीज, लेकिन काश्तकारी थी नहीं, चलते चलाते ऊसर अपने नाम लिखा लिये। इस क़ानून के अन्दर यह है कि ३० एकड़ से ऊपर वह आमदनी को चैलेंज कर सकता है कि उससे ३,००० से ज्यादा आमदनी नहीं होती। उससे वह बच सकता है। मुझे माफ़ किया जाय, उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह विश्वास करता हूं कि चूंकि अब ४,२०० से ऊपर आमदनी पर इनकमटैक्स लगता है, इस प्रान्त के अन्दर जिसकी भी आमदनी किसी चीज से भी ४,२०० से कम हो उसे कोई टैक्स नहीं देना चाहिये। कोई काश्तकार जिसके पास १० या ५ बीघे हो उसे मालगुजारी से भी फ्री होना चाहिये। उसका कारण, आज नहीं तो कुछ दिन के बाद, यह होगा कि जब उनकी माली हालत ठीक हो जायगी, उस के बाद जब कोई दूसरे पेशेवाला ४,२०० तक पैदा करने पर इनकमटैक्स से फ्री है, तो काश्तकार जिसके पास १०,१५ बीघे हैं और उसकी आय ४,२०० से कम हो तो उससे क्यों कोई लगान लिया जाय? इस सिद्धांत को देखते हुये ३००० तक अभी यह आय है। यह रोशनी मैं माननीय गेंदा सिंह जी को दिखाना चाहता हूं। मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों मेरे मित्र अवधेश प्रताप सिंह जी को दिक्क़त हो रही है। अगर काश्तकारों को फ़ायदा हो तो आप को खुशी होनी चाहिये। इन बातों को सोचने और तौलने के बाद मैं तो इस नतीजे पर आता हूं कि यह ३० एकड़ की जो सीमा रखी गयी है यह बहुत सोच समझ कर रखी गयी है। इसको और घटाया गया है। जमींदारी उन्मूलन में ५० एकड़ तक एक आदमी रख सकता है, लेकिन जब माननीय राजस्व मंत्री जी ने कार्यभार सम्भाला तो उन्होंने सोचा कि ५० एकड़ कुछ ज्यादा न्यायसंगत नहीं है मुक्त करना कर से, और उसे ३० एकड़ तक ले आये। मैं चाहता हूं कि मेरे मित्र गेंदा सिंह इस प्रकाश को देखें। ग़लत रास्ता देखने से कोई लाभ नहीं होता है, कि भूमि का बटवारा दिखलायी पड़ रहा है। रास्ते तो वह हों जिनसे समस्या का हल भी हो जाय और किसी को दिक्क़त और तंगी भी न हो। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, जितने भी संशोधन हैं, मैं उन सबका विरोध करता हूं और १५ एकड़ की बात यहां कही गयी है। यह न जाने किस विचार से रख दिया गया है, क्या विचारधारा की ज़रूरत है या क्या लौजिक है और क्या उसके अन्दर मंशा है और क्या छिपी हुई मंशा है, वह मैं नहीं समझ पाता हूं। ४,२०० रुपये की आमदनी तक सब आदमियों को इंकमटैक्स से फ्री होना चाहिये और १५ एकड़ से ऊपर टैक्स लगना चाहिये यह मनोवृत्ति समझ में नहीं आती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो वह ख्वाब देख रहा हूं कि एक दिन आयगा जब इन्हीं राजस्व मंत्री द्वारा ४,२०० रुपया सालाना से कम आमदनी जिन खेतों की है उनको वह मालगुजारी से मुक्त करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं संशोधनों का विरोध करता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन, मैं आपकी आज्ञा से श्री वीरेंद्र शाह के संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जिस वक्त मैंने उनका भाषण सुना तो उसमें उन्होंने इसका कारण बतलाया और कहा कि चूंकि मंत्री जी ने ५० एकड़ से ३० एकड़ कर दिया है, इसलिये उनको एतराज है। नतीजा क्या हुआ, एक प्रतिक्रिया हुई। उन्होंने जब देखा कि माननीय मंत्री जी ने ५० से ३० कर दिया तो उन्होंने उसको बढ़ाकर १०० कर दिया। इसके पीछे जो उन्होंने तर्क दिये वह किसी प्रकार से न्यायसंगत दिखाई नहीं दिये। माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी ने जिस प्रकार से समझा कि समझते-समझते उन्होंने एक प्रावीजन की तरफ ध्यान आकर्षित कराया जिसमें उन्होंने कहा कि दूसरे प्रतिबन्ध में लिखा हुआ है कि:—

"Provided further that the State Government may, for specified areas, prescribe a higher limit for the area of land which may be cultivated by a person exempted from payment of tax under the first proviso."

[और प्रतिबन्ध यह भी है कि राज्य सरकार निर्दिष्ट क्षेत्रों में भूमि के क्षेत्र की ऐसी अधिक सीमा नियत कर सकती है, जो वह व्यक्ति जोत सके जिसको पहले प्रतिबन्धात्मक वाक्य खंड के अन्तर्गत कर के दायित्व से मुक्त किया गया हो।]

तो जब यह प्रतिबन्ध धारा ४ में है तो माननीय अवधेश प्रताप सिंह यदि सदन को इसे न सुनाकर माननीय वीरेंद्र शाह जी को सुना देते तो ज्यादा अच्छा होता क्योंकि उनकी भावना इसके अन्दर आजाती है। अगर कहीं पर वह आवश्यकता समझते हों कि किसी खास क्षेत्र के अधिकारी को विशेष समस्या का सामना करना पड़ रहा हो, या कोई अकाल की हालत पैदा हो गई हो या पानी की कमी की वजह से कोई विशेष परिस्थिति हो तो उसके अनुसार उनको माफी मिल सकती थी, छूट मिल सकती थी। इसमें तो १०० एकड़ से ऊपर भी गुंजायश है जहां कि माननीय वीरेंद्र शाह जी केवल १०० एकड़ की बात कह रहे हैं। ऐसी विशेष परिस्थितियों के लिये तो प्रतिबन्ध पहले ही से रखा हुआ है। यह मैं कहूंगा कि हमारे गेंदा सिंह जी और माननीय माल मंत्री जी की उदारता है कि वह इस प्रतिबन्ध को हटाने के लिये कोई संशोधन नहीं लाये। लिहाजा इसके रहते हुये उनके संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां तक श्री गेंदा सिंह जी के सुझाव का प्रश्न है तो उन्होंने सुझाव दिया था कि एग्रीकल्चरल इंकमटैक्स एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के साथ लिंक करना चाहिये। इस सुझाव के संबंध में माननीय शुक्ला जी को शायद गलतफहमी हो गई क्योंकि एक प्रकार से एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का संबंध इसी धारा में लिखा हुआ है। इसके स्पष्ट होने की आवश्यकता है। धारा ४ के पहिले हिस्से में कहा गया है कि:—

"Agricultural Income Tax shall be payable by a person whose total agricultural income of the previous year exceeds Rs. 3000 !-. or in the case of any society, trust or other association of individuals, such higher figure as may be prescribed."

[यदि किसी व्यक्ति की पूर्व वर्ष की पूर्ण कृषि आय ३००० रु० से अधिक हो या किसी सोसाइटी, ट्रस्ट या व्यक्तियों की अन्य संस्था की दशा में उसकी कृषि आय की संख्या उतनी और अधिक हो जैसी नियत की जाय, तो उस व्यक्ति को कृषि आय कर देना होगा।]

तो तीन हजार रुपये सालाना टोटल एग्रीकल्चरल इंकम टैक्स होना चाहिये।

श्री रामनरेश शुक्ल——३० एकड़ से ऊपर।

श्री नारायणदत्त तिवारी——वह तो है ही। तो टोटल ऐग्रीकल्चरल इंकम को अगर रुपयों में आंका जायगा तो उसका संबंध दो चीजों से होगा, एक तो बाजार भाव से और एक प्रोड्यूस से। तो जब तक प्रोड्यूस अच्छी नहीं होगी तब तक इंकम भी उतनी नहीं हो सकती। तो जहां पर टोटल ऐग्रीकल्चरल इंकम का सवाल है वहीं पर उसका संबंध प्रोड्यूस से है कि कितनी उस जोत में पैदावार होती है। तो माननीय गेंदा सिंह जी की मंशा केवल यह थी कि पैदावार की औसत स्थिति को देखते हुये अगर हम सिद्धांत को बिलकुल स्पष्ट कर देंगे तो वह एक अधिक मानवोचित और न्यायोचित आधार होगा। उनका कहना केवल यह था और इतने स्पष्टीकरण के बाद मुझे आशा है कि माननीय माल मंत्री इस सुझाव पर भी ध्यान देंगे।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)——उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष——प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इन दोनों सिद्धांतों का प्रश्न है, माननीय गेंदा सिंह जी ने भी, माननीय रामनरेश शुक्ल जी ने भी और दूसरे माननीय सदस्यों ने भी उसका विरोध ही किया है। तो जहां तक सिद्धांतों का प्रश्न है वह तो मानने योग्य है नहीं। लेकिन जो बातें माननीय गेंदा सिंह जी ने कही हैं और जिनका उत्तर माननीय रामनरेश जी ने दिया है उस संबंध में कुछ विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है। वह तो उन्होंने बिसाइड दि प्वाइन्ट बात कही, न तो उन्होंने कोई संशोधन उपस्थित किया है कि उस पर विचार किया जा सके। पैदावार वगैरह की जो भी बात उन्होंने कही उसका इस संशोधन से जो उपस्थित किया गया है उससे संबंध नहीं है। यहां जो संशोधन यह है कि बजाय ५० एकड़ के १०० एकड़ कर दिया जाय अथवा ५० एकड़ के बजाय १५ एकड़ कर दिया जाय। ये दोनों ही चीजें एक एक्सट्रीम को जाती हैं, न तो १०० करना मुनासिब है और न १५ करना मुनासिब है। इसलिये बजाय ५० के ३० एकड़ करना ही ज्यादा मुनासिब है, वह रास्ता ज्यादा अच्छा है जैसा कि विधेयक में सुझाव रखा गया है। इस विधेयक पर काफी प्रकाश डाला गया है, कई माननीय सदस्यों ने ३० एकड़ की संख्या को ही ज्यादा उचित समझा। उस के संबंध में जो दलीलें दी गयीं वह दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

माननीय वीरेंद्रशाह जी ने तो यह कहा था कि जो ऐग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स लगाया गया तो उस वक्त जो जमींदारों को आमदनी होती थी, काश्तकारों से जो लगान वगैरह वसूल करते थे उसका लिहाज कर के लगाया गया था पर अब वह हालत नहीं है, जमींदारी का खात्मा हो गया, जमींदारों की वह आमदनी नहीं रही। यह बात बिलकुल सही है कि जमींदारों का खात्मा हो गया और जमींदारों की जो लगान वगैरह से आमदनी होती थी वह अब नहीं रही। तो और काश्तकार जैसे पहले थे उसी श्रेणी में जमींदार भी अब आ गये। तो पहले भी जो काश्तकार अपनी भूमि से तीन हजार से ऊपर आमदनी करते थे उनको ऐग्रीकल्चरल इंकम टैक्स देना पड़ता था उसी तरह से अब वे जमींदार जिनके पास भूमि है उनकी अगर आमदनी तीन हजार से ऊपर होगी तो वे टैक्स को देने के जिम्मेदार होंगे। इस विधेयक में यह कहीं नहीं कहा गया है कि ३० एकड़ से ऊपर हो तो हर हालत में वे एग्रीकल्चरल इंकम टैक्स को देने के जिम्मेदार हैं। यह बात नहीं है। बल्कि ३० एकड़ से ऊपर हो तब भी अगर तीन हजार से अधिक की आमदनी होगी तभी वह टैक्स का देनदार होगा। माननीय वीरेंद्र शाह जी को जो शुबहा है वह सही नहीं है। वे समझते हैं कि अगर १०० एकड़ कर दिया जायगा तो कुछ बच जायगा लेकिन उनको यह समझना चाहिये कि तीन हजार की आमदनी पर लामुहाला वह टैक्स देने का अधिकारी हो जायगा और जब तक तीन हजार की आमदनी नहीं होगी तब तक टैक्स नहीं लिया जायगा। अतः उनका यह भ्रम मिट जाना चाहिये। ३० एकड़ का जो रकबा रक्खा गया है वह मुनासिब ही रक्खा गया है, आजकल के समय को देखकर ही रखा गया है। ३० एकड़ और तीन हजार की आमदनी गैरमुनासिब चीज नहीं है। अतः मैं समझता हूं कि माननीय सदन इस विधेयक का समर्थन करेगा।

राजा वीरेन्द्र शाह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं देखता हूं कि हमारे संशोधन के ऊपर सरकार की ओर से मंत्री जी ने जो उत्तर दिया उसमें उन बातों का जवाब बिलकुल नहीं दिया गया जिनकी वजह से हमने यह संशोधन इस सदन के सामने रक्खा था। हमने १०० एकड़ से ऊपर टैक्स लगाये जाने की बात कही थी उसकी उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। मैं आपके जरिये से उनसे यह पूछना चाहता हूं कि हमारी ओर से जो खास कारण या खास वजह बताई जाय उसका जवाब कम से कम हां या ना में अवश्य ही देना चाहिये। अगर वे चार्ज लेते हैं तो कम से कम कृपा करके जो कारण हम बताते हैं, जो अर्ज हम करते हैं उसका हां या ना में सही उत्तर तो दें। अगर वे कुछ उत्तर देते हैं तो ऐसा जनरलाइज कर के देते हैं कि उसका कुछ मतलब ही समझ में नहीं आता। हमने कहा था कि जमींदारों की जो वर्तमान दशा है उसको ध्यान में रखते हुये सरकार को इस पर गौर करना चाहिए। लेकिन उसका आपने

कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने केवल कहा कि हां जमींदारी खत्म हो गयी, ठीक ही हुआ, उपेक्षा की कोई बात नहीं है, ३ हजार से ऊपर टैक्स लगेगा। यह कोई संतोषजनक उत्तर नहीं हो सकता। मैं फिर आपके जरिये से सरकार से कहना चाहता हूं कि टैक्स के बिना सरकार नहीं चलती। टैक्स लगाया जाय, मैं उसका विरोध नहीं करता। मगर मेरा कहना यह है कि इस वक्त नयी-नयी कठिनाई हम लोगों पर पड़ी हैं उसके लिये सरकार ने कोई प्रबन्ध किया होता। जो मुआविजा मिलने वाला है उसके बारे में, या फारमों के बारे में हमें कोई रिआयत दी होती। लेकिन उधर सरकार ने नहर के रेट्स भी बढ़ा दिये हैं, वह भी दुगने हो गये हैं। इसलिये अगर इस पर कोई ऐतराज करते हैं तो खामख्वाह की बात मालूम होती है।

कमला सिंह जी ने यह फरमाया है कि, यह राजाओं की बात है। राजाओं की बात अब कहां है। अब तो कांग्रेस राजा है या वकीलों की आजकल मान्यता है। कभी इधर हो गये और कभी उधर हो गये। कभी कांग्रेस में हो गये और कभी सोशलिस्ट पार्टी में, जिधर भी वकीलों को अपना मामला जान पड़ा उधर ही गये इसलिये राजाओं की बात कहना कोई तुक नहीं। गेंदा सिंह जी को भी मैं बहुत धन्यवाद दूंगा उनसे एक चीज जरूर सीखना चाहता हूं जिसके न होने से हम लोगों की सुनवाई यहां नहीं होती। जब देवरिया में अकाल पड़ा और जिस तरह से भाव दिखाकर उन्होंने गवर्नमेंट से ५० लाख के करीब ऐंठ लिया। यह कहा कि वहां ऐसी भुखमरी हो रही है। मैं यह नहीं कहता कि उन्होंने जो कुछ कहा सब असत्य था, बहुत सी बातें सत्य भी थीं। लेकिन ऐसा दृश्य दिखालाया कि श्रीमान् मुग्ध हो गये और वहां के लिये ज्यादा से ज्यादा रुपया ले लिया और उससे भी ज्यादा काम करने लगे। तो मैं आपसे क्या अर्ज करूं? जमींदारों के बारे में बार बार कहा जाता है कि जमींदारों का नाम लेना ठीक नहीं है। यदि जमींदारी प्रथा खत्म हो गयी तो जमींदार तबका तो खतम नहीं हुआ। वह तो आज भी मौजूद है चाहे उसे एक्स जमींदार ही कहें। जैसे एक्स हिज हाइनेस हैं, एक्स महाराजा हैं उसी तरह से एक्स जमींदार भी हैं। तो अगर कोई अपने को जमींदार नाम से कहता है तो उसमें बुरा मानने की क्या बात है। मैं आपसे कहता हूं कि यह लोगों की गलत भावना हो गयी है। हम आपकी मनोवृत्ति को देखते हैं तो समझते हैं कि आपको अपनी मनोवृत्ति बदलनी चाहिये। अगर आप यह समझते हैं कि यह जनहित में कार्य हुआ तो इसका यह मतलब नहीं है कि जनहित में यह भी कार्य हो कि लोग तड़प रहे हों, उन्हें कोई तकलीफ हो और जब उनके बारे में कोई चीज कही जाय तो यह कहा जाय कि आप तो सब पुरानी बातें कहते हैं, आप तो जमींदारों की बातें कहते हैं। यह कोई चीज नहीं है। श्रीमन्, यहां जो वास्तविकता हो, जो असलियत हो उसकी बातचीत होनी चाहिये। मैं सब सदस्यों से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप जब कभी विचार करें तो इस वजह से न विचार करें कि चूंकि ये एक्स जमींदार हैं लिहाजा जो कुछ बातें कर रहे हैं वे जमींदारों के लिये कर रहे हैं। मैं भी यहां सबका नुमाइन्दा होकर आया हूं चाहे वह जमींदार हों, किसान हों, मजदूर हों, शहर वाले हों या गांव वाले हों। इस वजह से मैं आपके जरिये सरकार से पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि इस वक्त आप ६ महीने के लिये ३० एकड़ करने की बात छोड़ दीजिये। इससे भ्रम यह होगा कि बहुत से वे आदमी जिनके पास ३० एकड़ है और उनकी आमदनी ३ हजार से ज्यादा नहीं होती है वे पकड़े जायेंगे। अगर आप ५० एकड़ की बात मान लें तो मैं अपना संशोधन वापस ले लूंगा और यह समझूंगा कि न्याय हुआ है और इससे सबका कल्याण होगा। अगर सरकार ५० एकड़ मान ले तो मैं आपकी आज्ञा से अपना यह संशोधन वापस लेना चाहता हूं।

श्री ब्रजवासीलाल--उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गेंदा सिंह जी ने आज एक नयी बात इस सदन में कही कि माननीय राजस्व मंत्री के बनाये हुये विधेयक को उन्होंने बहुत अच्छा समझा है। लिहाजा मैं अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया)

श्री चरण सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि मेरी मंशा यह है कि यह विधेयक बहुत जल्द से जल्द पास हो जाय इसलिये मैं बहुत मुख्तसरन जो राजा साहब की शिकायत है उसे मिटाने की कोशिश करूंगा। वह यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से तुकी बे तुकी तो यह नहीं हो सकता कि युक्ति संगत जवाब न दिया जाय। जवाब किस चीज का दिया जाय? सिर्फ यह कहा गया है कि जमींदारों को बड़ी तकलीफ है, जमींदारी खतम होने के बाद मुआविजा भी नहीं मिला है, अन्तरिम कम्पेन्सेशन का भी पता नहीं है मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जहां तक अंतरिम मुआविजे या प्रतिकर के मिलने या न मिलने का सवाल है वह आज की तारीख में नहीं उठ सकता। इसलिये कि अभी ९ महीना बीता भी नहीं है। कल से ९ महीना एक दिन हो जायगा। उम्मीद तो ज्यादा दिन की भी रखनी चाहिये। ९ महीने के बाद अगर ८, १० रोज तक भी कुछ नतीजा न निकले तब कुछ शिकायत हो सकती है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। दरअसल कई रोज पहले ही यहां से अहकाम जारी हो चुके हैं लैन्ड रिफार्म कमिश्नर के नाम और जिलाधीश को आदेश दिये जा रहे हैं कि वे नियम के अनुसार पिछले जमींदारों को अंतरिम कम्पेन्सेशन अदा कर दें और यह भी कि जिन जमींदारों ने अब तक अपनी मालगुजारी १३५९ रबी का भी बेबाक नहीं किया है, ऐसे कुछ जमींदार हैं और ताज्जुब की बात यह है कि जो ऐसे कुछ हैं उनमें बड़े-बड़े जमींदार ही हैं तो उनकी उस मालगुजारी को मिनहा कर लिया जाय इस इंट्रीम कम्पेन्सेशन में और कहीं तकावी की कोई किस्त बाकी हो गई है जो कि जमींदार से वसूल करनी है गवनमेंट को तो बजाय इसके कि पहले तकावी वसूल की जाय एक हाथ से और दूसरे हाथ से इंट्रीम कम्पेनसेशन दिया जाय तो इस तरह की तकावी की किश्त को भी उसमें मुजरा कर लिया जाय, इस तरह के आदेश कानून के मुताबिक जारी हो चुके हैं। तो इस सिलसिले में कोई शिकायत होनी नहीं चाहिये। जहां तक यह कहा गया कि जमींदारी खत्म हो गई लेकिन जमींदारी वर्ग कायम है यह राजा साहब को थोड़ा सा भ्रम है। जमींदारों का वर्ग भी खत्म हो गया है और जमींदारी भी खत्म हो गई है। जमींदार वर्ग इस तरह खत्म हुआ कि वह आगे को शोषण नहीं कर सकेंगे, वह भूमिधर हो गये। हमने जमींदार की तारीफ यह की थी कि जो दूसरे का शोषण करता हो जो मध्यवर्गी हो। अब जो जमींदार हैं वे किसान होकर रहेंगे, उनको मेहनत करनी पड़ेगी। वह भूमिधर हो गये लिहाजा जमींदार वर्ग इस स्टेट के अन्दर नहीं रहा और इस तरह की बात करना कि जमींदार वर्ग है इससे थोड़ी सी गलतफहमी होती है। जहां तक कि जमींदारों की तकलीफ की बात है जैसा मैंने पहले अर्ज किया कि किसान जो थे उनकी जमीन उनके कब्जे में रहेगी। उनको कोई तकलीफ का सवाल उठता नहीं। इसलिये कि ९५ फीसदी जमींदार ऐसे हैं जो कि ३० एकड़ से भी कम की खेती करते हैं। वह भूमिधर हो गया है तो उसकी तकलीफ का सवाल पैदा नहीं होता। उनको पहले भी कोई बड़ा आराम नहीं था। जैसे पहले थे वैसे अब रहेंगे। इस बिल की वजह से या जमींदारी खत्म होने की वजह से उनके जीवन पर कोई असर नहीं पड़ता। जमींदारी एबालीशन कमेटी की रिपोर्ट जिल्द दो में जो नक्शा दिया हुआ है उसमें २५ एकड़ से जो बड़े खातेदार हैं उनकी तादाद १ लाख १४ हजार है। कई हजार ऐसे होंगे जो २५ एकड़ और ३० एकड़ के बीच में जिनके खाते होंगे। ३०, ४० हजार के करीब ऐसे खाते होंगे। कुल ७० हजार बमुश्किल तमाम ऐसे खाते होंगे जो ३० एकड़ से ज्यादा हों बल्कि मैं समझता हूं कि ७० हजार से कम ही होंगे, मुमकिन है ५०, ६० हजार हों। जितना रकबा ऊपर को बढ़ता जाता है उतनी तादाद कम होती जाती है और २५, ३० के बीच में खाते कहीं ज्यादा हैं। किसान या एक्स जमींदार जो एग्रिकल्चरल इनकमटैक्स ऐक्ट ऐज अमेंडेड की जद में आवेंगे औसतन जो ४० एकड़ से नीचे की काश्त करते हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ता है क्योंकि हमारे यहां सर्किल रेट ५ रुपये पर एकड़ है। ६ रुपये भी अगर लगा लें लेकिन जब हमने उसको यह आप्शन दिया है कि अगर जो किसान की वाकई आमदनी है उस पर वह नहीं लगवाना चाहता है और किसान समझता है कि उसको नुक्सान है तो उसको यह मौका हासिल है कि वह अपनी आमदनी इस हिसाब से जुड़वा ले यानी साढ़े १२ गुना सर्किल रेट से। एक एकड़ की आमदनी साढ़े १२ को ६ से

जरब कर दिया जाय तो ७५ रुपये आयेंगे और ४० में ७५ का जरब दें तो ३ हजार आयेगा। इस तरह से ४० एकड़ तक जो खेती करते हैं उन पर किसी किस्म का टैक्स नहीं लगेगा लेकिन अगर जमीन बहुत अच्छी है और ७, ८ रुपये फी एकड़ सर्किल रेट बैठता है तो बेशक उस पर लग सकता है, लेकिन ३० एकड़ से नीचे वाले किसी किसान पर तो किसी किस्म का टैक्स लगेगा ही नहीं सिवा इस सूरत के कि जो उसका अधिवासी हो उससे ५० रुपये या ५० रुपये से ज्यादा लगान मिल रहा हो। तो राजा साहब का जो खतरा था कि ३० एकड़ से नीचे वालों पर टैक्स लग जायगा तो वह नहीं लगेगा सिवा एक सूरत के जिसको मैंने अर्ज कर दिया। ३० एकड़ पर लें तो जैसा मैंने अर्ज किया उनको आप्शन है एक्चुअल प्रोड्यूस पर वह लगवा लें।

लड्डू उनके दोनों हाथ में है। जिसमें उनको फायदा दिखता हो वह अख्तियार कर लें। अब बुन्देलखंड में २ एकड़ का एक एकड़ माना जाता है तो वह तो दफा ५ या ४ के दूसरे प्राविजों में पहले भी नियम था और उस में कोई संशोधन तो हुआ नहीं है और वह उस नियम के हिसाब से बढ़ जायगा।

१५ एकड़ वाला संशोधन ब्रजवासी लाल जी ने वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि तीन हजार का मुनाफा १५ एकड़ के काश्त से आम तौर पर नहीं होता। हम नेट इन्कम पर लगाते हैं। नेट इन्कम का अन्दाजा यह है कि ७५ रुपये प्रति एकड़ औसतन होता है। तो इस हिसाब से १५ एकड़ से आमदनी तीन हजार से कम होता है।

एक मित्र ने यह जिक्र किया कि सेंट्रल इन्कम टैक्स की लिमिट ३६ सौ से बढ़कर अब ४,२०० हो गई है। तो बेहतर तो यह होता कि यह भी लिमिट बढ़ा दी जाती। तो अगर इस हिसाब से देखा जाय तो बेहतर तो यह होता जैसा राजा साहब ने कहा था कि अगर कोई टैक्स न लगता तो लोग बड़े सुखी होते। लेकिन टैक्स के बिना काम नहीं चलता। गांव के रहने वाले जिसकी आमदनी तीन हजार होती है वह सब आसायश वैसे ही हासिल करता है जो शहर का रहने वाला ४२ सौ में प्राप्त करता है। इसलिये तीन हजार रुपये कोई लो लिमिट नहीं है, मुनासिब है और पहले से चली आ रही है। कोई नई बात नहीं की जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट ने ३६ सौ से ४२ सौ कर दिया तो उनका बजट इस तरह की सहूलियतें देने की इजाजत देता है लेकिन हमारा बजट इत्तिफाक से ऐसी इजाजत नहीं देता। फिर इसके बाद टैक्स से देश गरीब होगा या अमीर। इस बहस में मैं इस समय पड़ना नहीं चाहता लेकिन वाक्या यह है कि रुपया अगर अपने प्रदेश से बाहर खर्च न हो, हस्ब हैसियत लोगों से लिया जाय और उसका सदुपयोग किया जाय तो चाहे कितना ही टैक्स बढ़ जाय प्रदेश गरीब होने वाला नहीं है। वह रुपया उसी खेत में किसी न किसी रूप में जुड़ता जायगा; इन शब्दों के साथ मैं राजा साहब के संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ४ की पंक्ति २ में शब्द और संख्या "५० एकड़" के स्थान पर "१०० एकड़" रखा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

५---मूल अधिनियम की धारा ४ के बाद निम्नलिखित नयी धारा ४-क के रूप में बढ़ा दिया जाय---

संयुक्त प्रांतीय ऐक्ट सं० ३, १९४९ ई० में धारा ४-क का बढ़ाया जाना।

"क---कर-निर्धारण के प्रयोजनों के लिये किसी व्यक्ति विशेष (Individual) की पूर्ण कृषि-आय की गणना करने में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जायगा ---

(क) ऐसे व्यक्ति विशेष (such individual) की पत्नी या उसके अवयस्क संतान की पूर्ण कृषि-आय का उतना भाग जो प्रत्यक्ष या परोक्ष (directly or indirectly) रूप से निम्नलिखित से मिलता हो ---

(१) ऐसी सम्पत्ति (assets) जो यथोचित प्रति-फल (adequate consideration) या पृथक् निवास के अनुबंध (agreement to live apart) के आधार पर हस्तांतरित न होकर किसी अन्य प्रकार से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, पत्नी को उस के पति द्वारा हस्तांतरित की गयी हो,

(२) ऐसी सम्पत्ति जो यथोचित प्रतिफल के आधार पर हस्तांतरित न होकर किसी अन्य प्रकार से, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, ऐसे व्यक्ति विशेष द्वारा अपनी अवयस्क संतान को, जो विवाहिता पुत्री न हो, हस्तांतरित की गयी हो,

(ख) किसी व्यक्ति (person) की पूर्ण कृषि-आय का उतना भाग जो ऐसे व्यक्ति विशेष (such individual) द्वारा अपनी पत्नी या अवयस्क संतान या दोनों के लाभ के लिये यथोचित प्रतिफल के आधार पर हस्तांतरित न होकर किसी अन्य प्रकार से हस्तान्तरित की गयी सम्पत्ति से मिलता हो।

श्री रणंजय सिंह---श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं यहां पर यह प्रस्ताव रखता हूं कि खंड ५ में प्रस्तावित नयी धारा ४-क की उपधारा 'क' के भाग १ की पंक्ति ४ व ५ में शब्द "द्वारा" तथा शब्द "हस्तांतरित" के बीच में शब्द "पूर्व वर्ष में" बढ़ा दिये जायं।

श्रीमन्, मेरा अभिप्राय इस संशोधन से यह है कि इसमें जो बात रखी गयी है उसमें 'पूर्व वर्ष' बढ़ा देने से काफी झगड़ा मिट जाता है। उदाहरण के रूप में जैसा कि ऐसी सम्पत्ति जो पति द्वारा पत्नी को हस्तांतरित की गयी हो उसका झगड़ा समाप्त हो जायगा। इस पर मैंने सामान्य विवाद के समय निवेदन किया था और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है फिर भी यह बात विचारणीय है कि यदि कहीं पर बटवारा हुआ है और पत्नी के हिस्से में कुछ जमीन आयी है तो वहां पर बिला वजह के पति को पत्नी का टैक्स देना पड़ेगा। यह किसी तरह से उचित नहीं होगा। मैं इस बात को मानता हूं कि बहुत से लोगों ने ऐसी चालाकी की है लेकिन फिर भी ऐसे मामले हैं कि जो वास्तव में बटवारे हुये हैं उनको भी इसके अन्दर आ जाना पड़ेगा। जिन लोगों ने चालाकी से बटवारा किया है अगर उनसे टैक्स लिया जाय तो कोई बात नहीं है, परन्तु मैं यह देखता हूं कि इसमें स्पष्टीकरण की आवश्यकता है कि वह बटवारा जिस दृष्टि से किया गया है और अगर वह किसी समय बहुत पहले हो चुका है और अगर उन सम्पत्तियों पर भी कर लगाया जाता है जिनका कि इससे संबंध नहीं था और वह बहुत पहले हो चुके थे तो यह उचित नहीं होगा। इसके लिये स्पष्टीकरण की आवश्यकता है कि यदि पति द्वारा बटवारा किया गया है और वह बहुत पहले किया गया है तो उस भूमि पर कर नहीं लिया जायगा। अगर उस भूमि के लिये भी लागू कर दिया जाता है कि टैक्स लिया जाय तो उस पत्नी की भूमि से पति का कोई संबंध नहीं है और उसकी आमदनी भी उसके पास नहीं आती है तो नाहक में उसको वह कर देना पड़ेगा। तो इसके लिये

यह स्पष्टीकरण जरूरी है । कहीं-कहीं पर ऐसा हो सकता है क्योंकि हमारे समाज की कुरीतियों के कारण ऐसा कहीं पर हुआ हो यह संभव हो सकता है। किन्तु यदि कहीं पर बटवारा हुआ है और वह वास्तविक बटवारा हुआ है तो ऐसी अवस्था में आवश्यक मालूम पड़ता है कि इस संशोधन को स्वीकार किया जाय । मैं राजस्व मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि यदि मेरे इन शब्दों को इसमें जोड़ दिया जाय तो इससे स्पष्टीकरण साफ हो जायगा और जो इसका भाव है उसमें किसी तरह से कोई अन्तर नहीं पड़ता है और इससे सहायता मिलेगी । इसलिये मैं केवल इतने शब्दों के साथ सदन का अधिक समय न लेता हुआ माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करें ।

श्री उपाध्यक्ष—मैं यह उचित समझता हूं आगे के कार्यक्रम को देखने से कि उनके नाम से आगे जो संशोधन हैं उनको भी वह इसके साथ ही उपस्थित कर दें। यदि आपका यह संशोधन मंजूर नहीं हुआ तो फिर आगे चलना मुश्किल हो जायगा । इसलिये मैं इन तीनों संशोधनों को एक साथ पेश करने की आपको इजाजत देता हूं।

श्री रणंजय सिंह—मैं आपको इसके लिये धन्यवाद देता हूं क्योंकि इसमें यह सुविधा हो जाती है कि सदन का समय बच जाता है इसलिये यह समझ लिया जाय कि यह युक्तियां जो मैंने दी हैं वह मेरे सभी संशोधनों के लिये समझी जायं । अब मैं प्रार्थना करूंगा कि इसमें "पूर्व वर्ष में" बढ़ा दिया जाय क्योंकि इससे जरा स्पष्टीकरण हो जाता है। आशा है माननीय राजस्व मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं खंड ५ के संबंध में आप के द्वारा माननीय मंत्री जी से कुछ निवेदन करना चाहता हूं । मेरे खयाल में खंड ५ में वैधानिक बाधा है और संभव है कि यह हमारे सदन के अधिकार के बाहर भी हो। मैं कुछ बातें सदन के सामने रखना चाहता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी उन पर विचार करेंगे। इस खंड में जो ४—क रखा गया है उसका अभिप्राय यह है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी स्त्री या अपने बच्चे के नाम कोई जायदाद ट्रांस्फर करता है और जिसका यथोचित प्रतिफल नहीं है यानी कानूनी कन्सीडरेशन नहीं है तो वह उसकी जायदाद समझी जायगी और उस पर एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स लगेगा । श्रीमन्, मैं निवेदन करूंगा कि ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट में दफा १२२ में · · · · ·

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान २२ नम्बर के संशोधन की ओर दिलाना चाहता हूं । अगर माननीय सदस्य को उसे देखने का मौका मिलेगा तो शायद उनको इस प्रकार के एतराज का मौका न रहेगा ।

श्री शिवनाथ काटजू—तो दफा १२२ के अन्तर्गत यह स्पष्ट है कि यदि कोई व्यक्ति गिफ्ट करना चाहे तो वह कानून जायज होगा और उसके अन्दर कन्सीडरेशन का कोई सवाल पैदा नहीं होता इसलिये इस खंड के अनुसार यदि कोई गिफ्ट किया गया तो वह इस खंड के अनुसार नाजायज होगा। अब प्रश्न यह होता है कि ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट सेंट्रल ऐक्ट है और केन्द्रीय धारा सभा का ऐक्ट है और यदि कोई कानून ऐसा बनाते हैं जो केन्द्रीय धारा सभा के विपरीत जाता है तो वह संविधान की २५१ वीं धारा के खिलाफ जायगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान संविधान के आर्टिकिल २५५ की ओर दिलाऊंगा उसमें यह स्पष्ट है कि यदि कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जोकि पार्लियामेंट के ऐक्ट के विपरीत होता है तो वह कानून नाजायज होगा। २५४ आर्टिकल के अन्दर यदि कोई मामला कांकरेन्ट हो तो स्टेट लेजिस्लेचर को अधिकार है कि वह प्रेसीडेंट की स्वीकृति से ऐसे नियम बना सकते हैं। लेकिन जहां तक एग्रीकल्चरल टैक्स का संबंध है वह कांकरेंट

[श्री शिवनाथ काटजू]

लिस्ट में नहीं आते और स्टेट लिस्ट में आते हैं। इसलिये आर्टिकिल २५४ उसमें लागू नहीं होगा और वह २५१ आर्टिकिल के अन्तर्गत आ जायगा। ऐसी हालत में अगर कोई गिफ्ट करेगा तो वह एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स के लिये नाजायज हो जाता है लेकिन कानूनी स्थिति यह होगी कि वह गिफ्ट जायज होगा लेकिन टैक्स लगाने के संबंध में आप कहेंगे कि हम इसको नहीं मानते और फिर एक वैधानिक और कानूनी संकट उत्पन्न हो जायगा और मेरा ख्याल है कि ऐसी स्थिति आ सकती है जब कि यह पांचवां खंड वैधानिक न माना जाय और हो सकता है कि अल्ट्रावायरस करार दे दिया जाय। इसलिये इस पर अभी गौर करने की आवश्यकता है। यह सही है कि कोई व्यक्ति अगर स्त्री या बच्चे को कोई जायदाद देता है और वह कानून के अन्दर आता है और गिफ्ट जैसी कि उसकी डेफिनिशन है उसके अन्दर आता है तो आप उसको यहां नाजायज नहीं कर सकते। मूल एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स, १९४८ के अन्दर इनकम टैक्स की डेफिनीशन वही रखी गई है जो कि इनकम टैक्स ऐक्ट में है और इनकम टैक्स ऐक्ट में भी अगर कहीं जायज ट्रांस्फर है तो वह ट्रांस्फर जायज माना जायगा और उसको उस व्यक्ति की आमदनी में नहीं शामिल किया जायगा। तो मैं निवेदन करूंगा कि इस बात पर मंत्री जी विचार करेंगे और देखेंगे कि इसमें वैधानिक संकट तो नहीं है।

श्री अवधेश प्रताप सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय काटजू जी ने जो कहा है वह बिलकुल उचित है। अगर हम कांस्टीट्युशन के आर्टिकल १९ (एफ) को देखें तो उसके अनुसार किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार होगा कि वह अपनी जायदाद को जिस तरह से चाहे डिस्पोज आफ कर सकता है और अगर ट्रांस्फर आफ प्रापर्टी ऐक्ट के मुताबिक गिफ्ट किया है तो किसी रूप से अवैधानिक नहीं कहा जा सकता। साथ ही गिफ्ट किसी कंसीडरेशन के लिये हो ही नहीं सकता। अगर कंसीडरेशन के लिये है तो वह गिफ्ट असल में है ही नहीं।

इसके अलावा श्रीमन्, ट्रांसफर आफ़ प्रापर्टी ऐक्ट सेंट्रल ऐक्ट होने की वजह से इस विधान सभा को कोई अधिकार नहीं है और न हमारे मौलिक अधिकारों पर ऐसी अनरीजनेबिल इंस्ट्रक्शन लग सकती है जिससे कि हमारे मौलिक अधिकारों पर, किसी प्रकार कुठाराघात हो। आर्टिकिल १३ को भी देखते हुये ऐसा नियम जो बनाया जायगा वह अवैधानिक होगा।

श्रीमन्, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसको अवैधानिक घोषित करके सदन के समक्ष उपस्थित न होने दिया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आश्चर्य हुआ जब माननीय शिवनाथ काटजू जी ने इस खंड के विरोध में एक विधान की धारा २५४ का हवाला दिया।

श्री शिवनाथ काटजू--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने विरोध नहीं किया। मैंने कुछ निवेदन किया था।

श्री नारायणदत्त तिवारी--अगर जो माननीय मंत्री जी ने रखा है वह विधान के विरुद्ध है तो वास्तव में एक प्रकार का विरोध ही होता है। अगर निवेदन किया तो विधान के संबंध में किया। मैंने उनके कहने का मतलब यही समझा कि जो नया खंड है यह विधान की धारा २५४ के विपरीत जाता है। क्योंकि ट्रांस्फर आप प्रापर्टी ऐक्ट की धारा के विपरीत है। यह तो उन्होंने कहा ही कम से कम। लेकिन अगर माननीय काटजू साहब धारा २५४ की उपधारा को अगर ध्यानपूर्वक पढ़ें तो उन्हें ज्यादा शंका नहीं रह जायगी।

श्री शिवनाथ काटजू--उसका स्टेट लिस्ट से संबंध है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--उसमें लिखा है--

"Where a law made by the Legislature of a State specified in Part A or B of the First Schedule with respect to one of the matters enumerated in the Concurrent List contains any provision repugnant to the provisions of an earlier law made by Parliament or an existing law with respect to that matter, then, the law so made by the Legislature of such State, shall, if it has been reserved for the consideration of the President and has received his assent, prevail in that State."

[जहां [प्रथम अनुसूचि के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित राज्य के विधान मंडल द्वारा निर्मित विधि में, जो समवर्ती सूचि में प्रगणित विषयों में से एक के बारे में है, कोई ऐसा उपबंध अन्तर्विष्ट हो जो संसद द्वारा पहिले निर्मित की गई विधि के अथवा उस विषय के बारे में किसी वर्तमान विधि के, विरुद्ध है तो ऐसे राज्य के विधान मंडल द्वारा उस प्रकार निर्मित विधि उस राज्य में अभिभावी होगी यदि उसको राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित किया गया है और उस पर उसकी अनुमति मिल चुकी है।]

अब माननीय काटजू साहब ने एक नयी चीज रखी है कि उसका स्टेट लिस्ट से संबंध है। तो वह बतायें अधिकार कहां से नहीं रहता जिसके अनुसार उनको ऐतराज है।

श्री शिवनाथ काटजू--४६।

श्री नारायणदत्त तिवारी--दूसरी चीज माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी ने कही कि विधान की धारा १९ (एफ) के अनुसार हर एक व्यक्ति को अधिकार है कि वह अपनी संपत्ति अक्वायर, होल्ड और डिस्पोज करे। तो माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी का ध्यान उसी १९ (एफ) की उपधारा (५) की तरफ दिलाना चाहता हूं।

"19 (5) Nothing in sub-clauses (d), (e) and (f) of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the State from making any law imposing reasonable restrictions on the exercise of any of the rights conferred by the said sub-clauses either in the interests of the general public or for the protection of the interests of any Scheduled Tribe."

[(५) उक्त खंड के उपखंड (घ), (ङ) और (च) की कोई बात उक्त उपखंडों द्वारा दिये गये अधिकारों के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों के अथवा किसी अनुसूचित आदिम जाति के हितों के संरक्षण के लिये युक्तियुक्त निर्बन्धन जहां तक कोई वर्तमान विधि लगाती हो वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव, अथवा वैसे निर्बन्धन लगाने वाली कोई विधि बनाने में राज्य के लिये रुकावट न डालेगी।]

तो यह रीजनेबिल रेस्ट्रिक्शन ही है जनरल पब्लिक की स्थिति को देखते हुये उनके लिये। तो माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी का जो एतराज १९ (५) के अन्दर था वह भी विधान के अनुकूल नहीं है। मुझे आशा है कि अब माननीय काटजू तथा माननीय अवधेशप्रताप सिंह जी इस विधान की धारा के संबंध में जो ऐतराज है कम से कम उसको उपस्थित नहीं करेंगे।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो वैधानिक आपत्ति उठाई गयी है, मैं समझता हूं इसमें कोई वैधानिक आपत्ति का प्रश्न नहीं उपस्थित होता। वैधानिक आपत्ति ठीक बैठती नहीं। कांस्टीट्युशन की धारा २५१ और २५४ का जो हवाला दिया गया इसके द्वारा यह बात कही गयी कि जो सेंटर का ऐक्ट है अगर उसके विरोध में कोई ऐक्ट बनता है तो वह ऐक्ट हमारे लेजिस्लेचर के संविधान के प्रतिकूल न होने की वजह से ठीक नहीं होगा। तो यहां जो धारा ५ के जरिये से संशोधन किया गया है इसमें

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

कोई कंट्रेडिक्शन की बात नहीं आती। यानी जैसे गिफ्ट की मिसाल उन्होंने दिया ट्रांस्फर आफ प्रापर्टी ऐक्ट की बाबत तो गिफ्ट अपनी जगह पर वैलिड है ट्रांस्फर आफ प्रापर्टी ऐक्ट की बिना पर, तो इस विधेयक में ऐसी कोई बात नहीं कही गयी है कि ऐसी और किसी बातों के लिये या किसी नाबालिग लड़के के हक में कोई गिफ्ट किया गया हो तो वह इनवैलिड हो जायगा, बल्कि यह कहा गया है कि ऐसा कोई गिफ्ट अगर किया गया है जो "फार ऐडिक्वेट कंसीडरेशन" नहीं है तो ऐग्रीकल्चरल इनकम टैक्स के परपजेज के लिये वह गिफ्ट नहीं माना जायगा। यानी उस गिफ्ट की प्रापर्टी भी ऐग्रीकल्चरल इनकम टैक्स के लिये लायबिल होगी। तो गिफ्ट का होना और ट्रांसफर होना तो ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट के बमूजिब हुआ, ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट को हम चैलेंज नहीं करते, लेकिन कोई ऐसा ट्रांसफर जो कि "ऐडिक्वेट कंसीडरेशन" के लिये नहीं है उसको हम टैक्स से बरी नहीं करना चाहते। हमको पूरा हक है कि हम उस जायदाद पर भी जो "ऐडिक्वेट कंसीडरेशन" के लिये ट्रांस्फर नहीं हुई है टैक्स के अन्दर रखें और टैक्स लें। तो उस जायदाद को जो कि "इनऐडिक्वेट कंसीडरेशन" के लिये ट्रांसफर हुई है हम "फार परपजेज" इस ऐक्ट के लिये ऐग्रिकल्चरल इन्कम टैक्स से बरी नहीं कर सकते। तो इसमें कोई वैधानिक आपत्ति नहीं होती। किसी उस ऐक्ट के खिलाफ हम कोई चीज नहीं करते कि उस ऐक्ट के अन्दर जो ट्रांसफर हुये हैं उनको हम इनवैलिड कर दें। इसलिये यह अपनी जगह पर एक मुनासिब हमारा संशोधन है। क्योंकि अगर इसको नहीं किया जायगा तो बहुत से फ्रैडुलेंट ट्रांसफर्स इस तरह से हो सकते हैं कि जो कि लड़के के नाम से हो जायं, औरत के नाम से हो जायं उस टैक्स से बचने के लिये। ऐसे फ्रैडुलेंट ट्रांसफर से बचने के लिये हमारे पास कोई चाराजोई नहीं रह जायगी, इसीलिए ऐडिक्वेट कंसीडरेशन की बात रखी गयी है। लेकिन वैसे ट्रांसफर्स जो ऐडिक्वेट कंसीडरेशन के लिये नहीं हैं उनको हम ऐग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स से बरी नहीं करते और इसमें कोई कांस्टिट्यूशन से कंट्रेडिक्शन की बात नहीं होती। इसलिये कोई वैधानिक आपत्ति इसमें पैदा नहीं होती।

श्री गेंदा सिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो वैधानिक कठिनाई माननीय काटजू साहब ने रखी थी या माननीय अवधेशप्रताप सिंह जी ने उसका उत्तर तो माननीय राजस्व मंत्री जी ने और नारायणदत्त जी ने दिया। एक बात जो माननीय रणंजय सिंह जी ने अपना प्रस्ताव रखा है उस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं और वह यह है कि उनका मंशा यह है कि जिन स्त्रियों के नाम से या जिन लड़कों के नाम से सम्पत्ति अलग हो गयी हो उसकी गिनती इस ऐग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स के सिलसिले में न की जाय। हमको भी हमदर्दी उनके उस संशोधन से तो हो सकती है लेकिन उसमें एक बड़ा भारी ऐसे लोगों के लिये बचत का रास्ता हो जाता है जो कर से बचना चाहते हैं और ऐसा किया भी है लोगों ने। मेरी तो निजी तौर पर इस तरह की जानकारी है कि इस तरह कुछ वर्षों से लोगों ने अपनी स्त्रियों के नाम से, अपने बच्चों के नाम से, अपनी जमीन को कराया है और वह सिर्फ इसलिये नहीं कि वह ऐग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स से बचना चाहते हों बल्कि और भी बहुत से कानूनी फायदा उठाने के लिये किया था, जमींदारी अबालिशन ऐक्ट के कानून से फायदा उठाने के लिये और यह एक दूसरे फायदे का जरिया हो जायगा और इस तरह से बहुत से बखेड़े पैदा होंगे कि जिनकी वजह से माननीय रणंजय सिंह जी जिनको लाभ पहुंचाना चाहते हैं वह बहुत थोड़ी सी तादाद में होंगे १०० में १ हो सकते हैं लेकिन १०० में ९९ आदमी ऐसे निकलेंगे कि जो अपनी धूर्तता से और फ़र्जी तरीक़े पर खाते को अलग कराकर उसका लाभ उठाना चाहेंगे। मेरा विश्वास है कि माननीय रणंजय सिंह जी इस तरह से लाभ उठाने की बात नहीं सोचते होंगे। वह अवश्य यह सोचते होंगे कि उन स्त्रियों के ऊपर सख्ती न होने पाये जो सचमुच अपने पुरुषों से अलग हो गयी हैं। ऐसी तादाद बहुत थोड़ी होगी और वह भी जायदाद वाली स्त्रियों की। तो इस प्रकार यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता है इस संशोधन को तो इसमें बहुत पेचीदगी आ जायगी और पेचदगी आने के साथ-साथ करप्शन की गुंजाइश हो जायगी उन लोगों के लिये

जो लोग कि इसमें काम करेंगे। तो ऐसी हालत में भी मैं समझता हूं कि माननीय रणंजय सिंह जी इस बात को दृष्टि में रखते हुये अपने इस संशोधन को वापस लेंगे।

श्री रणंजय सिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी माननीय श्री गेंदा सिंह जी ने कहा इसमें कोई सन्देह नहीं कि जो कानून बनाये जाते हैं तो उनके कारण से बहुत लोगों को लाभ होता है, बहुतों को हानि भी होती है। हां यह बात तो मैं मान सकता हूं कि बड़े-बड़े घरों में ऐसी बातें कम हैं कि जिनके पास ३० एकड़ से अधिक भूमि होगी वहां बटवारा हुआ हो। पर इस बात को सोचते हुये क्योंकि दशा को देखते हुये जो नाना प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, लोगों में मतभेद हो रहा है और ऐसे बटवारे हो रहे हैं इस बात को सोचते हुये मान लीजिये थोड़ी देर के लिये कि कहीं संबंध विच्छेद हो जाय, इस प्रकार से बहुत सी बातें होती हैं, इन बातों को देखते हुये मैंने सामाजिक कुरीतियों पर दृष्टि रखते हुये यह किया इसमें सन्देह नहीं है। अब रहा यह कि यह बात किसी एक के लिये तो है नहीं, जनरल बात है, सामान्य बात है और यदि इसके द्वारा कुछ हानि भी लोगों को हो सकती है, तो लाभ भी हो सकता है। कुछ व्यक्तिगत बात इसमें नहीं है। जनता की भलाई इसमें समझ कर इस प्रकार से यदि किसी का बंटवारा हो गया, आगे मुझे इस बात की आशंका होती है जो कि अभी बहुत दूर है क्योंकि अभी १५ एकड़ वाला संशोधन नहीं लिया गया, तो ऐसे समय में कहीं ऐसा हुआ कि ३ सहस्र की आय पर कर लगाया जाय वैसी दशा में बड़ी कठिनता पड़ेगी। मैं समझता हूं कि ऐसे लोग मिलेंगे क्योंकि अभी समाज में बहुत सुधार की आवश्यकता है और जब ऐसे लोग मिलेंगे तो बड़े झगड़े पैदा होंगे। इन बातों को सोचते हुये मैंने इस संशोधन को रखा है। यदि कोई ऐसी बात हो कि आगे जब ऐसा समय आये कि इन एकड़ों में कमी करने की गुंजाइश हो, तो सरकार सब बातों पर ध्यान दे, तो मैं अपने संशोधन पर आग्रह करने की आवश्यकता नहीं समझूंगा। ऐसी दशा में यदि सदन अनुमति दे और माननीय राजस्व मंत्री जी की ओर से कोई ऐसा आश्वासन मिले तो मैं अपना संशोधन वापस ले सकता हूं।

श्री चरण सिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मित्र तो इसको वापस लेना चाहते हैं। मुझे इस पर कुछ अर्ज नहीं करना है, उन्होंने वापस ले लिया है।

श्री रणंजय सिंह---मैंने कहा कि मैं वापस ले सकता हूं यदि मंत्री जी आश्वासन दें।

श्री चरण सिंह---मैं समझा नहीं कि किस बात का आश्वासन मैं दूं। मैं इस बात का आश्वासन देता हूं कि गवर्नमेंट इस बात की कोशिश करेगी कि किसी किस्म का फ़्राड न हो।

श्री रणंजय सिंह---मैंने कहा कि यदि आप ऐसा समझें कि कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने इसे सद्भावना के साथ ही रखा है।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ६

६---मूल अधिनियम की धारा ५ के खंड (क) में शब्द "म्युनिसिपल टैक्स" के स्थान पर शब्द "स्थानीय अधिकारी संस्थाओं (local authorities) के करों" रख दिये जायं। संयुक्त प्रांतीय ऐक्ट सं० ३, १९४९ की धारा ५ में संशोधन।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ६ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ७

७—मूल अधिनियम की धारा ६ की—

संयुक्त प्रांतीय ऐक्ट सं० ३, १९४९ की धारा ६ में संशोधन।

(१) उपधारा (१) में से—

(क) वर्तमान प्रतिबन्ध निकाल दिया जाय, और

(ख) निम्नलिखित नये प्रतिबन्ध के रूप में रख दिया जाय :—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि बाग़ों (groves)" फल के बाग़ों (orchards) और चाय के बाग़ों की पूर्वोक्त कृषि-संबंधी आय की गणना उप-धारा

(२) के खण्ड (ख) के अनुसार की जायगी"

(२) उप-धारा (२) के—

(क) खंड (क) में संख्या "७ १/२" के स्थान पर संख्या "१२ १/२" रखी जाय और जहां पर भी शब्द "बोर्ड आफ़ रेवेन्यू" आये हों उनके स्थान पर शब्द "भूमि-व्यवस्था कमिश्नर (Land Reform Commissioner)" रख दिये जायं, और

(ख) खंड (ख) (१) में शब्द "म्युनिसिपैलिटी के करों" के स्थान पर शब्द "स्थानीय संस्थाओं के करों" रख दिये जायं।

राजा वीरेन्द्रशाह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ७ के उपखंड (२) के भाग (क) की प्रथम और द्वितीय पंक्तियों के शब्द, 'संख्या ७ १/२' के स्थान पर संख्या '१२ १/२' रखी जाय" निकाल दिये जायं।

श्रीमन्, आपके ज़रिये सरकार से मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप जब टैक्स ३० एकड़ तक के किसानों पर लगाने जा रहे हैं, तो आप यह न कीजिये कि साढ़े ७ गुना को साढ़े बारह गुना कर दिया जाय। आप यह कहते हैं कि मौरूसी लगान कम है और आजकल ग़ल्ले का भाव अधिक है, मैं सरकार को यह बतलाना चाहता हूं कि जिस समय ऐग्रीकल्चरल इन्कमटैक्स लगा उस समय भी अगर ग़ल्ले की मंहगाई इतनी नहीं थी तो इससे बहुत ज्यादा कम भी नहीं थी। इसलिये आपके ज़रिये मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि यह साढ़े १२ गुना बहुत अधिक हो जायगा। अन्न का उत्पादन बढ़ाने पर सरकार बार-बार ज़ोर देती है और आप यह चाहते हैं कि जो मुनाफा हो उसका साढ़े १२ गुना कड़ाई के साथ लिया जाय। आप यह देखिये कि हिसाब दिखाने में कितनी दिक्कत होती है। जो सरकारी अधिकारी होते हैं वे पूरी तरह से हिसाब मानते नहीं हैं। अगर हम लगान की दर से दें तो उस पर सरकार साढ़े १२ गुना बढ़ा रही है। मैं भवन का अधिक समय नहीं लेना चाहता लेकिन मैं समझता हूं कि यह अधिक है और माननीय राजस्व मंत्री इस पर विचार करके इस दर को ज़रूर घटायेंगे।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—उपाध्यक्ष महोदय, राजा साहब ने यह जो संशोधन उपस्थित किया है उसका मैं विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस भवन के जीवन में राजा साहब ने जब-जब यहां खड़े होकर बातें जमींदारों और ताल्लुक़दारों की ओर से कही हैं वह सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इस वक्त मैं यह देख रहा हूं कि राजा साहब किसानों के बड़े हमदर्द बनकर यहां भवन में बातें करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जिस समय जमींदारी उन्मूलन कानून इस भवन में उपस्थित था उस वक्त भी उस क़ानून का विरोध करते हुये हमेशा इस भवन में यह दिखलाने का प्रयत्न करते थे कि वह किसानों के बड़े हमदर्द हैं

लेकिन उनके उन भाषणों का कोई असर इधर के बैठने वालों पर नहीं हुआ करता था। इस समय आप यह कहना चाहते हैं कि लगान के साढ़े सात गुने से साढ़े बारह गुना जो किया जा रहा है वह बिल्कुल समाप्त कर दिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समय यह एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स प्रथम बार इस भवन में उपस्थित हुआ था उस समय जानबूझ कर लगान का साढ़े सात गुना रखा गया था क्योंकि उस वक्त जमींदारों और ताल्लुक़दारों को इतनी परेशानी थी कि उस वक्त भवन को कुछ हमदर्दी दिखलाना भी आवश्यक मालूम हुआ था। इसलिये उस वक्त साढ़े सात गुना कम कर के दिखलाया गया था। लेकिन इस वक्त यह प्रतीत हुआ है कि जो जमींदार और ताल्लुक़ेदार हैं वह इस बीच में किसानों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं और वह अपनी ज़मीन का रक़बा बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। बहुत से जमींदार और ताल्लुक़दार हैं जिनके नाम से दो-दो सौ बीघे लिखा हुआ है परन्तु वास्तविक रूप में १०, १५ बीघे भी खेती स्वयं नहीं करते हैं। खेत किसानों से जुतवाते लेकिन पटवारी के काग़ज़ातों में उन्हीं का नाम लिखा हुआ रहता हैं। तो यह जो उनकी प्रवृत्ति हो रही है कि अपनी ज़मीन का रक़बा खूब बढ़ावें, इसमें भी रुकावट डालने के लिये यह आवश्यक है कि जिनके पास ३० एकड़ से ज्यादा ज़मीन है उनके ऊपर टैक्स लगाना ज़रूरी है।

उपाध्यक्ष महोदय, आप के द्वारा मैं दूसरी बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समय साढ़े सात गुना लगाया गया था उस वक्त यह भी एक बात थी कि कोई न कोई जमींदार या ताल्लुकेंदार जिनके पास १५ या १० बीघे जमीन थी उन्हें मालगुज़ारी यानी लगान द्वारा बहुत आमदनी हुआ करती थी। लगान द्वारा जो आमदनी होती थी उसकी रक़म काफी बड़ी होती थी और सीर और खुदकाश्त से थोड़ी प्राप्त होती थी, इसलिये साढ़े सात गुना जोड़कर हिसाब लगाने का प्रयत्न किया गया था, यह भी उस वक्त भावना थी, यह मेरा ख्याल है। इन्कमटैक्स जैसे लगता है सेन्ट्रेल गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें सब प्रकार की जितनी आमदनियां हैं सब जोड़ कर तब हिसाब लगता है और तब उसके ऊपर टैक्स लगता है। यह हो सकता है कि लगान के ज़रिये से जो उनको ज्यादा आमदनी हुआ करती थी वह आमदनी अब निकल गयी। तो वास्तविक आमदनी जो है उसका साढ़े बारह गुना हेरिडेटरी रेट से लगाने से अगर उनकी आमदनी ३ हज़ार से ज्यादा होती है तब उनके ऊपर टैक्स लगना चाहिये। अब रही बात यह कि आप जो हमेशा कहते हैं कि टैक्स बहुत लग गया है, परेशानी हो रही है, यह होगा और वह होगा और दुनिया भर की बातें करते हैं। आप ज़रा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की तरफ़ भी तो जाइये और गांवों में जा कर देखिये कि वहां सरकम्स्टांशल प्रापर्टी टैक्स ३०० से ऊपर वालों की आमदनी पर भी है। और यहां आप चाहते हैं कि ३ हज़ार की आमदनी पर भी न लगे १०० एकड़ तक की हद आप चाहते थे। यह कहां तक उचित है, यह आप खुद सोच सकते हैं, । इसलिये १२ १/२ गुने में कोई नामुनासिब बात नहीं है। इसलिये मैं उनके संशोधन का सख्त विरोध करता हूं।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राजा वीरेन्द्र शाह जी के संशोधन के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मेरी समझ में यह नहीं आया कि माननीय सचिव यह कहते थे कि ७ १/२ जो पहले था उसका १२ १/२ करने में उसकी वैल्यू या टैक्स में कोई भेदभाव नहीं होगा। मैं समझता हूं कि यह इतना स्पष्ट है कि जैसे २ और २ मिला कर ४ होते हैं और अब माननीय मंत्री जी हमें यह समझाना चाहते हैं कि नहीं, २ और २ मिला कर ३ होते हैं यह ऐसी दलील है जो यहां देना उचित नहीं।

जहां तक हमारे माननीय सदस्य जो प्रतापगढ़ से आये हैं उनकी बात का संबंध है उनसे मैं आप के द्वारा यह बता देना चाहता हूं कि मैं उनमें से हूं कि जो जमींदार था तब मुझे लज्जा न थी और आज भी मुझे यह कहने में लज्जा नहीं कि मैं पहले जमींदार था और अगर हमने जमींदारों के हक़ूक़ के बचाव के लिये कुछ किया तो कोई गुनाह नहीं किया, हम जनता, काश्तकारों-मज़दूरों और जमींदारों के सबके नुमायन्दे हैं। लिहाज़ा जब हम यहां कोई बात कहते हैं तो उन्हें यह नहीं

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

समझना चाहिये कि हम महज़ जमींदारों के लिये ही कह रहे हैं और दूसरों के लिये नहीं। यह उनकी भूल है। लेकिन हां, हमें जमींदारों के लिये भी कहने का हक़ है और उसे जिस तरह हम चाहें बरत सकते हैं।

मेरे लायक़ दोस्त ने यह भी फ़रमाया कि पटवारियों से ग़लत इंदराज करा लिये हैं और जमीदारों की जोत में आराजी बहुत कम है लेकिन उनके नाम दर्ज बहुत ज्यादा आराजी है। यह बात एक मर्तबा नहीं, हजारों बार यहां कही जा चुकी है और सरकार इसके लिये प्रबंध भी कर चुकी है कि ६० फ़सली के अन्त में जिसका क़ब्ज़ा जिस भूमि पर नहीं होगा वह उनकी काश्त में नहीं रहेगी। तो वह अच्छी तरह से देख सकते हैं कि जमींदारों के नाम जिस आराजी के लिये लिखे हुये हैं उस पर वे सही तरीक़े से क़ाबिज़ हैं या नहीं। जब हमारा इस तरह उस पर मौलिक अधिकार है तो इनको और उनको परेशानी होनी चाहिये थी। लेकिन यहां ऐसी बातें कही जाती हैं जिनसे कोई लाभ न हो कर हानि होने का अन्देशा है।

श्री चरण सिंह—इन्होंने जो आप को छेड़ दिया है उसकी परवाह न कीजिये। आप अपनी बात कहिये।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—हम तो इसके आदी हैं और हमें इसकी परवाह नहीं है। लेकिन कम से कम मैं उनसे यह अनुरोध करूंगा कि वह अपनी पार्टीवालों को यह बतला दें कि वह ऐसी ग़ैरज़िम्मेदाराना बात न कहें जिसका संशोधन से कोई ताल्लुक़ नहीं है और मजबूर होकर हमें उसका जवाब देना पड़ता है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, १२ १/२ गुने के संबंध में मैंने अपने प्रारम्भिक भाषण में बताया था कि आज कल के हालात के देखते हुये १२ १/२ एक मुनासिब मल्टीपिल है। जो लगान का हेरीडेटरी रेट है उसका १२ १/२ गुना करने की बात है। मैं राजा साहब का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि यह जो इस संशोधन के जरिये यह कहा गया है कि आप्शन उनको जो दिया गया है। पहले यह था कि आप्शन के बारे में एक प्रोवीजो था वह निकाल दिया गया है। इसलिये अब पूर्ण आप्शन हो गया है कि चाहे वह साढ़े बारह गुने पर इन्कम टैक्स दें, चाहे हिसाब दिखाकर इन्कमटैक्स दें। इसलिये अब इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। उनकी आमदनी ३,००० रुपये से कम है तो उस पर हो जायगा। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि भवन इसे स्वीकार करेगा।

राजा वीरेन्द्र शाह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन पर जो माननीय मंत्री जी ने कहा उससे मुझे संतोष नहीं हुआ। मेरा कहना यह है कि आप ने जो यह कृपा की कि साल की साल हमें अवसर दिया कि हम चाहें तो हिसाब दें, चाहे मल्टीपिल के हिसाब से आमदनी को मान लें। इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें यह सुविधा दी है। लेकिन साढ़े बारह गुने से हम कोई लाभ नहीं उठा सकेंगे। इसलिये कि लम्बी जोत हैं उनका लगान बहुत ज्यादा होगा। इससे साढ़े बारह गुने पर काफी पड़ जाता है। हिसाब देने की बात के लिये मैं कहूंगा कि वह इतने होशियार आदमी नहीं रख सकते हैं और न अफसरों से ठीक-ठीक न्याय ही करा सकते हैं। इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि अगर वह दस गुना कर दें तो बड़ी कृपा होगी और सरकार की ज्यादा हानि भी नहीं होगी और हम लोगों को संतोष भी हो जायगा। यह बीच का अनुपात है। अगर सरकार इसको मान लेगी तो हमें बड़ा लाभ होगा और जो बड़े काश्तकार हैं उनके साथ सरकार एक बहुत बड़ी रियायत और हमदर्दी दिखायेगी।

श्री चरण सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी मेरी समझ में नहीं आया कि राजा साहब को तसल्ली कैसे होती है। उनकी हमेशा यही शिकायत रहती है कि तसल्ली नहीं हुई। तो तरकीब बतलायी जाय कि किस तरह तसल्ली होती है अगर कमी

करने से ही उनकी तसल्ली होती है तो आगे हम इस बात का लिहाज रखेंगे कि जितना मुनासिब है उससे ५ नम्बर ज्यादा रखा जाय ताकि वही कम कर दिया जाय और राजा साहब की तसल्ली हो जाय। जैसा कि माननीय मौर्य जी ने कहा इसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये क्योंकि रास्ता खुला हुआ है। अगर आमदनी वाकई हुई है तो इस पर टैक्स लगवाये और अगर साढ़े बारह गुने से नफा है तो उस पर टैक्स लगवाये। जिसमें उसका फायदा हो और गवर्नमेंट का घाटा हो वह रास्ता अख्तियार कर ले।

दूसरी बात उनका कहना यह है कि किसान लोग ठीक तरह से हिसाब नहीं रख सकते हैं। इसके लिये मैं यह कहूंगा कि किसानों को हिसाब रखना सीखना चाहिये। एक साल नहीं रख पायेंगे, दो साल नहीं रख पायेंगे लेकिन आगे चल कर हिसाब रखने लगेंगे। दूसरी बात यह है कि ३० एकड़ की बात तो बड़े काश्तकारान को तो हिसाब रखने में ज्यादा सुविधा और सहूलियत होगी। कोई मुश्किल बात नहीं है। केवल ५।६ मदें हैं। एक बैल का है पता नहीं यह है या नहीं। इसके अलावा कैपिटल का है कि इतना लगा हुआ है या नहीं। यह सब हिसाब आसानी से रख सकते हैं। कुछ मेरे मित्र दस गुने की बात कह रहे हैं कि दस गुना रखने से सब लोगों को तसल्ली हो जायगी अगर साढ़े सात गुना रखा जाय तो और ज्यादा तसल्ली हो जायगी और अगर पांच गुना रख दिया जाय तो और भी ज्यादा तसल्ली हो जायगी दरअसल कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे पहले बोलने का मौक़ा नहीं मिला। लेकिन इससे बहुत थोड़े से रुपयों का इजाफ़ा होता है टैक्स में अब अगर आप इसको साढ़े १२ का भी १० करा देंगे तो इस अमेंडमेंट की कोई मंशा रह ही नहीं जायगी, बिल्कुल खत्म हो जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७ के उपखंड (२) के भाग (क) को प्रथम और द्वितीय पंक्तियों के शब्द, "संख्या ७ १/२" के स्थान पर संख्या १२ १/२ रखी जाय" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रणंजय सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ के उपखंड (२) के भाग (क) की पंक्ति २ में अंक "१२ १/२" के स्थान पर अंक "५" रख दिया जाय।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—प्वाइंट आफ़ आर्डर सर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब इस भवन ने साढ़े बारह के बजाय साढ़े सात गुना वाले संशोधन को नहीं माना और साढ़े बारह ही रखने का निश्चय किया तो अब यह ५ गुना तो उस निश्चय के बिल्कुल विपरीत पड़ता है

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह आपत्ति ठीक है लिहाजा मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

श्री रामलखन (जिला बनारस)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ के उपखंड (२) के भाग (ख) की पंक्ति २ में शब्द "स्थानीय" तथा शब्द "संस्थाओं" के बीच में शब्द "अधिकारी" रख दिया जाय।

इसमें कोई ज्यादा बहस की जरूरत नहीं है। क्योंकि संस्थायें बहुत सी हैं इसलिये अधिकारी जोड़ देने से क्लियर हो जायगा। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को इसे मानने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७ के उपखंड (२) के भाग (ख) की पंक्ति २ में शब्द "स्थानीय" तथा शब्द "संस्थाओं" के बीच में शब्द "अधिकारी" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा---जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, पेश्तर इसके कि मैं यह अमेंडमेंट मूव करूं मैं आप की तवज्जह एक ग़लती की तरफ़ दिलाना चाहता हूं। मेरे अमेंडमेंट में शब्द "को" 'नये खंड' और "७ ख" के बीच में रह गया है। तो यह "को" का लफ्ज बढ़ा देना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---अच्छा।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा---जनाब वाला, मेरा अमेंडमेंट इस प्रकार है :---

खंड ७ को खंड ७---क कर दिया जाय और निम्नलिखित नये खंड को ७---ख के रूप में जोड़ दिया जाय।

मूल अधिनियम की धारा ६---२ क का वर्तमान प्रतिबंध निकाल दिया जाय और उसकी जगह निम्नलिखित प्रतिबंध लिखा जाय---

"किन्तु प्रतिबंध यह है कि जो धरती नयी तोड़ी हो या आगे तोड़ी जावेगी तो तोड़ने के समय से लेकर ८ वर्ष तक उस पर जो गुणा लगाया जायगा वह ऊपर तै किये हुये गुणों के आधे से अधिक न होगा।"

जनाब वाला, मेरा मतलब इससे यह है कि आजकल के ज़माने में फूड प्राब्लम अक्यूट है इसलिये इस बात की ज़रूरत है कि काफी इंसेन्टिव नयी ज़मीनों को तोड़ने के बारे में दिया जाय ताकि उसकी वजह से फूड प्राब्लम में मदद मिले। इसके सिलसिले में मैं आप की तवज्जुह सेटिलमेंट मैन्युअल की दफ़ा ६३ (बी) की तरफ मवजूल कराऊंगा जिसके हैडिंग में ही यह लिखा हुआ है "Exemption of land reclaimed from waste." यानी हमेशा से हर गवर्नमेंट की हरवक्त यह मन्शा रही है और एक उसूल रहा है कि जो ज़मीन नयी तोड़ी जाय उसको एक अरसे तक रेवेन्यू से एक्ज़ैम्प्ट रखा जाय। ज़ाहिर है जो कास्ट रिक्लेमेशन पर आती है वह बहुत ज्यादा हुआ करती है इसलिये इस एक्ज़ेम्पशन से नयी ज़मीनों को तोड़ने में इंसेन्टिव मिलता है। वर्ना अगर जैसे ही ज़मीन तोड़ी जायें वैसे ही टैक्स उन पर लागू हो जाय और उसी शरह से उनसे टैक्स ले लिया जाय जिस शरह से और पार्टी पर लिया जाता है तो फिर यह इंसेन्टिव बिलकुल बाकी नहीं रहता। इसलिये मुल्क की बहबूदी की ख़ातिर मैं यह कहना चाहता हूं कि ज़मीनों को तोड़ने के लिये जो हमेशा से उसूल रहा है उसी उसूल को इस टैक्स के सिलसिले में नज़रअन्दाज़ कर दिया गया है। दफ़ा ६३ (बी) में यह लिखा हुआ है :---

63. B. Exemption of land reclaimed from waste-When land has been reclaimed from waste with the aid of a loan granted under the Land Improvement Loans Act, 1883, or by or at the cost of the proprietor, and has been brought under cultivation, the increase in rental resulting shall not be taken into account in assessing revenue during a preiod of fifteen years from the date of the commencement of the cultivation.

इसलिये जब ज़मीन तोड़ी जाती है तो १५ साल तक उस पर रेवेन्यू कायम नहीं किया जाता और लैन्ड रेवेन्यू एग्रीकलचरल टैक्स के ऊपर प्रीसीडेंस रखता है। लैंड रेवेन्यू तो न हो लेकिन टैक्स उसी दिन से लागू कर दिया जाय जिस दिन से ज़मीन कमाई जाय, यह ठीक न होगा। इसके लिये कहा यह जायगा कि उस में आलरेडी प्राविज़न है। यह प्रावीज़न क्या है आप की इजाजत से वह भी मैं पढ़ देना चाहता हूं। पहले मैं आप की इजाज़त से दफा ६ (२) (ए) को पढ़ दूंगा और फिर उससे कन्क्लूज़न ड्रा करने की कोशिश करूंगा। वह इस तरह से है :

"6 (2) (A) Subject to such deduction in respect of agricultural calamities as may be prescribed, the income shall be deemed to be such multiple, not exceeding 7half per cent. of the rent of the land calculated at the latest sanctioned rent-rates applicable to hereditary tenants of similar class of soil as the Board of Revenue may fix for each district or portion thereof."

[(२) (क) कृषि संबंधी विपदाओं के संबंध में नियत कटौती के बाद आय, भूमि के लगान का ऐसा गुणा या अपवर्तक समझी जायगी, जो ७ १/२ से अधिक न हो और जो नवीनत म स्वीकृत लगाने की ऐसी दरों के अनुसार लगाया गया हो, जो उसी श्रेणी की भूमि के मौरूसी काश्तकारों पर लगाया जाता है जैसा कि बोर्ड आफ़ रेवेन्यू के द्वारा प्रत्येक ज़िले या उसके किसी भाग के लिये निश्चित किया जाय ।]

यानी उसके रेट कहीं साढ़े सात फीसदी और कहीं कमीबेश होंगे और इस कानून के ज़रिये से बोर्ड आफ रेवेन्यू में इसकी पावर को वेस्ट किया है । आगे चल कर उसका प्राविज़ो है जो इस तरह से है :—

"Provided that the Board of Revenue may direct that the multiple for calculating income from land newly brought under cultivation shall for the specified number of years be such lower figure as may be specified, or"

[किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि बोर्ड आफ़ रेवेन्यू यह आदेश दे सकता है कि किन्हीं निर्दिष्ट विषयों के लिये नवजोत भूमि की आय की गणना के लिय गुणा की संख्या उतनी कम होगी जो निर्दिष्ट की जाए, या]

यह कहा जा सकता है कि आलरेडी बोर्ड आफ़ रेवेन्यू को पावर्स हैं लेकिन ये पावर डैड लेटर है क्यों कि आज तक उस पर अमल नहीं हुआ है । इसका खुद मुझे अपना तजुरबा है और आम तजुरबा भी है । किसी ने भी असेसिंग अथारिटी को अप्लाई नहीं किया । बोर्ड आफ रेवेन्यू को दो अख्तियारात दिये गये हैं । एक तो यह कि वह वेल्यूएशन कर सकते हैं, साढ़े सात से ज्यादा कर दें या कम कर दें । दूसरा अख्तियार न्यूली रिक्लेम्ड लैंड के मुताल्लिक़ है कि मल्टिपुल कम बेश कर सकते हैं । कहा गया है कि फार दि स्पेसिफिक नम्बर आफ इयर्स । इस हिसाब से टैक्स लिया जायगा या नहीं लिया जायगा तो जनाब देखेंगे कि नोटीफिकेशन नं० ४१३ जो एक्स्ट्रा आर्डिनरी गजट २३ फरवरी १९४९, को हुआ है उसके पेज ३६ में दिया हुआ है :...

Notification No.413, dated 16-2-1949.

"Under sec. 6(2) of the Agricultural Income-tax Act the Board of Revenue hereby fixes for the present 7.5 as the multiple for calculation of the agricultural income of a preson mentioned in sub-clause (i), (ii) and (iii) of clause (b) of sub-section (1) of section 2 of the Act for all districts in U. P."

तो जनाब देखेंगे कि बोर्ड आफ रेवेन्यू को इसके मुताल्लिक़ पावर दे दिया गया है । नेशनल प्वायंट आफ वियू से इसका बड़ा इम्पार्टेंस है । हमारे मुल्क में फूड के मुताल्लिक़ सेल्फ सफिसिएंसी के लिहाज से भी इसका बड़ा इम्पार्टेंस है लेकिन इसको कतन नजरअन्दाज कर दिया गया है । मैं दावे के साथ कहता हूं कि यू० पी० की किसी अदालत ने, किसी अथारिटी ने आज तक इस चीज को अपने कंसिडरेशन में नहीं लिया है कि न्यूली रिक्लेम्ड लैंड के मुताल्लिक़ मल्टिपुल कम कर दिया जाय या उस पर टैक्स साढ़े सात परसेंट हो । इसलिये आप देखेंगे कि कानून तो अपनी जगह हो सकता है, मौजूद है । इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है । बोर्ड को आपने पावर भी दिया लेकिन उस पावर को बोर्ड अख्तियार नहीं करता है और हो सकता है कि आयन्दा भी वह पावर बोर्ड के पास रहे तो ऐसी हालत में इस हाउस को यह सोचना है कि जब हम आज लेजिस्लेटर कर रहे हैं तो इस चीज को भी फिक्स कर दिया जाय । जनाबवाला, मुलाहिजा फरमावें, इसकी कोई कोशिश नहीं की गयी है कि गवर्नमेंट वाउन्ड कर दी जाय । सिर्फ ८ साल की बात कही गयी है जैसा कि जनाब देखते हैं कि बहुत डरते डरते मैंने ८ साल रखा नहीं तो हक़ीकतन १५ साल तक का पावर है । मैंने इसको डरते डरते इसलिये रखा ताकि गवर्नमेंट के इन्कम पर कोई ख़ास असर न पड़े । इसके मुताबिक़ ८ साल तक आधे से ज्यादा टैक्स नहीं लिया जा सकता है । गवर्नमेंट इसके लिये स्लाइडिंग स्केल पर दे जैसा कि आनरेबिल मिनिस्टर साहब ने फरमाया । मेरी तजवीज है कि जो जमीन नयी तोड़ी जाय उस पर तीन

[श्री अतहर हुसैन ख्वाजा]

साल तक कोई टैक्स न लिया जाय, तीन साल के बाद एक चौथाई लिया जाय और बाद में दो वर्ष आधा लिया जाय। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को पावर है कि वह इस प्रकार के स्लाइडिंग स्केल फिक्स कर दे। गवर्नमेंट को रूल मेकिंग पावर है और अगर ऐसा हो जाता है तो यह एक पार्ट आफ़ दि ऐक्ट हो जाता है और जब लेजिस्लेट हो जाता है तो यह एक पाबन्दी हो जाती है कि ८ साल तक न्यूली रिक्लेम्ड लैंड पर कोई एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स नहीं लिया जायगा। जाहिर है कि रूल उन्हीं के मुताल्लिक़ बन सकता है जो सेक्शन ऐक्ट में है। अगर किसी ऐक्ट में कोई सेक्शन नहीं है तो यह रूल उसके मुताल्लिक़ नहीं बनाया जा सकता है। चुनाचे जनाब देखेंगे कि सेक्शन ४४ में रूल्स मेकिंग पावर दिया हुआ है। लेकिन मैं फिर इस बात को अर्ज करूं कि जब तक आप ऐक्ट में कोई इस क़िस्म की चीज नहीं रखते हैं उस वक्त तक उसके मुताल्लिक़ रूल नहीं बनाया जा सकता है।

सेक्शन ४४, पावर आफ मेकिंग रूल्स...........

"In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power such rules may. .. .."

जाहिर है कि जब आपने बोर्ड आफ़ रेवेन्यू को पावर डिलेगेट कर दिया है तो बोर्ड आफ रेवेन्यू को इसका कोई मौक़ा नहीं है कि वह रूल्स बनावे। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि रूल्स बनाने के लिये यह जरूरी है कि ऐक्ट में इसके लिये जरूर कोई सेक्शन आना चाहिये। उसके बाद ही गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है। तो मैं अदब से अर्ज करूंगा कि हमें इस बड़े क्वेश्चन पर सोच कर फैसला करना चाहिये जिसमें कि हमारी मौत और हयात का सवाल वाबस्ता है, जो नेशन के लिये बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, फूड सेल्फ सफिशियेंसी के लिये बहुत ज्यादा जरूरी है और लैन्ड्स के तोड़ने और उनको रिक्लेम करने से गवर्नमेंट पर जो बार पड़ता है वह हल्का हो जाता है। गवर्नमेंट फर्स्ट प्रिफरेंस लैन्ड रिक्लेमेशन को ऐसी एजेंसीज को दे जो खुद इस काम को कर लें और उनको जायज तौर पर मुआविजा दिया जाय तो गवर्नमेंट का बार हल्का हो जाता है और लोगों को इंसेंटिव पैदा होता है। इसलिये मैं आनरेबिल मिनिस्टर से दरख्वास्त करूंगा कि जो तरीक़ा अर्से से जारी है, उनके और अपने इंट्रेस्ट में जो लैन्ड रिक्लेमेशन से इस गवर्नमेंट को है मेरे इस अमेंडमेंट को मंजूर फरमाना चाहिये।

श्री अवधेश प्रताप सिंह--मैं माननीय अतहर हुसेन ख्वाजा जी के संशोधन के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैं यह समझता हूं कि यह सबसे मुनासिब संशोधन है और श्रीमान् आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि इसमें सरकार को कोई आपत्ति न होनी चाहिये। जहां तक पावर आफ डेलीगेशन का सवाल है इसमें कोई आपत्ति नहीं की जा सकती कि लेजिस्लेचर को यह राइट है कि वह पावर्स किसी भी एक्जिक्यूटिव को डेलीगेट कर सकता है। लेकिन जैसा कि हमारे ख्वाजा साहब ने बयान किया है आज तक इस प्रदेश में कोई भी ऐसी मिसाल नहीं होगी जहां पर इस सेक्शन के मुताबिक कहीं भी किसी एसेंसी के प्रति रियाअत की गई हो। श्रीमान्, उसूलन यह एक ऐसी बात है जिस पर दो रायें नहीं हो सकतीं। जब तक कोई भूमि से कोई लाभ न उठावे तब तक उस पर किसी तरह का लगान या मालगुजारी लगाना उचित नहीं प्रतीत होता। यदि यही होता रहा तो अधिक अन्न उपजाओ जो हमारी सरकार की बहुत पुरानी नीति रही है यही वजह थी कि वह नाकाम रही और भविष्य में भी जहां तक इसका संबंध है अगर ऐसी नीति रही तो यह कामयाब नहीं हो सकती। यह भी उसूलन रहा है आज नहीं बल्कि पहले ब्रिटिश पीरियड से, हर मुल्क और हर समय में, हिन्दुस्तान में मुगल पीरियड में भी यह सब बातें थीं कि जब कहीं पहली मर्तबा कोई काश्त करता था तो उसके साथ किसी न किसी तरह से रिआयत की जाती थी ताकि वह उसको आगे बढ़ा सके और सरकार की आइंदा आमदनी बढ़ सके। श्रीमान्, जहां तक बोर्ड आफ रेवेन्यू का संबंध है अगर उनको यह अधिकार दे दिया जाता है तो कभी यह नौबत नहीं आयेगी

कि उन तक यह मामले पहुंच सकें और कभी वह ठीक से किसी ऐसेसी के साथ रिआयत कर सकें। इसलिये इस ऐक्ट में यह कर दिया जाय ताकि भविष्य में चल कर कोई ऐसी कठिनाई न पड़े और एक्जिक्यूटिव के पास लोगों को दौड़ने की जहमत न उठानी पड़े। श्रीमान्, मैं आपके जरिये से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इस बिना पर हमारे माननीय मंत्री को हठधर्मी नहीं करनी चाहिये क्योंकि यह एक ऐसी चीज है जो जमींदार या काश्तकार किसी फिरके से ताल्लुक नहीं रखती बल्कि उसूलन एक सही बात है जिस पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इसको स्वीकार करें।

श्री बलवत सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन और प्रस्ताव ख्वाजा साहब ने रक्खा है मैं उसका समर्थन करना चाहता हूं। उसका कारण एक विशेष है और वह यह है कि जो भूमि आकल तोड़ी गई है उससे उस सज्जन को ही लाभ नहीं है जो उस भूमि को तोड़ता है। उससे लाभ हमारे सारे देश को पहुंचता है। उसके जरिये से देश के अन्न की समस्या हल होती है। इस विचार को लेकर बहुत लोगों ने भूमियां तोड़ीं और अधिकतर भूमियां जो टूटने को बाकी हैं तोड़ी जा रही हैं। हमें देखना यह है कि भूमि तोड़े जाने का यह काम जैसा कि लोग विचार करते हैं क्या उतना आसान है। भूमियां जो आज कल तोड़ी जा रही हैं, वह ऐसी नहीं हैं कि कोई आदमी हल चला दे और हल चला कर उसे साफ कर दे और फौरन उसपर खेती होने लगे।

आजकल जो भूमि तोड़ी जा रही है वह या तो जंगलों में हैं या वह खादर में है और या ऐसे भाग में है जहां कि न आबहवा अच्छी है और जहां न तोड़ने के कोई साधन ही हैं। मैं जानता हूं कि गंगा और जमुना के खादर में क्या हुआ। मैंने कुछ भाग देखे हैं जहां लोग जमीन तोड़ रहे हैं। वहां हल और बैल के बस का तो जमीन तोड़ना है नहीं बल्कि मैं तो यह समझता हूं कि मामूली ट्रैक्टर भी काम नहीं देते। जो ट्रैक्टर्स मामूली रोजमर्रा के किये हुये खेतों को तोड़ते हैं दस बीस वर्षों में वह तोड़ी जाती है वह दो तीन चार वर्षों में खराब हो जाती है। ऐसी अवस्था में जब कि इतना खर्च नई भूमि को खेती में लाने के लिये हो तो उसमें गवर्नमेंट को एक विशेष सुविधा उस आदमी को देनी चाहिये जो उस भूमि को काश्त में लाना चाहते हैं। और उसके लिये गवर्नमेंट ने आज जैसा कि अभी ख्वाजा साहब ने बतलाया है कि सेटिलमेंट मैनुअल में रखा है कि १५ वर्ष तक उससे कोई मालगुजारी नहीं ली जायगी। तो ख्वाजा साहब ने इससे एक बहुत माइल्ड सुझाव रखा है और वह है कि गुणक उसका आधा कर दिया जाय और १२।। का ६। कर दिया जाय। मैं समझता हूं कि यह सुझाव मुनासिब है और उसमें गवर्नमेंट को कोई खास रियायत भी नहीं करनी है क्योंकि जो बहुत बड़े-बड़े काश्तकार हैं जिन्होंने भूमि तोड़ी हैं उनको तो उससे भी ज्यादा लाभ नहीं होगा। जो छोटे-छोटे लोग हैं जिनके पास जमीन बहुत ज्यादा नहीं होती उनको कुछ सुविधा हो जायगी। अब जो इसके अन्दर एक प्रोविजन रखा है वह इतना काफी नहीं है कि उसके जरिये से कोई सुविधा मिल सके। रूल्स की बात ख्वाजा साहब ने बतलाई। रूल्स तो उसी चीज पर बनते हैं जिनका जिक्र उस ऐक्ट की किसी न किसी दफा में हो। फिर इसको रूल्स के लिये छोड़ा भी जाय जब हम एक गुणक लगाते हैं और साढ़े सात से साढ़े बारह कर रहे रहे हैं तो उस भूमि में जिस पर बहुत खर्चा तोड़ने में किया जा रहा है उस पर बजाय साढ़े बारह के सवा ६ कर दिया जाय। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस प्रस्ताव को अवश्य मान लिया जाय।

श्री चरण सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय ख्वाजा साहब ने कहा संशोधन पेश करने से पहले उनकी मुझसे बातें हो चुकी थीं और मैं समझता था कि यदि शायद वे अपने संशोधन को पेश न करेंगे क्योंकि जैसा उन्होंने खुद कहा है कि बोर्ड

[श्री चरण सिंह]

आफ रेवेन्यू को ६,२,८ में पहले से यह अख्तियारात हासिल हैं कि वह नौतोड़ जमीन के छोटे गुणक को तय कर सकता है।

(इस समय ४ बज कर ७ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

लेकिन उनको शिकायत यह है कि क्योंकि अब तक बोर्ड आफ रेवेन्यू ने ऐसा नहीं किया है और इसलिये लेजिस्लेचर को यह तय करना चाहिये कि बोर्ड आफ रेवेन्यू को यह अख्तियार देना चाहिये या नहीं। अब तक क्यों नहीं किया मैं समझता हूं कि माननीय ख्वाजा साहब और जितने माननीय सदस्य यहां हैं वे स्वयं इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि क्यों नहीं किया है और वह यह है कि साढ़े सात का जो मल्टीपिल था वह वाकई बहुत छोटा था। इससे और छोटा क्या किया जा सकता था ? दरअसल जिस वक्त यह साढ़े सात गुना तय हुआ वह बहुत लो फिगर थी। टेनेंसी ऐक्ट के मुताबिक जो आमदनी किसान की मानी जाती है उसका १/५ हेरीडिटरी रेट होता है और जब कि यह रेट तय हुआ इसमें २७ जिले ऐसे हैं डिप्रेशन के समय जिनमें जब कि किसानों की आमदनी बहुत ज्यादा नहीं थी और भाव बहुत नीचे गया हुआ था तब जो किसानों की आमदनी थी उस पर लगाया गया था और अब जो आमदनी किसानों की है उसका यह हेरीडिटरी रेट क १/२५ है।

तो उस २५ के बजाय ७।। किया और अब ७।। से भी लो किया जाय यह कुछ जंचता नहीं है। बोर्ड आफ रेवेन्यू को यह अख्तयार है परन्तु उसमें यह मुनासिब नहीं समझा कि लो करें। यही वजह थी कि बोर्ड आफ रेवेन्यू ने इस हिदायत को जारी नहीं किया। लेकिन अब बोर्ड आफ रेवेन्यू के बजाय इस अमेंडमेंट के जरिये जो कि दफा ६ में आ रहा है उसमें लैन्ड रिफार्म कमिश्नर को यह अख्तियार दिया जा रहा है और लैन्ड रिफार्म कमिश्नर का अख्तियार गवर्नमेंट का अख्तियार है। लैन्ड रिफार्म कमिश्नर गवर्नमेंट का एक एक्जिक्यूटिव आफिसर है। बोर्ड आफ रेवेन्यू को दोनों तरह के अख्तियार थे जुडिशियल भी और एक्जिक्यूटिव भी। परन्तु अब जुडिशियल की बाबत ही रह जाता है। उसको अब अख्तियार देने का अख्तियार नहीं है कि आप इस तरह से मल्टीपिल कर दीजिये। अब लैन्ड रिफार्म कमिश्नर को अख्तियार दिया जा रहा है जिसके माने यह हैं कि गवर्नमेंट को अख्तियार दिया जा रहा है। अब ७।। से १२।। किया जा रहा है यह बेशक एक सोचने की बात है कि रिक्लेम्ड लैन्ड में ७।। या १२।। गुना रखा जाय या और किस तरह से रखा जाय।

दूसरी बात यह है कि जो नयी तोड़ जमींन हैं उसमें मालगुजारी या लगान कम लगाने की बात की पहले से ही प्रथा है और कायदे बने हुये हैं। मैं इसको मानता हूं और इससे मुतफिक हूं कि यह बात सही है परन्तु उसकी जो वजह है कम लगान या मालगुजारी लगाने की वह बात सामने आती है क्योंकि आशयाय की कीमत थोड़ी थी और बहुत कम थी। इसी वजह से रिक्लेम्ड लैन्ड को प्रोत्साहन देने के लिये तरह-तरह की तरकीब की। उन तरकीबों में एक तरकीब यह भी थी कि और रिक्लेम्ड लैन्ड में या जो आज रिक्लेम करने जा रहे हैं उनके लिये सरकार ने प्रोत्साहन दिया है। तराई और दूसरे इलाकों में हर तरह का प्रोत्साहन लोगों को दिया है। तकावी भी लोगों को दी हैं और भी तरह तरह की सहूलियतें लोगों को पहुंचाई हैं। मगर इसका दूसरा पहलू भी है बहुत सी नयी तोड़ जमीन ऐसी होती है जोकि पुरानी जमीनों के मुकाबिले में ज्यादा पैदा करती हैं और उन पर ज्यादा आमदनी होती है। अगर ऐसी जमीन है कि वहां पर पहले से खाद पड़ा हुआ है या जहां पर जंगल है वहां पर ज्यादा आमदनी होती है। वहां पर १० साल तक ज्यादा आमदनी होती है और फिर उसके बाद आमदनी कम होनी शुरू हो जाती है। नयी तोड़ जमींन अगर ऐसी है कि जो बिलकुल बंजर पड़ी हुई है या कल्लर है तो बेशक वहां पर आमदनी कम होगी। इसलिये वहां पर सहूलियत देने की जरूरत पैदा होती है।

तो हमारा तो यह पहले से ही इरादा है जैसा कि ख्वाजा साहब से मैंने कहा था कि इस मामले में गौर किया जायगा और जहाँ पर जरूरत होगी कि इतनी मुद्दत के लिये कर दिया जाय तो उस तरह से करने की चेष्टा की जायगी। हर जगह ६। गुना कर दिया जाय और इससे ज्यादा न हो यह तो कुछ बहुत ज्यादा सा मालूम होता है क्योंकि बहुत सी ऐसी जमीनें हैं कि जो नयी तोड़ होने पर पुरानी जमीन की निस्बत ज्यादा आमदनी पैदा करती हैं। फिर भी एक बात और है कि अगर मल्टिपिल का सवाल होता है, तो ६ "२" बी के मुताबिक जो उसका रिक्लेम करने में खर्चा हुआ है उसको वह डिडेक्ट कर सकता है। अगर कोई खास केस हो और उसने ऐसा न किया हो तो यह दूसरी बात है वरना सब लोगों का जितना कैपिटल एक्सपेंडीचर होता है वह सब डिडेकट हो सकता है। अगर उसने ट्रैक्टर लिया है या किसी तरह से खाद डाली है या और कोई तरक्की का काम किया है तो वह उसमें से डिडेक्ट हो सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इन्कम टैक्स है उसमें से हमने नकल की है और वह सब सुविधा उन लोगों को दी है और उसी तरह से डिडेक्ट होता है। फिर भी अगर किसी खास इलाके की कोई खास सहूलियत देने की बात हो तो सरकार उस पर विचार करेगी और रिफार्म और लैन्ड रिफार्म कमिश्नर को जरूर हिदायत देगी। लेकिन जिस तरह से संशोधन पेश किया गया है इस वक्त उसको उसी तरीके से मंजूर कर लेना मुनासिब नहीं है।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा--जनाबवाला, चूंकि आनरेबिल मिनिस्टर साहबान ने एक तरह का एश्योरेन्स दिया है कि वह लैन्ड रिफार्म कमिश्नर को अहकामात जारी करेंगे कि जितनी इस किस्म की नौतोड़ जमीनें हैं उनका मल्टिपिल कम कर दिया जाय इसलिये मैं समझता हूं कि मुझे इस तरमीम को प्रेस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज की तरफ मैं आनरेबिल मिनिस्टर साहब की तवज्जह दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि इस ऐक्ट में या रूल्स में लैन्ड रिक्लेमेशन की कास्ट किसी जगह भी डिडक्ट नहीं की गई है और जो सूद होगा वही डिडक्टेबिल है और कुछ नहीं है। अगर अब भी आनरेबिल मिनिस्टर साहब को ऐसी तरमीम ले आयें कि जो कास्ट आफ रिक्लेमेशन होगा वह आमदनी में से डिडक्ट कर दिया जायगा तो मुझे कोई एतराज न होगा। यह गलतफहमी रफा हो जाना बहुत जरूरी है ताकि जो आर्डर ईशू हों वह गलतफहमी की बिना पर न हों, कास्ट उसमें कम हो सकती है। अब मुझे उनके एशोरेन्स पर यकीन करना चाहिये और मैं समझता हूं कि यह गलतफहमी भी रफा हो जायगी। मैं रोजाना के तजुर्बे की बिना पर अर्ज कर रहा हूं और मुझे ऐक्ट और रूल्स का अन्दाजा है और सब कुछ समझकर मैं कह रहा हूं कि कास्ट आफ रिक्लेमेशन जरूर मिलना चाहिये और अगर वह इस उसूल को मान लेते हैं तो वह दिक्कतें रफा हो जाती हैं और इसलिये मैं इस तरमीम को प्रेस नहीं करूंगा।

श्री चरण सिंह--अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ कहना नहीं है लेकिन जितने भी प्रकार के खर्च पहले साल में किये जाते हैं वह लगाये जाते हैं लेकिन अगर किसी ने १५ हजार रुपये का ट्रैक्टर खरीदा है तो यह तो नहीं हो सकता कि १५ हजार ही डिडक्ट कर दिया जाय लेकिन १५ हजार के ट्रैक्टर का जो मेनटेनेन्स और रिपेयर होता है तथा दूसरे खर्च होते हैं वह सब बराबर काटे जाते हैं और कैपिटल ऐसेट पर इन्टरेस्ट जो होता है। मेरे पास अंग्रेजी के रूल्स हैं उसमें ६--२ बी० में यह है कि.....

"The expenses incurred in the previous year in raising the crop from which the agricultural income is derived, in making it fit for market and in tansporting to market including the maintenace or hire of agricultural implements. Any expenses incurred in the previous year on the construction or maintenance of any irrigation productive or proctective work. Any sum paid in the previous year in order to effect the insurance against

[श्री चरण सिंह]

loss or damage or crops or property from which the agricultural income is derived." Any expenses incurred in the pvevious year on the maintenance of any capital asset, if such maintenance is required for the purpose of deriving the agricultural income.

फिर आगे दिया है--

"Any interest paid in the previous year on any amount borrowed and actually spent."

तो इस तरह से आप देखेंगे कि उसमें इन सब बातों को मद्देनजर रखा गया है। मैंने आप को यह इतनी चीजें गिना दीं।

(सदन की अनुमति से संशोधित वापिस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधन खंड ७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ८, ९, १०, और ११

संयुक्तप्रांतीय ऐक्ट सं० ३,१९४९ की धारा १५ में संशोधन।

८--मूल अधिनियम की धारा १५ की उपधारा (३) के बाद निम्नलिखित उप-धारा (३-क) के रूप में रख दिया जाय और निरंतर इसी प्रकार रखा हुआ समझा जायगा :--

"(३-क) यदि उपधारा (३) के अधीन तामील किया हुआ नोटिस बाद में सदोष पाया जाय और फिर से नोटिस तामील करना आवश्यक हो तो इस बात के होने पर भी कि संबद्ध वर्ष समाप्त हो गया है, वह नोटिस फिर भी तामील किया जा सकेगा, किन्तु प्रतिबंध यह है कि पूर्ववर्ती (former) नोटिस नियत समय में तामील किया गया हो।"

संयुक्त प्रांतीय ऐक्ट सं० ३,१९४९ की धारा १७ में संशोधन।

९--मूल अधिनियम की धारा १७ की उपधारा (१) के आरम्भ में शब्द "यदि" और "किसी" के बीच बें शब्द "पुनरीक्षण बोर्ड (Revision Board) कमिश्नर, अतिरिक्त कमिश्नर (Additional Commissioner) या" रख दिये जायं और शब्द "अधीन" और "किसी" के बीच में शब्द "उसके सामने" रख दिये जायं।

संयुक्त प्रांतीय ऐक्ट सं० ३,१९४९ की धारा २१ में संशोधन।

१०--मूल अधिनियम की धारा २१ की उपधारा (१) में शब्द और संख्या "धारा १७" के बाद और संख्या "या धारा ३७" रख दिये जायं।

संयुक्तप्रांतीय ऐक्ट सं० ३,१९४९ की धारा २३ में संशोधन।

११--मूल अधिनियम की धारा २३ में शब्द "करदाता" के बाद शब्द "और नियत अधिकारी (prescribed authority) रख दिये जायं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ८, ९, १० और ११ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १२

संयुक्त प्रांतीय ऐक्ट सं० ३,१९४९ की धारा २५ में संशोधन।

१२--मूल अधिनियम की धारा २५ में शब्द "के अन्त होने के एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "की समाप्ति से दो वर्ष" रख दिये जायं।

श्री रणंजय सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्रीमान् जी की आज्ञा से यहां पर यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड १२ हटा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--खंड १२ का आप संशोधन नहीं कर रहे हैं। आप कहिये कि विरोध करता हूं।

श्री रणंजय सिंह--मैं विरोध करता हूं।

ऐग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स ऐक्ट में ये शब्द हैं

"If for any reason any agricultural income chargeable to agricultural income tax has escaped assesment for any year or has been assessed at too low arate the assessing authority may, at any time within one year of the end of that year..."

इसके स्थान पर यह किया जा रहा है कि एक वर्ष के स्थान पर दो वर्ष के लिये कर दिया जाय। मैं यह समझता हूं कि इससे बड़ी असुविधायें जनता की होंगी। यहां पर जमींदारों और किसानों का प्रश्न नहीं उठना चाहिये। सामान्य विवाद के समय मैंने बहुत विषद् रूप से अपने विचार प्रकट किये थे। मैं स्वयं मुक्तभोगी हूं। दूध का जला फूंक फूंक माठा पीता है। यहां पर प्रश्न यह होता है कि जो जो कानून बनें उनसे लोगों को लाभ हो। किन्तु अभी तक जहां पर दीवारों पर यह चिपकाया गया है कि घूस लेना देना दोनों पाप हैं वहां पर यह तो वही जानते होंगे कि इसका क्या असर हुआ है जिनको उससे काम पड़ता है। अभी तक प्रयत्न होने पर भी भ्रष्टाचार का बोलबाला है। कुछ लोग ऐसे हैं कि छोटी-छोटी बातों में बिना लिये हुए नहीं मानते। मैं एक नहीं अनेक उदाहरण दे सकता हूं किन्तु समयाभाव के कारण दो चार बातें ही निवेदन करूंगा। श्रीमान् जी, मैंने देखा कि गांव में आग लगी। ७० घर के लगभग जल गये। लोग तहसीलदार साहब के पास गये और उन्होंने दरख्वास्त दी।

श्री रामनरेश शुक्ल--प्वाइंट आफ आर्डर सर। क्या मैं जान सकता हूं कि माननीय सदस्य की रेलेवेंसी कहां तक है?

श्री अध्यक्ष--आप यह बतायें कि उसमें 'इर्रेलेवेंसी' क्या है तो मैं देखूंगा।

श्री रामनरेश शुक्ल--श्रीमन् जी, भ्रष्टाचार निवारण की बात तो है नहीं जिस पर माननीय सदस्य भाषण दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--उसका कांसीक्वेंस बता रहे हैं।

श्री रणंजय सिंह--श्रीमान् जी को धन्यवाद है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने जो कुछ देखा कि आग लगी हुई है लेकिन बहुत से अफसर ऐसे हैं कि बिना उनसे कुछ लिये हुये मानते नहीं। मैंने प्रश्न भी किया था। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि मैंने ऐसी बातें देखीं कि उनके ऊपर ऐसा किया गया। तो अगर इसको एक वर्ष के स्थान पर दो वर्ष तक के लिये बढ़ा दिया जायगा और यह झगड़ा दो वर्ष तक लगा रहेगा तो बहुत से ऐसे कर्मचारी जो कि अभी तक पुरानी आदतों को छोड़ नहीं सके हैं, कम से कम ऐसे किसान जिन पर यह कर लगेगा उनको एक न एक झगड़ा करके दो साल तक तंग करते रहेंगे जैसा कि मैंने उदाहरण दिया था। ऐसी दशा में एक ही वर्ष में सब हो जाना चाहिये। अभी परिस्थिति ऐसी है कि दो वर्ष बढ़ाने से किसानों को अधिक कष्ट होगा। तो मैं श्रीमान् जी के द्वारा माननीय राजस्व जी से यह निवेदन करूंगा कि यदि इसे स्वीकार करें तो फिलहाल कम से कम इस समय इस धारा को यहां न और रखें जैसी पहले से है उसी तरह से चलने दें। अगर कोई अपनी आय छिपाता है और बाद में कोई दिक्कत मालूम होती है तो समय बढ़ा दिया जाय, लेकिन एक-एक वर्ष की जगह पर दो-दो वर्ष रखने से ऐसी कठिनता

[श्री रणंजय सिंह]

पड़ेगी कि अगर कोई कर्मचारी रुष्ट हुआ, उसको कुछ लाभ नहीं हुआ तो वह नाना प्रकार से तंग करता रहेगा। तो जो बातें इस संबंध में हो रही हैं और जो बहुत से उदाहरण इस प्रकार के मौजूद हैं उनको देखते हुये मैं समझता हूं कि यह बहुत आवश्यक है कि यह अवधि न बढ़ाई जाय और परिस्थिति पर विचार करते समय बढ़ाया जा सकता है। इन थोड़े से शब्दों के साथ मैं इस धारा का विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी इसे सच्चाई के साथ निवेदन समझ कर इस पर विचार करेंगे और इसे स्वीकार करेंगे।

श्री चरण सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय कुंवर साहब की शिकायत यह है कि एक साल की मुद्दत के बजाय अगर दो साल कर दी जाय तो भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ जायगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि भ्रष्टाचार बढ़ना है तो एक साल के मुद्दत रखने में भी होता होगा। तो भ्रष्टाचार रोकना है, उसकी मुद्दत एक साल की हो या ५० साल की हो, इसमें तो सहमत हूं, लेकिन यह कहना कि दो साल की मुद्दत में बढ़ जायगा यह बात कुछ ज्यादा समझ में नहीं आती।

रहा यह कि राजकर्मचारी भ्रष्टाचार करते हैं, ठीक है। लेकिन वह राजकर्मचारी कहां से आये? वह भी मुझमें और आप में से निकले हैं, हमीं में से निकले हैं। अगर कहीं छोटे-छोटे राजकर्मचारी भ्रष्टाचार कर लिया करते हैं उससे मुझे इन्कार नहीं, लेकिन दूसरा पहलू भी उसका है कि किन आदमियों ने उनको भ्रष्टाचारी बनाने की कोशिश की है। इस ऐग्रिकल्चरल इन्कम टैक्स के असेस्मेंट के सिलसिले में, इस १० महीने के अन्दर मेरे पास केवल एक शिकायत आई भ्रष्टाचार की, माननीय लक्ष्मणदत्त जी ने की और वह शिकायत जितनी बड़ी की गयी थी उससे थोड़ी जरूर साबित हुई, लेकिन उस पर फौरन् कार्यवाही कर के सजा दी गयी। तो इस अग्रिकल्चरल इन्कम टैक्स के सिलसिले में ज्यादा शिकायतें हैं ही नहीं और हैं तो मैं माननीय सदस्यों से दरख्वास्त करूंगा कि वह मेरे नोटिस में लायें और फौरन् उस पर कार्यवाही होगी। लेकिन दो साल की मुद्दत से ज्यादा भ्रष्टाचार हो जायगा, यह बात कुछ ज्यादा मुझे माकूल नहीं लग रही है। दूसरा पहलू इसका यह है कि बहुत से लोग धोखा देते हैं और एक्सचेकर को चीट कर लेते हैं और वह साल भर तक उस का पता नहीं चलता है और वह बिलकुल एस्केप हो सकते हैं। तो हमने अब दो साल रखा है कि किसी मुक़दमें में अगर पता लग जाय कि इसने धोखा दिया और अपनी आय छिपाई तो इस प्रकार से दो साल तक अख्तियार रहना चाहिये कि जो इन्कम छिपाई थी या जो धोखा दिया था तो फिर उस पर टैक्स लगा दिया जाय।

श्री कमला सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री रणंजय सिंह को सपोर्ट करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जहां तक दो साल की मुद्दत का सवाल है उसके मुताल्लिक़ हमें एक चीज मालूम होती है कि शायद गवर्नमेंट अपने स्टाफ की इनएफिश्यंसी की वजह से ऐसा कर रही है। क्योंकि हर जिले में ३ हजार के ऊपर की आमदनी के जो लोग हैं जोकि इन्कम टैक्स वगैरह देने वाले हैं, उनकी संख्या बहुत ही लिमिटेड है और हर एक आदमी को मालूम है कि इतने लोग हैं जो कि इन्कम टैक्स के अन्दर आ सकते हैं। अगर एक साल के अन्दर इस सरकार के स्टाफ को यह मालूम न हो सका कि फलां आदमी की आमदनी छिपायी गयी है तो मैं नहीं समझ सकता कि अगर एक साल से बढ़ा कर १० साल कर दिया जायगा तो वह आमदनी कैसे मालूम हो जायगी। वह तो वैसी ही छिपी रहेगी।

हम तो यह समझते थे कि अगर माननीय मंत्री जी अपने स्टाफ के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की कोशिश करते, मगर मालूम हो कि कहीं भी इन्कम टैक्स छिपाया गया हो तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करते तो यह काम बखूबी हो सकता था और स्टाफ को फिर उस चीज की रिपीट होने नहीं देते। यह हो सकता है कि एक बार एक आदमी आये और करप्शन की वजह से कोई छोड़ दिया जाय, जैसा कि बतलाया गया लेकिन ऐसा न होना

चाहिये कि दोबारा आने पर दोबारा उसी करप्शन में मुब्तिला होना पड़े। इस तरह से तो जो दिक्कत किसानों के सामने पहले थी वह और बढ़ेगी। मैं समझता हूं कि इस पहलू को लेना चाहिये। अगर माननीय मंत्री जी अपने स्टाफ की एफिश्यैंसी पर जोर देते कि वह लोग, वह स्टाफ जिसकी वजह से यह इन्कम टैक्स छूटता है उसके ऊपर अगर सख्ती की कार्यवाही होती तो मैं उसकी ताईद करता बनिस्बत इसके कि इसके मुताल्लिक़ मियाद बढ़ाने की। इन शब्दों के साथ मैं रणंजय सिंह जी के प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

श्री अवधेश प्रताप सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रणंजय सिंह जी के संशोधन के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, जहां तक रफीश्यैंसी का, स्टाफ की इफी-श्यैंसी का प्रश्न उठता है, उसके बारे में मुझे यह कहना है कि यह सरकार का अवश्य इनफीरि-यारिटी काम्प्लेक्स है, नीचता का भाव है जिसके कारण वह यह कहती है कि एक साल काफी नहीं है बल्कि दो साल काफी हैं जिसमें कि ऐसे लोग जो कि छिपाना चाहते हैं उनकी आमदनी का पता वह लगा सके। श्रीमन्, एक साल बहुत काफी है जिसमें कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को यह पता चल सके जिले में कौन ऐसे लोग हैं जो कि टैक्स देने से भाग रहे हैं। ऐसी छोटी बातें जो सरकार के पक्ष में की जायंगी तो माननीय रणंजय सिंह जी के कहने के अनु-सार वास्तविकता यह होगी कि थ्यौरी में बिल्कुल ठीक है कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिये लेकिन प्रैक्टिस यह होती है कि छोटे-छोटे कर्मचारी, अहलकार जो बहुत ज़िलों में मामूली मामूली जगहों पर हैं वह भी लोगों को परेशान करते हैं, यह ग़लत है, तुमने यह नहीं दिया, तुम्हारे जिम्मे इतना बाक़ी है और साधारण लोग ही नहीं जो माननीय सदस्य हैं वह भी घबड़ाये हुये हैं कि उनसे नाजायज़ लाभ उठाना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी यह भी कहते हैं कि दूसरा पहलू आप नहीं देखते हैं और कहते हैं कि हम लोगों की वजह से यह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। तो भ्रष्टाचार की बाबत आपको बता दूं और आप के जरिये तमाम हाउस को बता दूं कि उनमें हम ही नहीं है बल्कि जो माननीय सदस्य बैठे हैं वह भी क्लर्कों के पास जाते हैं, अपना काम कराने के लिये वही करते हैं। कुछ ऐसी मजबूरियां होती हैं, कुछ ऐसी परिस्थिति होती है कि वह भी ऐसा करते हैं। यही नहीं कि कोई काश्तकार जो ३० एकड़ वाला होगा बल्कि श्रीमन् मैं यह भी बता दूं कि जो पूर्व में मंत्री नहीं थे, मैं इस वक्त नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने भी घूस दिया है। नवाब साहब छतारी जो कि प्राइम मिनिस्टर जब थे तब भी उनकी रियासत से घूस जाया करता था। यह एक ऐसी ज़रूरत है कि जिससे मजबूर हो कर लोग इस चीज़ को करते हैं। तो ऐसी बात को छिपाने की क्या ज़रूरत है जो कि तमाम लोगों को मालूम है। माननीय मंत्री जी अगर इस वक्त न करते और एक साल ही रहने देते तो मैं समझता हूं कि बहुतों को बहुत कुछ लाभ पहुंच सकता था।

राजा वीरेंद्र शाह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी का इस धारा के बारे में जो विचार सुना उससे मेरा यह विचार हुआ कि मैं भी जो कुछ मेरा अनुभव है कृषि-आय कर के बारे में वह आपके सामने रखूं। श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को यह मालूम होना चाहिये कि आप की जो गड़बड़ी है वह पहले ही आपने ऐसे आदमी रखे हैं श्रीमन्, कि जो पेंशन पा रहे हैं, जो नौकरी से ख़त्म हो गये हैं। तो ऐसे तो अफ़सरान आप के कृषि-आय-कर को वसूल करने वाले हैं। लिहाजा वह तो पहले ही जो सरकार के फायदे की चीज़ होगी उसको पहले ही वापस कर लेते हैं। तो समय को दो साल बढ़ा कर उनके हाथ मजबूत करके उन परेशान किसानों को जो कि आज भी इनसे परेशान रहते हैं, तो यह जो दो साल के लिये अधिकार बनेगा तो उससे उसका पिंड कभी ज़िन्दगी में नहीं छूटेगा। एक साल के लिये रखा गया है। उसमें यह सवाल आता है कि एक साल के अन्दर काफी आपके कर्मचारी कोशिश करते हैं और जो अफसरान हैं वह भी कोशिश करते हैं कि सरकार को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो और फिर सरकार एक छोटे से बिल को पेश करके छोटी आमदनी के लिये दो साल के लिये तज-वीज़ करती है, यह हमारी समझ में नहीं आता है। अभी हमारे एक सोशलिस्ट सदस्य, जो हम

[राजा वीरेन्द्र शाह]

लोगों के साथ जा नहीं सकते, उन्होंने भी इस बात को मुनासिब समझा कि यह एक जायज मांग है और एक ज्यादती सरकार कर रही है, यानी सरकार इस तरह का हथियार लेना चाहती है जो दो साल तक गले पर लटका रहे। श्रीमन्, यह सरासर अन्याय है। माननीय मंत्री जी जो यह धौंस देते हैं और यह कहते हैं कि करप्शन का क्या सवाल है, तो करप्शन का सवाल कुछ नहीं है, करप्शन सिर्फ यही है कि वे नाजायज तरीके से एक-एक, दो-दो, दस-दस रुपये के लिये परेशान किये जाते हैं, और लखनऊ में पड़े रहते हैं। इससे वे दो साल परेशान होंगे। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इस छोटे से बिल में ऐसी तब्दीली न की जाय।

श्री गेंदा सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में कुछ अमली दिक्कतों की तरफ माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह दो वर्ष का प्रश्न जो रखा गया है, इसमें मैं यह समझता हूं कि इस तरफ उनका ध्यान जरूर जायगा कि किसानों की हालत---किसानों में मैं उनको भी समझता हूं जो ३० एकड़ से ज्यादा खेती करने वाले हैं---यानी खेती करने वालों से मेरा मतलब है हर साल बदलती रहती है। एक वर्ष खेती में अच्छी पैदावार हुई और उस पैदावार से कर उसूल कराया गया, तो उस वर्ष कर वसूल करने में बहुत आसानी होगी। लेकिन वह वर्ष अगर किसी अधिकारी की ग़लती से बाक़ी पड़ गया, और दूसरे वर्ष सरकार वसूल करना चाहे तो चाहे जितनी सख्ती करें लेकिन वसूल करना कठिन होगा। अगर दो वर्ष की मियाद रहेगी तो उसमें ढिलाई आना स्वाभाविक है। इस लिये मैं सोचता हूं कि एक वर्ष तक मियाद रखना मुनासिब होगा।

दूसरी बात एक और है कि जो माननीय राजस्व मंत्री जी ने कही कि इस विभाग के जो टैक्स लगाने वाले हैं, उनकी शिकायत उनके पास नहीं आयी। मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर शिकायत न आती तो एक वर्ष से दो वर्ष करने की आवश्यकता ही नहीं मालूम होती। हो सकता है कि शिकायत बाहर से न आयी हो लेकिन यह अन्दाजा लगाने का हमको कारण है कि भीतर से शिकायत पहुंची है उनके पास और इसलिये उनके पास भीतर से शिकायत पहुंची है कि बाहर उन लोगों के ऊपर कर लगता है जो बड़े-बड़े लोग होते हैं और जो बड़े-बड़े लोग होते हैं वे अपना काम करा लेते हैं। मेरा भी यही ख़याल है कि वे अपना काम करा लेते हैं लेकिन सरकार को स्वयं इस बात की अनुभूति हुई है कि इसमें ग़लती हुई है और भ्रष्टाचार से काम लिया जाता है। मेरा मतलब यह है कि भीतर से उनको शिकायत मिली है और उसी शिकायत को रफा करने के लिये बजाय एक वर्ष के दो वर्ष करना चाहते हैं। बजाय एक वर्ष के दो वर्ष मियाद करने से अच्छा यह होगा कि अपना प्रबंध ज्यादा एफिशेंट किया जाय और उस पर ज्यादा ताकीद रखी जाय कि उसमें ग़लती न होने पावे। अगर एक वर्ष से दो वर्ष हम करेंगे तो आख़िर में वसूली हम उन्हीं लोगों से करेंगे जिनके ऊपर कर लगायेंगे। इसलिये मुमकिन हो सकता है कि एक वर्ष अच्छी फसल हुई और उस वर्ष उनसे कर वसूल किया जा सकता था लेकिन दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष उनसे वसूल नहीं किया जा सकता है, इस बात का ध्यान माननीय राजस्व मंत्री जी को रखना चाहिये।

श्री चरण सिंह---अध्यक्ष महोदय, माननीय गेंदा सिंह जी ने जो कहा है मुझे अफ-सोस है कि मैं उसको समझ नहीं पाया, या हमारे कुंवर साहब ने जो कहा उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इस जगह जो हम संशोधन कर रहे हैं उसकी मंशा यह है कि १३६० फ० में जो हम टैक्स लगा रहे हैं अगर १३६० के अन्त तक कोई आदमी अपनी आमदनी छिपा ले और पता न लगे, तो कानून यह है कि १३६१ के अन्त तक नोटिस सर्व की जा सकती है इस तरह के आमदनी पर जो अपनी आमदनी छिपाता है। अब हम चाहते हैं कि १३६२ तक यानी दो साल के अन्त तक यह अधिकार होगा कि उस पर नोटिस दे दिया जाय कि तुम पर टैक्स क्यों न लगाया जाय, वजह जाहिर करो। उसमें भ्रष्टाचार की बात श्री रणंजय सिंह जी ने कही, तो भ्रष्टाचार की शिकायत हमारे ऊपर नहीं आती।

एक ही शिकायत नहीं आयी है। मेरे बाद तीन साहब बोले हैं कि वह शिकायत उन्होंने नहीं की। इससे मैं नतीजा निकालता हूं कि भ्रष्टाचार नहीं है। फिर जहां भ्रष्टाचार है वहां शिकायत न की जाय, मैं नहीं मानता हूं इस बात को। यह तो सिर्फ तक़रीर के वक़्त अच्छा रहेगा, ज़रा हां कहने के लिये वह क्या कहते हैं कि जैसे मिर्च खाते हैं तो जब लगता है, तो वह नमकीन रहेगा, इसलिये भ्रष्टाचार की बातें कही जाती हैं। इन सब बातों को छोड़ कर माननीय दोस्तों के जो एतराज़ और मुख़ालिफतें हैं उनको मैं नहीं मानता। मैं इन्कम टैक्स ऐक्ट जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट का बना हुआ है उसकी दफ़ा ३४ की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं, उसमें लिखा हुआ है कि ८ साल तक इस्केप्ड पर टैक्स लग सकता है :—

"In consequence of definite information which has come into possession the Income Tax Officer discovers that income, profits or gains chargeable to income tax have escaped assessment in any year or have been under assessed or have been assessed at too low a rate or have been the subject of excessive relief under this Act the Income Tax Officer may in any case in which he has reason to believe that the assessee has concealed the opportunity of his income or deliberately furnished inaccurate particulars thereof at any time 8 years and in any other case serves on the person liable to pay tax of such income profits or gains."

तो उसमें ८ साल तक की मियाद है और हमारे यहां दोस्तों को एतराज़ दो ही सालों में हो रहा है। यह नहीं कि वाक़यात का तकाज़ा क्या है बल्कि उनको तो सिर्फ़ एतराज़ करना है। हमारे आफिसर, एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स आफिसर और लैंड रिफार्म्स कमिश्नर कहते हैं कि इसको २ साल कर दिया जाय, क्योंकि ऐसे बहुत से मामलात हमारी नोटिस में आये हैं कि एक साल बीत गया और उन पर टैक्स नहीं लगा। इसलिये उस पर टैक्स लगाना चाहिये। इस तरह से बहुत से लोग बच जाते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि अगर बजाय २ साल के ४ साल भी रखा जाय तो कोई बेजा नहीं है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १२ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(श्री रणंजय सिंह से जो नेता विरोधी दल की सीट पर बैठे हुये थे) मैं समझता हूं कि इस विभाजन के समय वह जगह खाली कर दी जाय, नहीं तो लोगों को आशंका होगी।

(श्री रणंजय सिंह ने नेता विरोधी दल की जगह छोड़ दी।)

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष में—११५
विपक्ष में—१५

खण्ड १३

१३—मूल अधिनियम की धारा ३० की— संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट सं० ३, १९४९ की धारा ३० में संशोधन।

(१) उपधारा (१) में शब्द "चार" के स्थान पर शब्द "दो" रख दिया जाय।

(२) उपधारा (२) में शब्द "बाद की सब क़िस्तें एक दूसरे से दो मास के भीतर" के स्थान पर शब्द "पहली क़िस्त के निश्चित दिनांक (due dates) के छः मास के भीतर दूसरी क़िस्त" रख दिये जायं और अंतिम शब्द "जायंगी" के स्थान पर "जायगी" रख दिया जाय।

श्री रामलखन (जिला बनारस)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से संशोधन पेश करता हूं कि खंड १३ के उपखंड (२) की पंक्ति ३ में शब्द "दिनांक (Due Dates)" और शब्द "छः मास" के बीच में शब्द "के" के स्थान पर शब्द "से" रख दिया जाय।

ड्यू डेट्स के बाद जो "के" रखा गया है यह ज्यादा उपयुक्त नहीं मालूम होता। इसे हटा कर "से" रख देने से मंशा में कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इसे स्वीकार करें।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—यह स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १३ के उपखंड (२) की पंक्ति (३) में शब्द "दिनांक (Due Dates)" और शब्द "छः मास" के बीच में शब्द "के" के स्थान पर शब्द "से" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

राजा वीरेन्द्र शाह—माननीय अध्यक्ष, मैं धारा १३ का विरोध करता हूं। मेरी समझ में मौजूदा तरीक़ा ज्यादा सुविधाजनक है। इसमें जो सरकार ने ६ महीने की बात अदायगी के लिये रखी है इसमें लोगों को दिक़्क़त होगी। यह मैं मानता हूं कि २ फ़सलों की वजह से किन्हीं लोगों को ६ महीने में देने में आसानी हो सकती है। यदि सरकार दोनों तरीक़े रखे तो हमें कोई विरोध नहीं है। लेकिन छः महीने में एक दम रक़म देने में कठिनाई होगी। जिनके ज्यादा बड़े फार्म्स हैं या जिन्हें ज्यादा देना पड़ता है वे ४ क़िस्तों में दें।

इन शब्दों के साथ मैं इस धारा का विरोध करता हूं।

श्री अवधेशप्रताप सिंह—माननीय अध्यक्ष, मैं माननीय राजा वीरेन्द्रशाह को सपोर्ट देने के लिये खड़ा हुआ हूं।

यह इतनी ऊंची बात है कि माननीय मंत्री जी को इसे समझने में कठिनाई नहीं होनी चाहिये कि २ क़िस्तों और ४ क़िस्तों में किसमें आसानी होती है देने में।

अब रहा यह कि लगान काश्तकारों से चार किस्तों में लेते हैं जमींदारी अबालिशन ऐक्ट के अनुसार। फिर समझ में नहीं आता है कि इस लिये दो किस्तों में करने की ऐसी कौन सी बात है। इसके लिये दलील की क्या आवश्यकता है। यह तो बिलकुल सीधी सादी और मोटी सी बात है और सदन को समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

श्री चरण सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे माफ करेंगे अगर मैं यह कहूं कि बात चाहे वह माकूल कह रहे हों या गैर माकूल लेकिन उन्होंने इधर आंख नहीं उठायी।

श्री अध्यक्ष—कायदा यह है कि अध्यक्ष की तरफ ही उठानी चाहिये।

श्री चरण सिंह—क्योंकि फसलें आम तौर पर दो होती हैं। खरीफ और रबी यानी असाढ़ी और सावनी साल में दो ही मर्तबा उनको आमदनी होती है। इसलिये जो लगान वगैरह होता है और यह इन्कमटैक्स वगैरह इन्हीं दो किस्तों में वसूल होना चाहिये। यदि ऐसा हुआ तो आसानी रहेगी। यह जरूरी नहीं होनी चाहिये कि कितनी ही अच्छी बात इधर से हो तो उसकी मुखालिफत की जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सदन का समय बढ़ाने के संबंध में प्रस्ताव

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज सदन का समय एक घंटा बढ़ा दिया जाय ।

श्री कमला सिंह (ज़िला ग़ाज़ीपुर)---सदन तब तक के लिये बैठे जब तक कि यह विधेयक न खत्म हो जाय ।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)---श्रीमन्, मैं इन दोनों प्रस्तावों का विरोध करता हूं और इस उसूल से कि न तो रामनरेश जी ने और न कमला सिंह जी ने ही समय को बढ़ाने के लिये कोई कारण बतलाया कि ऐसी क्या आपत्ति है कि ५ बजे के बाद हम बैठें ऐसी क्या खास जरूरत है कि आज ही इस विधेयक को खत्म कर लिया जाय । क्या हम कल नहीं बैठेंगे ?

माल मंत्री (श्री चरण सिंह) ---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो एक घंटा समय बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है वह निहायत उचित है और इसलिये किया गया है कि यह जो विधेयक विचारणीय विषय बना हुआ है, यह पास हो जाय और इसके साथ ही साथ एक माननीय मुख्य मंत्री के नाम से उत्तर प्रदेश इवैकुई इंटरेस्ट सेपरेशन (पूरक) विधेयक, १९५३ है। यह भी आज ही हो जाय तो बहुत अच्छा है । यह भी क्या जरूरी है कि रोज ५ बजे ही उठ जाया करें । मंशा तो यह है कि काम होना चाहिये । यह आज विचार के लिये एजेंडे पर मौजूद था । अगर यह भी आज हो जाय तो कल और परसों में उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी विधेयक, १९५३ पर भी विचार हो जायगा और पास हो जायगा । यह जरूरी नहीं है कि कोई बात इधर से आई तो मुखालफत हो ही मैं समझता हूं कि इसमें गेंदा सिंह जी और कमला सिंह जी को कोई एतराज नहीं होगा और वह राजी हो जायेंगे ।

श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)---जो विधेयक माननीय मुख्य मंत्री जी के नाम से है उसका ओरीजनल ऐक्ट हमको लायब्रेरी तक में नहीं मिला तो ऐसे बिल को हमसे पास करने के लिये कहा जाता है । लिहाजा मैं आप से अनुरोध करता हूं कि जब तक ओरीजनल बिल की कापी न मिल जाय तब तक सदन में यह मामला पेश न किया जाय ।

श्री ब्रजविहारी मिश्र (जिला आज़मगढ़)---प्वाइंट आफ आर्डर पेश करना चाहता हूं । अभी तो सवाल यह है कि सदन का समय बढ़ाया जाय । जब यह प्रश्न आयगा तब देखेंगे ।

राजा वीरेन्द्र शाह---श्रीमन्, यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---है यह प्वाइंट आफ आर्डर । ठीक कहा उन्होंने इस समय तो प्रश्न यह है कि समय बढ़ाया जाय या नहीं ।

प्रश्न यह है कि इस सदन का समय एक घंटा और बढ़ा दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

राजा वीरेन्द्र शाह---मैं इस पर विभाजन चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष---अब तो बहुत देर हो गयी ।

उत्तर प्रदेश कृषि आयकर (संशोधन) विधेयक, १९५३ (क्रमागत)

खंड १४

संयुक्त प्रांतीय ऐक्ट सं० ३,१९४९ की धारा ३६ में संशोधन ।

१४—मूल अधिनियम की धारा ३६ के खंड (ङ) के बाद निम्नलिखित नये खंड (च) के रूप में बढ़ा दिया जाय :—

"(च) केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी को ऐसे तथ्यों की सूचना जो उस सरकार को आयों पर कर लगा सकने या लगाये हुये करों की वसूली कर सकने के प्रयोजन के लिये आवश्यक हो।"

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १४ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, माननीय कमला सिंह जी का प्रस्ताव तो रह ही गया ।

श्री अध्यक्ष—वह तो जब एक पास हो गया तो दूसरा तो रह ही जायगा । हां, आपका यह खयाल है कि एक घंटे में खत्म न हो तो मैं ले सकता हूं लेकिन इसमें दो दो करने का इरादा है ।

खंड १५

संयुक्त प्रांतीय ऐक्ट सं० ३,१९-४९ की धारा ३७ में संशोधन ।

१५—मूल अधिनियम की धारा ३७ में शब्द "उसको अर्थ दंड दिया जा सकेगा जो उस अवधि तक जिसमें वह दे नहीं दिया जाय, प्रति दिन ५ रु० तक हो सकता है" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"कर-निर्धारक अधिकारी अपने विवेक से निर्देश कर सकता है कि उक्त ब्योरे दाखिल न करने के प्रत्येक दिन के लिये करदाता से दंड (penalty) के रूप में ऐसी धनराशि वसूल की जायगी जो ५ रु० से अधिक न हो ।

किन्तु प्रतिबंध यह है कि कर निर्धारक अधिकारी उस समय तक ऐसी कोई भी आज्ञा न देगा जब तक कि करदाता की सुनवाई न कर ली गयी हो, या जब तक उसे सुनवाई के लिये यथोचित अवसर न दे दिया जाय ।

और यह भी प्रतिबन्ध है कि यदि इस धारा के अधीन करदाता को अर्थ दंड दे दिया गया हो तो ब्योरे दाखिल न करने के संबंध में उस पर कोई अभियोग (prosecution) नहीं चलाया जायगा।"

श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १५ की पंक्ति ३ में अंक "५" के स्थान पर अंक "२" रख दिया जाय ।

श्रीमान् जी, मैं इसके ऊपर अधिक कहने की आवश्यकता नहीं समझता । अन्त में मुझे फिर कहने का समय मिलेगा इसलिये मैं तभी कहूंगा ।

माल मन्त्री (श्री चरण सिंह)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी कुछ ज्यादा जरूरत कहने की नहीं समझता हूं। ५ रुपये पहले से थे और ५ ही रुपये इसमें रखा गया है। सिर्फ इतना अन्तर किया गया है कि अब तक अफसरान को अदालत में जाना पड़ता था क्योंकि उसमें लफ्ज लिखे जाते हैं कि ५ रुपये रोज जुर्माना उस पर होगा। तो उसको प्रासीक्यूट करना पड़ता था तब जुर्माना होता था। अब मंशा यह है कि वह पेनालिटी हो जाय, जो मियाद दी गयी है कि इसके अन्दर रिटर्न्स दाखिल कर दे अगर वह दाखिल न करे तो ५ रुपये रोज पैनालिटी के तौर पर उस पर लगाई जायगी और उससे वसूल की जायगी और गावर्नमेंट को उस असेसी या प्रपोज्ड को प्रसीक्यूट करने की नौबत नहीं आयेगी। केवल इतना अन्तर है, बाकी ५ रुपये के बजाय १० रुपये रखते तो ज्यादा अच्छा होता बजाय दो या तीन रुपये रखने के।

श्री रणंजय सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पैनालिटी जो रखी गयी है उसके लिये मुझे यह निवेदन करना है कि हो सकता है कि किसी मामले की वजह से या कोई ऐसी ही बात पड़ जाय जिसकी वजह से वह उस मियाद के अन्दर रिटर्न्स न दे सके। तो पहले तो उसके लिये कुछ विचार भी किया जा सकता था परन्तु अब एक दम से देना होगा। आज की परिस्थिति में जब कि मंहगाई से इतने लोग पीड़ित हो रहे हैं और नये नये कर भी लगाये जा रहे हैं वहां पर पैनालिटी के संबंध में मेरा यह कहना है कि यदि ५ के स्थान पर २ रुपये रहें तो बड़ी सुविधा होगी। इन शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय राजस्व मंत्री जी इसे कृपा करके स्वीकार करें।

श्री चरण सिंह—मुझे और कुछ नहीं कहना है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १५ की पंक्ति ३ के अंक "५" के स्थान पर अंक "२" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रामलखन (जिला बनारस)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड १५ के पहिले प्रतिबन्ध की पंक्ति २ व ३ में शब्द 'कर ली' और शब्द 'या जब' के बीच के शब्द 'गयी हो' के स्थान पर शब्द 'जाय' रख दिया जाय।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १५ के पहले प्रतिबंध की पंक्ति २ व ३ में शब्द 'कर ली' और शब्द 'या जब' के बीच के शब्द 'गयी हो' के स्थान पर शब्द 'जाय' रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १६

१६—मूल अधिनियम में जहां पर भी शब्द "बोर्ड" प्रयुक्त हुआ हो वहां उसके स्थान पर शब्द "पुनरीक्षण बोर्ड" (Revision Board) रख दिया जाय। — सामान्य संशोधन।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार और प्रारंभ।

१—(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश कृषि-आय-कर (संशोधन) अधिनियम, १९५३ होगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित हो जायगा,

श्री रामलखन—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड १ के उपखंड (२) को निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

(२) यह धारा और धारायें २, ३, ६, ८ से १२ और १४ से १६ तक तुरन्त प्रचलित हो जायेंगी और शेष धारायें, १ जुलाई, १९५३ से प्रचलित होंगी।

माल मन्त्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)—श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना.....

श्री अध्यक्ष—(श्री रामलखन की ओर संकेत करके) आप अभी बैठ जायं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि २२ (क) पर जो संशोधन श्री ब्रजबिहारी मिश्र का है, वह अधिक व्यापक है। इसलिये मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह इसको वापिस ले लें क्योंकि वह संशोधन ज्यादा व्यापक है उसको स्वीकार किया जायगा।

श्री रामलखन—मैं उसको वापिस लेना चाहता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापिस लिया गया।)

श्री ब्रजविहारी मिश्र—(जिला आजमगढ़) अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड १ के उपखंड (२) को निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

(२) यह धारा और धारायें २, ३, ६, ८ से १२ और १४ से १६ तक तुरन्त प्रचलित हो जायेंगी और शेष धारायें १ जुलाई, १९५३ से प्रचलित होंगी।

"किन्तु प्रतिबंध यह है कि ३० जून, १९५३ ई० को या उससे पहले समाप्त होने वाले कृषि वर्षों के लिये कर निर्धारण, चाहे ऐसे कर निर्धारण इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पहले हुये हों, या न हुये हों, होते रहेंगे, मानो

(क) मूल अधिनियम की धारायें ४, ६ और ३० इस अधिनियम द्वारा संशोधित नहीं हुई थीं, और

(ख) इस अधिनियम की धारा ५ द्वारा बढ़ायी गयी धारा ४ (क) इस तरह नहीं बढ़ायी गयी थी।"

श्रीमन्, यह ऐसा संशोधन है कि इस पर कुछ कहने की आवश्यकता मालूम नहीं देती। आशा है कि मंत्री महोदय इसको स्वीकार कर लेंगे।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १ के उपखंड (२) को निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

(२) यह धारा और धारायें २, ३, ६, ८ से १२ और १४ से १६ तक तुरन्त प्रचलित हो जायंगी और शेष धारायें १ जुलाई, १९५३ से प्रचलित होंगी।

"किन्तु प्रतिबंध यह है कि ३० जून, १९५३ ई० को या उससे पहले समाप्त होने वाले कृषि-वर्षों के लिये कर निर्धारण, चाहे ऐसे कर निर्धारण इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले हुये हों, या न हुये हों, होते रहेंगे, मानो

(क) मूल अधिनियम की धारायें ४,६ और ३० इस अधिनियम द्वारा संशोधित नहीं हुई थीं, और

(ख) इस अधिनियम की धारा ५ द्वारा बढ़ायी गयी धारा ४ (क) इस तरह नहीं बढ़ायी गयी थी ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना

यह आवश्यक है कि १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय कृषि-आय-कर ऐक्ट में कुछ प्रयोजनों के निमित्त संशोधन किये जायं, — संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट सं० ३, १९४९ ।

इसलिए निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

श्री रामलखन—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्तावना की पंक्ति १ में अंक व शब्द "१९४८ ई०" तथा शब्द "संयुक्त प्रांतीय" के बीच में शब्द "का" को निकाल दिया जाय तथा उसके स्थान पर शब्द "के" रख दिया जाय ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—मुझे यह स्वीकार है ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि प्रस्तावना की पंक्ति १ में अंक व शब्द "१९४८ ई०" तथा शब्द "संयुक्त प्रांतीय" के बीच में शब्द "का" को निकाल दिया जाय तथा उसके स्थान पर शब्द "के" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)—श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं यह सामान्य संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि विधेयक में जहां कहीं भी शब्द 'बाद' आया है उसके स्थान पर शब्द 'पश्चात्' रख दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—यह पहले आ जाना चाहिये था ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—मुझे यह स्वीकार है ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि विधेयक में जहां कहीं भी शब्द 'बाद' आया है उसके स्थान पर शब्द 'पश्चात्' रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री श्रीचन्द्र—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह सामान्य संशोधन प्रस्तुत करता हूं ।

विधेयक में जहां कहीं भी शब्द 'अधिकारी' आया है इसके स्थान पर 'प्राधिकारी' रख दिया जाय ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा जो ऐक्ट है उसमें 'अधिकारी' शब्द ही आयी है। इसलिये ऐसे तो कोई बात नहीं है लेकन शब्द 'प्राधिकारी' रखने से जरा असंगत हो जायगा । अतः मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता ।

श्री श्रीचन्द---श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं इस शब्द के संबंध में आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि 'अधिकारी' शब्द जहां कहीं भी प्रयोग में आया है वह अर्थ इसका वह नहीं दिखलाता जो कि 'अथारिटी' का है। अथारिटी का हिन्दी शब्द 'प्राधिकारी' हमारे संविधान में आया है और यह उचित अर्थ भी देता है इसलिये मैं आपसे निवेदन करता हूं कि 'अधिकारी' शब्द जो कि ठीक नहीं है और न उपयुक्त और ठीक अर्थ देता है उसके स्थान पर 'अधिकारी' कर दिया जाय।

श्री चरण सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, अब तक हिन्दी में जो टेक्निकल वर्ड्स और टर्म्स हैं इनका स्टैन्डर्डाइजेशन नहीं हो पाया है। तो हो सकता है कि माननीय श्रीचन्द जी की राय सही हो और लफ्ज "प्राधिकारी" ज्यादा उपयुक्त हो और अथारिटी का पर्यायवाची शब्द "प्राधिकारी" उचित हो, यह संभव है लेकिन जो हमारा मूल अधिनियम है उसमें अथारिटी के लिये लफ्ज "अधिकारी" ही आया है। तो इसलिये कि केवल इस संशोधन विधेयक में तो "प्राधिकारी" कर दिया जाय और मूल अधिनियम में "अधिकारी" ही रहे तो यह उचित नहीं होगा। "अधिकारी" और "प्राधिकारी" के अर्थ में तो कोई ज्यादा अन्तर नहीं पड़ता। "प्राधिकारी" भी "अधिकारी" से ही निकला है। इसलिये मैं सोचता हूं कि माननीय श्री श्रीचन्द जी इसको वापस ले लेंगे।

श्री श्रीचन्द---ऐसा है तो मैं इसे वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित प्रस्तावना इस विधेयक का अंग मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक

उत्तर प्रदेश कृषि-आय-कर (संशोधन) विधेयक, १९५३

संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या ३, १९४९। कुछ प्रयोजनों के निमित्त १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय कृषि-आयकर ऐक्ट में संशोधन करने के लिए

विधेयक

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि शीर्षक इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चरण सिंह---मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि-आयकर (संशोधन) विधेयक, १९५३ जैसा कि विधान सभा ने संशोधित किया है पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि कृषि-आयकर (संशोधन) विधेयक, १९५३ जैसा कि इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश इवैकुई इन्ट्रेस्ट (सेपरेशन) पूरक विधेयक, १९५३

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)---जनाबवाला, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश इवैकुई इन्ट्रेस्ट (सेपरेशन) पूरक विधेयक, १९५३ पर जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है विचार किया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर सर, श्रीमान् मैं विधान के शेड्यूल ७ की कानकरेंट लिस्ट तीन के आइटम ४१ और ४२ की

तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं—

41. Custody, management and disposal of property (including agricultural land) declared by law to be evacuee property.

42. Principles on which compensation for property acquired or requisitioned for the purposes of the Union or of a State for any other public purpose is to be determined, and the form and the manner in which such compensation is to be given.

इसके साथ ही साथ विधान की धारा २४९ की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं :—

A law made by Parliament which Parliament would but for the passing of a resolution under (1) have been competent to make shall, to the extent of the incompetency, cease to have effect on the expiration of a period of six months after the resolution has ceased in force, except as respects things done or omitted to be done before the expiration of the said period.

[संसद् द्वारा निर्मित कोई विधि, जिसे संसद् खंड (१) के अधीन संकल्प के पारण के अभाव में बनाने में सक्षम न होती, संकल्प के प्रवृत्त न रहने से छः मास की कालावधि की समाप्ति पर अक्षमता की मात्रा तक उन बातों के अतिरिक्त प्रभावी न होगी जो उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व की गई या की जाने से छोड़ दी गई है।]

इस विधेयक में १५ दिसम्बर, १९५२ से प्रस्तुत करने की बात कही गई है जब कि विधान की धारा २४९ (३) इस बात का अधिकार देती है कि इवैकुई इंट्रेस्ट सेपरेशन ऐक्ट जो है वह जून, १९५३ तक वैधानिक रहेगा। तो ६ महीने आगे के वेलिड पीरियड को धारा २४९(३) लेती है। तो इन दोनों दृष्टिकोण से देखते हुये मैं यह समझता हूं कि इसमें जो रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट दिया जा रहा है उसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस प्रकार का रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट धारा १(३) देती है।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि नियमों के अनुसार यह बिल जिस रूप में आया है उस रूप में नहीं आना चाहिये था बल्कि दूसरे रूप में आना चाहिये था जैसा कि उद्देश्य और कारण में बताया गया है।

श्री अध्यक्ष—आपने कान्करेंट लिस्ट तीन में से ४१ और ४२ धारायें किस लिये पढ़ी इसके संबंध में कुछ बताया नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—यह तो उद्देश्य और कारण में लिखा हुआ है :—"तो भी यह अनुभव किया गया है कि उक्त विधान के कुछ उपबन्ध संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची २ के मद संख्या और ३० के अन्तर्गत आते हैं और यह संदेह किया जाता है कि उक्त विषयों के संबंध में संसद विधि बना सकती है।" तो उद्देश्य और कारण में साफ यह दिया हुआ है कि क्या संसद् विधि बना सकती है, इसमें संदेह है। लेकिन मेरा अपना विचार यह है कि इस संबंध में पार्लियामेंट को पूरा अधिकार है कि वह विधान बना सकती है चूंकि वह कान्करेंट लिस्ट की आइटम ४३ और ४४ में है इसलिये पार्लियामेंट इसके विषय में विधान बना सकती है और इस बात की आवश्यकता नहीं है कि यह सदन एक पूरक विधेयक पास करे। इस संबंध में स्पष्टोक्ति के लिये कि यह विधेयक विधान की धारा ७१ और धारा १९४(३) के अनुसार लाया जा सकता है मैं माननीय ऐडवोकेट जेनरल की राय इस सदन में जानना चाहता हूं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जनाब वाला, जो बात कही गई अगर वह नहीं होती तो यह बिल यहां पेश नहीं होता। बात यह है कि जो इवैकुई प्रापरटीज यहां हैं और उसमें मुख्तलिफ किस्म की प्रापरटीज है जिनसे डील करने का हक संविधान की रू से है सेन्ट्रल गवर्मेंट को किसी में है और किसी में स्टेट को है। तब वहां यह चीज तजवीज हुई कि एक ऐसा कानून बना दिया जाय जिसकी रू से उन आदमियों की जायदाद जो यहां रहते हैं उनकी जायदाद से जो कि पाकिस्तान चले गये हैं तकसीम हो कर अलग हो जाय। उनका हिस्सा तकसीम हो कर अलग हो जाय और यहां के रहने वाले हिस्सेदार जो हैं उनका हिस्सा अलग हो जाय। उसके लिये जब कानून बनाने की तजवीज हुई। वहां तो उस वक्त यह समझा गया कि पार्लियामेंट को इस कानून के बनाने का हक है लेकिन उसके बाद कानूनदानों ने ही उसके ऊपर अपना शुबहा जाहिर किया कि चूंकि जो स्टेट लिस्ट है उसमें १८ और ३० नम्बर में जो चीजें लिखी गई हैं वह भी इसमें आती हैं और उनके मुताल्लिक संसद् के बनाये हुये कानून आयद नहीं होते। यह शुबहा पैदा हुआ जिसके माने यह हैं कि कानून बनाने वालों की राय में इस प्वाइन्ट पर इख्तिलाफ हुआ कि आया संसद् का बनाया हुआ कानून उस तमाम दायरे को कवर कर लेगा जिस दायरे को कवर करना मकसूद है या उसके बाहर रहेगा। और उनकी निस्बत यह समझा गया कि कानून बनाने का अख्तियार पार्लियामेंट को नहीं है बल्कि स्टेट को है। इसलिये यह कानून स्टेट को बनाना चाहिये। उसमें भी दो सूरतें हैं कि जो चीजें स्टेट के कानून बनाने के लिये हैं उसमें सेंटर कानून बनाता है और संविधान के आ० २५२ में दिया हुआ है कि जो पार्ट ए और बी स्टेट्स हैं वह मिलकर अपने-अपने यहां एक रिजोल्यूशन पास कर दें कि हम सेंटर को अख्तियार देते हैं कि वह इस चीज की बाबत जिसकी बाबत हमको कानून बनाने का अधिकार है एक ऐसा कानून बना दे जो तमाम स्टेट्स पर लागू हो जाय। तो उसके बाद वह कानून बना देता है और एक सूरत यह भी है कि जो चीज यहां बन सकती है उसको बनाने के लिये वह कौंसिल के रिज्योल्यूशन के ऊपर कानून बना सकता है। यह उपधारा २४९ में है जिसमें यह अधिकार पढ़ा जा रहा है। लेकिन उसके मातहत भी रिज्योल्यूशन पास हुआ और २५२ के मुताल्लिक भी रिजोल्यूशन पास हुआ लेकिन फिर भी कानूनदानों की राय से उस पर काम नहीं हो सकता और उसमें मतभेद भी था कि आया जो कानून इस वक्त बनाया गया है वह कानून वाकई मानों में लागू हो जायगा उन चीजों के ऊपर जिनका ताल्लुक स्टेट्स से है। और इसलिये उस बात को ख्याल में रखते हुये यह कार्यवाही की गई और स्टेट्स से कहा गया है कि वे अपनी तरफ से एक कानून पास कर दें जिसकी शक्ल इस बिल में दी गई है और जो इस वक्त सदन के सामने रखा हुआ है। इस बिल का मकसद सिर्फ इतना है कि यह बिल पार्लियामेंट ने पास कर दिया है और उस चीज को हम अपने यहां भी लागू करते हैं इसलिये यह बिल यहां पर पेश किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में वह कानून लागू हो जाय सिर्फ इतना सा मकसद है। उसमें कोई किसी तरह की लीगल ओपीनियन की जरूरत नहीं है और न इस एतराज की जो हमारे दोस्त ने अभी किया है। कुछ राय इसके खिलाफ हैं इस वास्ते उस इख्तलाफ को मिटाने के लिये यह बिल यहां पर पेश किया जा रहा है और इससे ज्यादा मकसद इसका नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मेरा निवेदन यह था कि इसके संबंध में कानूनी इख्तलाफ है और इसको स्वयं मंत्री जी ने मंजूर किया है। मेरा निवेदन यह है कि कांकरेंट लिस्ट ४१, ४२ के मुताबिक यह साफ है कि इवैकुई प्रापरटी के सेपरेशन के बारे में पार्लियामेंट कानून बना सकती है। यह सदस्य का भी प्रिविलेज है और इस सरकार का भी है कि वह किसी कानूनी एक्सपर्ट की राय ले सके। इसलिये मैं अपने प्रिविलेज के नाते इस बात की आपके जरिये से मांग करता हूं कि एडवोकेट जनरल की राय संविधान की धारा ११७ के मातहत इस इन्टरप्रिटेशन के बारे में चाहते हैं ताकि सही निष्कर्ष पर पहुंच सकें।

श्री अध्यक्ष--वह कौन सी धारा है कि जिसके मुताबिक आप यह चाहते हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--वह संविधान की धारा १९४ (३) है जिसके मुताबिक सदस्य का यह प्रिविलेज है हाउस आफ कामन्स की तरह कि वह किसी कानूनी मसले पर जो

विवादास्पद हो उसके बारे में एडवोकेट जनरल की राय जान सके। इसलिये इस मसले पर चूंकि यह सन्देहात्मक है और माननीय वित्त मंत्री जी स्वयं इसको संदेहात्मक मानते हैं तो हम एडवोकेट जनरल की राय जानना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष—एडवोकेट जनरल की क्या राय है माननीय वित्त मंत्री जी उसको बतला दें।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—यह मामला तो बिलकुल साफ है और उनकी ऐसी राय थी तभी तो यहां पर पेश किया गया है।

श्री अध्यक्ष—जहां तक इसका संबंध है कि इस विधान सभा को यह अधिकार नहीं है कि इस किस्म के विधान को वह पास कर सके और वह अधिनियम बन सके, मैं यह समझता हूं कि मुझको यह देखना है कि इस सभा को यह वैधानिक अधिकार है या नहीं कि वह इसको पास कर सके। मुझे इसके मैरिट में जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी तक कोई ऐसा कारण बताया नहीं गया और सामने नहीं आया कि सेन्टर ने तो इसको पास कर दिया है और यहां पर इसको पास करने की आवश्यकता नहीं है इसलिये उसे यह सदन पास न करे। हां एक विधेयक इस सदन में पेश किया जा रहा है उसका विरोध माननीय नारायण दत्त तिवारी कर सकते हैं उनका यह अधिकार है और इसको छीना नहीं जा सकता है।

दूसरी बात कांकरेंट लिस्ट के बारे में जो है कि सेंटर इसको कर सकता है तो वह तो २४९ में दिया हुआ है। लेकिन जब आवश्यकता पैदा हुई और बड़े बड़े कानूनदां यह समझते हैं कि कुछ ऐसे विषय हैं इस लिस्ट में जिनके ऊपर अभी सेंटर का कानून आयद नहीं होता है और प्रदेश का ही कानून लागू हो सकता है तब तो यह सदन उस कठिनाई को दूर करने के लिये यदि तैयार हो जाता है तो मैं समझता हूं कि सदन का समय व्यर्थ नहीं जाता है। उस झगड़े को मिटाने के लिये अगर थोड़ा सा विवाद इस सदन में कर लें तो यह उचित ही होगा।

इसलिये मैं इन दोनों दृष्टियों से श्री नारायणदत्त जी ने जो वैधानिक आपत्ति उठाई है वह आउट आफ आर्डर रूल करता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी मेरे प्रिविलेज को डिनाई करते हैं?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने तो जवाब दे दिया। हर एक मेम्बर का प्रिविलेज नहीं है कि एडवोकेट जनरल को स्वयं सुने जो उनकी राय है उसको सुनाकर उन्होंने प्रिविलेज का रक्षण किया। उनकी राय सुना दी वह मौजूद नहीं हैं। अगर श्री नारायणदत्त जी उन्हें बुलाकर सदन में राय देने के लिये कोई मोशन लावें तो मैं इजाजत दे दूंगा। हाउस चाहेगा तो ठीक है लेकिन अगर सदन उसे स्वीकार न करेगा तो उसके लिये जिम्मेदारी आपकी होगी। आप दो शब्दों में अपना मोशन ले आवें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश इवैकुई इन्टरेस्ट (सेपरेशन) पूरक विधेयक, १९५३ को माननीय वित्त मंत्री जी ने हमारे सामने विचार के लिये रखा है।

श्री अध्यक्ष—आप केवल अपना मोशन रख दीजिये यह सब बातें फिर से कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधान की धारा १९४(३) में सदत्त विशेषाधिकार के अनुसार यह सदन विधान की धारा १७७ को ध्यान में रखते हुये

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

उत्तर प्रदेश इवैकुई इन्टरेस्ट (सेपरेशन) पूरक विधेयक, १९५३ की कानूनी पेचीदगी पर माननीय श्री एडवोकेट जनरल की राय जानने की कामना करता है ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि विधान की धारा १९४(३) में प्रदत्त विशेषाधिकार के अनुसार यह सदन विधान की धारा १७७ को ध्यान में रखते हुये उत्तर प्रदेश इवैकुई इन्टरेस्ट (सेपरेशन) पूरक विधेयक, १९५३ की कानूनी पेचीदगी पर माननीय श्री एडवोकेट जनरल की राय जानने की कामना करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान रूल ९६ (१) की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वह यह है कि :

"(1) After the motion that a Bill be taken into consideration is passed any member may demand that copies of papers, if any, on which the Bill is based and which are not confidential, may be placed on the table of the House."

[(१) जब यह प्रस्ताव कि विधेयक पर विचार किया जाय, स्वीकृत हो जाय तो कोई भी सदस्य यह मांग कर सकता है कि ऐसे पत्रों की प्रतियां, यदि कोई हों, जिनपर विधेयक आधारित हो और जो गोपनीय न हों, सदन की मेज पर रख दी जायं ।]

श्रीमन्, पहले तो मैंने बेमौके कह दिया था लेकिन मेरी मन्शा यह थी कि आप यह दिक्कत समझ लें और आज ही इसको लेने के लिये प्रेस न करें। यह बिल तो यहां लाया गया है लेकिन ओरिजिनल ऐक्ट हमें नहीं दिया गया है। हमने इसको हासिल करने की इस हद तक ही कोशिश नहीं की कि सरकार के भरोसे ही बैठे रहते बल्कि हमने लाइब्रेरी से भी तलाश कराया लेकिन वहां से भी नहीं मिला। विवश होकर हम कह रहे हैं कि हमें आवश्यक ऐक्ट तो कम से कम दिया ही जाय। अगर वह नहीं दिया जाता है तो प्रिन्सिपिल आफ इक्विटी नहीं रहता है। इसलिये इसके लिये प्रेस न किया जाय और इसको आज न लिया जाय। न तो हमें ओरिजिनल ऐक्ट ही मिला और न सेंन्ट्रल ऐक्ट ही मिला है।

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम--अगर मैं सही समझा हूं तो.....

श्री अध्यक्ष--क्या कोई पेपर्स इस संबंध में हैं ?

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम--पेपर्स कुछ नहीं है, जो ऐक्ट वहां पास हुआ है उसकी कोई कापीज यहां नहीं हैं और जो कानून यहां पेश है उसके लिये उस कानून की कोई जरूरत है ही नहीं।

श्री अध्यक्ष--ऐसे कोई पेपर्स नहीं हैं जिन के ऊपर यह बेस्ड है और इस लिये उन को देने की जरूरत नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--वह तो अवश्य उनके पास होने चाहिये। एक पेपर अवश्य इसमें होना चाहिए, जो कि इसमें लिखा हुआ है। उद्देश्य और कारण में लिखा हुआ है कि "उक्त विधान के कुछ उपबन्ध"। तो वह विधान के कौन से उपबन्ध हैं जिनके बारे में संकेत किया जाता है ?

श्री अध्यक्ष--यह तो उन्होंने बता दिया जिस समय आपने वैधानिक आपत्ति उठायी थी कि लिस्ट २ के अनुसार १८ और ३० में जो विषय दिये हैं प्रदेशीय सदन

के अधिकार में है। तो यह तो स्पष्ट हो गया। मैं समझता हूं कि थोड़ा सा उसकी वजह से इसमें समय न जाय तो अच्छा है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मैं तो जो कुछ असली मतलब था वह बयान कर चुका। वह तो हाउस के सामने आ चुका। अब मेरे खयाल में कुछ कहने की जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश इवैकुई इंटरेस्ट (सेपरेशन) पूरक विधेयक, १९५३ ई०, पर जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

२—इवैकुई इन्टरेस्ट (सेपरेशन) ऐक्ट, १९५१ का वह भाग जो ऐसे विषयों से सम्बद्ध है जिनके सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश के लिये राज्य विधान मंडल को विधि बनाने का अधिकार है किन्तु संसद को नहीं है, उत्तर प्रदेश में उसी प्रकार प्रभावशाली और वैध होगा मानों वह उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा बनाया गया था।

१९५१ के ऐक्ट संख्या ६४ के विषय में यह समझा जाना कि वह राज्यविधान मंडल द्वारा बनाया गया।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

३—किसी ऐसी बात या ऐसे कार्य के विषय में (जिसके अन्तर्गत दी गयी आज्ञा, की गयी जांच, और प्रयोग में लाये गये अधिक्षेत्र भी हैं) जो इवैकुई इन्टरेस्ट (सेपरेशन) ऐक्ट, १९५१ के अधीन की गयी हो या किया गया हो, जहां तक वह ऐसे विषय से सम्बद्ध हो जिसके सम्बन्ध में राज्य विधान मंडल को उत्तर प्रदेश के लिए विधि बनाने का अधिकार हो, किन्तु संसद को न हो, यह समझा जायगा कि विधि की दृष्टि में वह उसी प्रकार ठीक और वैध है मानो उस दिन जब उक्त बात की गयी हो या कार्य किया गया हो, धारा २ लागू थी।

अधिनियम (ऐक्ट्स) तथा व्यवहारों का वैधीकरण।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १

१—(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश इवैकुई इन्टरेस्ट (सेपरेशन) पूरक अधिनियम, १९५३ होगा।

संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) इसके विषय में यह समझा जायगा कि यह १५ दिसम्बर, १९५२ को प्रचलित हो गया।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश इवैकुई इन्टरेस्ट (सेपरेशन) पूरक विधेयक, १९५३

१९५१ का ऐक्ट ६४ इवैकुई इन्टरेस्ट (सेपरेशन), ऐक्ट, १९५१ के कुछ उपबंधों की पूर्ति के लिए विधेयक,

१९५१ का ऐक्ट ६४ इवैकुई इन्टरेस्ट (सेपरेशन) ऐक्ट, १९५१ के कुछ उपबंधों की पूर्ति आवश्यक है,

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है--

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक का अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम--जनाबवाला, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश इवैकुई इंटरेस्ट (सेपरेशन) पूरक विधेयक, १९५३ ई०, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ था पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश इवैकुई इंटरेस्ट (सेपरेशन) पूरक विधेयक, १९५३ ई० जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ था, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी विधेयक, १९५३

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी विधेयक, १९५३ पर जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है विचार किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, जो चकबन्दी विधेयक अब से कुछ दिन हुए प्रवर समिति के सुपुर्द हुआ था, प्रवर समिति की तीन बैठकें उस पर विचार करने के लिए हुई और बारह तेरह घंटे तक बराबर उसने इन तीन बैठकों में विचार किया। जो इस सदन के माननीय सदस्य ऐसे थे जो कि प्रवर समिति के सदस्य न बन सके लेकिन इस विधेयक में बहुत दिलचस्पी रखते थे उनको भी समिति ने कार्यवाही में शरीक होने और बहुत से प्रश्न जो विधेयक में हैं उन पर विचार करने का मौका दिया।

मेरा कहने का मतलब यह है कि इस विधेयक पर प्रवर समिति में बहुत गौर व खोज हुआ और उसके बाद हर क्लाज के हर पहलू पर विचार करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की गयी। यह कल हाउस में पेश हो चुकी है। उसमें यों तो बहुत से संशोधन किये गये जो कि बिल के अन्दर आ गये हैं, लेकिन रिपोर्ट में केवल मोटी-मोटी बातों का ही जिक्र किया गया है।

उन मोटी-मोटी बातों में से मैं इस वक्त केवल छः सात बातों का ही जिक्र करना चाहता हूं। जैसा विधेयक पेश हुआ था उसमें जो कार्यवाही एक गांव चकबन्दी के सिलसिले में होने वाली है उस सबके गांव में प्रकाशन होने के सम्बन्ध में एक प्रावीजन किया गया है कि "पब्लिकेशन इन दि विलेज" अर्थात् जो भी कार्यवाही हो उसका गांव वालों को इल्म हो जाय। तो उसके लिये विधेयक में जैसा कि हाउस में पेश

---

* देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १७४–१९५ पर।

हुआ यह था कि लैंड मैनेजमेंट कमेटी को बुला कर राजकर्मचारी अपनी बात या अपने कागजात सुना देगा। लेकिन प्रवर समिति ने यह कर दिया कि लैंड मैनेजमेंट कमेटी के मेम्बरों को तो व्यक्तिगत हैसियत से बुलाया ही जायगा, गांव में एक ढिंढोरा भी पिटवाया जायगा कि गांव में जो सज्जन भी आना चाहें, मीटिंग में आ सकते हैं। तो इसका अर्थ यह होगा कि चकबन्दी के सिलसिले में जो भी कार्यवाही होगी उससे गांव का हर बाशिंदा वाकिफ रहेगा, कोई बात छिपी नहीं रहेगी। तो एक तो यह महत्वपूर्ण संशोधन किया गया।

दूसरा संशोधन यह किया गया कि विधेयक में हमने यह रखा था कि कागजात बन्दोबस्त के मुताबिक जो हैसियत खेतों की दर्ज है वह हैसियत मानी जाय, लेकिन प्रवर समिति ने यह तय किया कि क्योंकि बन्दोबस्त बहुत सी जगह तीस-तीस चालीस-चालीस साल हुए उससे पूर्व हुआ था, या दस-दस पन्द्रह-पन्द्रह साल तो सभी जगह बीत गये हैं तो इस बीच में पास में मंडी बन जाने की वजह से, सड़क निकल जाने की वजह से, नहर निकल जाने की वजह से, टयूबवेल बन जाने की वजह से या कछार या खादर का रकबा घट या बढ़ जाने से और बहुत से प्राकृतिक कारणों से जमीन की हैसियत में कुछ परिवर्तन आ गया है, इसलिए सेटिलमेंट पेपर्स में जो हैसियत दर्ज है उसका विचार न किया जाय, बल्कि लैंड मैनेजमेंट कमेटी, (भूमि प्रबन्धक कमेटी) के मशविरे से अज सरेनौ कई साल का क्लासिफिकेशन किया जाय, खेतों की हैसियत निर्धारित की जाय। यह एक बहुत महत्वपूर्ण संशोधन है, जो कि प्रवर समिति ने किया है।

तीसरे जो दफा १४ पहले थी उसमें यह था कि "चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत प्रत्येक गांव के सम्बन्ध में सहायक चकबन्दी अधिकारी एक विवरण तैयार करेगा। (जिसे यहां आगे चल कर सिद्धान्तों का विवरण कहा गया है) जिसमें वे सिद्धान्त लिखित होंगे जिसका अनुसरण चकबन्दी योजना बनाने में किया जायगा। विवरण में गांव के प्रस्तावित पुनर्मापन (re-survey) तथा स्थिति (lay out) की स्थूल रूपरेखा (Broad out line) प्रदर्शित होगी।" केवल इतना है। लेकिन वह क्या होंगे, यह तफसील और ब्योरा उसमें नहीं है। अब प्रवर समिति ने उस ब्योरे को खोल दिया है और वह इस प्रकार है।

श्री अध्यक्ष (श्री शिवनाथ काटजू के खड़े होने पर)—क्या आप कोरम के लिए कहना चाहते हैं कि कोरम नहीं है?

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)— जी हां।

(घंटी बजाई गई)।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, यह जो कार्यवाही कही गई थी, वह तो हो गई अब....

श्री अध्यक्ष—अब यह पास हो गया है कि एक घंटे भर का टाइम बढ़ाया जाता है। तब यह सोचा गया था कि उसमें समय लगेगा। माननीय सदस्य यदि चाहते नहीं हैं कि आज और कोई कार्यवाही हो तो यदि सदन को कोई आपत्ति न हो तो हम लोग उठ सकते हैं।

(कोरम पूरा होने के पश्चात्)

श्री चरण सिंह—कोरम तो हो गया।

श्री अध्यक्ष—दो सज्जन कम थे। वह तो पूरा हो गया। मतलब यह है कि नारायणदत्त जी चाहते हैं कि वे आज थक गये हैं। अब आगे कार्यवाही कल हो।

श्री चरण सिंह--मैं चाहता हूं कि मेरी यह तकरीर खत्म हो जाय जो काम कल होने को है वह आज थोड़ा सा निपट जायगा।

तो वह निम्नलिखित ब्योरों सहित दिखाई जायगी (प्रदर्शित होगी)--

(क) वर्तमान और प्रस्तावित गमनागमन के साधन (मीन्स आफ कम्यूनिकेशंस) तो जो रास्ते, दगड़े और लीक वगैरह गांव के अन्दर हैं वही रखे जायं या उनमें कोई तरमीम या घटाने बढ़ाने की चीज की जाय यह भी चकबन्दी करते समय दृष्टि में रखा जायगा और यह जो "सिद्धान्तों का विवरण" कहा गया उसके अन्दर दिखाया जायगा।

दूसर यह है कि--

(ख) ऐसा क्षेत्र जिस पर पेड़ लगाने, या जिसे पशुचर भूमि, मत्स्य संवर्धन, खाद के गढ़ों, खलियानों, श्मसान भूमियों और कब्रिस्तानों के लिए अलग कर देने का प्रस्ताव हो।

कितनी जमीन में गांव के अन्दर हम दरख्त लगायेंगे, किस जगह पर मछली पालेंगे, कहां श्मसान रखेंगे इत्यादि बातें भी ध्यान में रखी जायंगी।

तीसरा यह कि--

(ग) आबादी के लिए नियत किया जाने वाले क्षेत्र।

अगर गांव की आबादी घनी हो गई है तो उसके लिये आस-पास जमीन छोड़ना ताकि और एक्सटेंशन हो सके, यह भी ले आउट के अन्दर शामिल होगा।

चौथा प्रबन्ध यह होगा कि--

(घ) सार्वजनिक उपयोगिता और अन्य सामान्य उपयोग के कार्यों के लिए स्थल।

और दूसरे जो पब्लिक वर्क्स हैं, जो सार्वजनिक उपयोगिता के काम हैं उनके लिये भी जगह का रिजर्व करना और इसी तरह से सफाई वगैरह के लिए मसलन पब्लिक कंजरवेंसी यानी लैट्रिंस वगैरह अगर जरूरत हो या कम से कम लेडीज के लिए लैट्रिंस वगैरह का इन्तजाम करना मुनासिब है, तो उसके लिए भी उसमें गुंजाइश रखेंगे। आउट ले के अन्दर यह चीज भी आयेगी और इसके अलावा और भी जो चीज लैंड मैनेजमेंट कमेटी चाहे वह भी आ सकती है।

चौथा बड़ा संशोधन यह हुआ है कि अब तक विधेयक जैसा पेश हुआ था उसमें यह था कि किसी जगह चक उस जमीन का बनाया जाय जिसमें केवल धान ही धान हो, दूसरा चक उस जमीन का बनाया जाय जिसमें धान के अलावा एक ही फसल हो, तीसरा चक ऐसी जमीन का हो जिसमें दो फसल हो सकती हो, चाहे जो भी दो फसलें हों, चौथा चक ऐसी जमीन का हो कि जिसमें कछार या खादर का हिस्सा आता है। तो इस तरह के इन प्वाइंट्स पर, यानी फसल के प्वाइंट पर गांव में हार या चक बनाने की बात मूल विधेयक में रखी गई थी। लेकिन बहुत बहस के बाद यह तय किया प्रवर समिति ने कि फसल की बिना पर ही नहीं, फसल की बिना पर भी कंसिडरेशन हो कि किसी इलाके में कैसी फसल होती है, एक फसल होती है या दो फसल होती है, लेकिन केवल इसी बिना पर चक न बनाये जायं बल्कि यह भी देखा जाय कि इर्रीगेशन फैसिलिटीज कैसी हैं, इस बात का भी ख्याल रखा जाय, फिर तीसरा यह कि जमीन की हैसियत जैसा कि प्रबन्धक कमेटी ने तय किया है, वह क्या है। तो आमतौर पर गांव के अन्दर तीन चक हों और अगर किन्हीं विशेष कारणों से ४ चक बनाने हों, तो डाइरेक्टर आफ कंसोलिडेशन से इजाजत उनको उसमें हासिल

करनी होगी। तो पहले केवल फसल की बिना पर हार या चक बनाने की बात रखी गई थी अब तीन कंसिडरेशंस हो गये जिन पर लैंड मैनेजमेंट कमेटी के मशविरे से असिस्टेंट कंसालिडेशन आफिसर चक बनायेगा।

मैं हार उसके लिये कह रहा हूं जो गांव के तीन या चार ब्लाक्स होंगे, एक किसान को जो ब्लाक मिलेगा उसके लिये मैं लफ्ज 'चक' का इस्तेमाल करूंगा।

पांचवां बड़ा संशोधन जो हुआ है वह यह है कि बजाय पहली जुलाई के, जबकि हमारा ऐग्रीकल्चरल ईयर बदलता है, पहली मई को कब्जे की अदला बदली होगी क्योंकि पहली मई को आम तौर पर खेत ज्यादा खाली रहते हैं बनिस्बत पहली जुलाई के। पहली जुलाई को अक्सर सावनी बो दी जाती है। तो पहली मई को ज्यादा खेत खाली रहते हैं, इसलिये पहली मई को जमीन की अदला बदली होगी। गांव वाले अगर चाहें तो उससे पहले या पीछे किसी तारीख को पजेशन बदल सकता है।

मुआविजे के सम्बन्ध में यह है कि अगर किसी किसान के अपने चक में पहले से कुआं वगैरा बना था, वह उसके चक में न आ सके, तो उस कुएं का या दीगर इम्प्रूवमेंट का जो मुआविजा किसान को मिलेगा वह अगर किसी खास मियाद के अन्दर उसको नहीं मिलता है तो उसके सूद के भी देने की जिम्मेदारी उस किसान पर होगी जिसके हक में वह कुआं चला जायगा। अगर फसल खड़ी है और उसका मुआविजा वह नहीं देता है तो एक रु० फी महीना सूद देने की जिम्मेदारी उसकी होगी।

जमींदारी एबालिशन ऐंड लैंड रिफार्म्स ऐक्ट में जिन शब्दों की जो व्याख्या की गई है, वही यहां भी मानी जायगी, लेकिन इसमें भूमि प्रबन्धक कमेटी, जैसी कि जमींदारी एबालिशन ऐंड लैंड रिफार्म्स ऐक्ट में बताई गई है, वह सब जगह सब गांवों के लिये उपयुक्त नहीं ठहरती थी। हो सकता था कि किसी गांव में नान ऐग्रीकल्चरिस्ट्स की तादाद ज्यादा हो और ऐग्रीकल्चरिस्ट्स की तादाद कम हो, तो जब कि चकबन्दी करने चले हैं, ऐसी सूरत में अगर उसका इन्तजाम करने वाले, मश्विरा देने वाले या यह सब काम करने वाले ऐसे लोग ज्यादा हो जायं जिनकी अपनी जमीन नहीं है, तो उससे चकबन्दी में सहूलियत नहीं होगी। इसलिये इसमें लैंड मैनेजमेंट कमेटी की परिभाषा बदल दी गयी है और यह भी रखा गया है कि कंसालिडेशन आफिसर (सेटिलमेंन्ट) जो कि एक सब डिवीजनल आफिसर ही होगा और जिसका नाम हमने बदल दिया है, यह देखे कि लैंड मैनेजमेंट कमेटी में इस तरह से एलेक्शन करने के बाद भी अर्थात् केवल किसानों के मुश्तमिल होने के बावजूद ऐसे लोगों के शामिल करने की जरूरत है, जो कि गांव में असर रखते हैं, ईमानदार हैं। लेकिन लैंड मैनेजमेंट कमेटी के मेम्बर नहीं बन पाये हैं, तो ऐसे आदमियों की नामजदगी एक से लेकर चार तक, अगर सब डिवीजनल आफिसर चाहे तो कर सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल में वैसे एक बात का जिक्र नहीं है लेकिन मैं माननीय सदस्यों की इत्तला के लिये यह बतलाना चाहता हूं कि अगर लैण्ड मैनेजमेंट कमेटी अच्छी तरह काम न करे, फिरकेबन्दी से काम करे, सही मश्विरा अफसरान को न दे और अफसरान कुछ दिनों के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि इसका मश्विरा सही नहीं है, पार्टीबन्दी पर आधारित है तो दफा १२६ जमींदारी एबालिशन ऐंड लैंड रिफार्म्स ऐक्ट के मातहत वे उसको डिजाल्व भी कर सकते हैं। खैर मैंने इसका जिक्र कर दिया गो कि उसका जिक्र इस विधेयक में नहीं है।

यह सात आठ बड़े-बड़े अमेंडमेंट हैं जिनका मैंने जिक्र किया। छोटे-मोटे अमेंडमेंट्स और भी हैं। कुछ ऐसी भी बातें हैं जिनको हम लोगों ने नोट कर लिया है और जो नियम के अन्दर आयेंगी, अधिनियम के अन्दर उनका रखना जरूरी नहीं है। मुझे इसके महत्व के सिलसिले में कुछ कहना नहीं है। जो छोटे-मोटे अमेंडमेंट प्रवर समिति ने किये हैं उन्हीं का जिक्र इस वक्त हो सकता था।

श्री अध्यक्ष---क्या सदन यह चाहता है कि ६ बजे तक बैठें या विवाद समाप्त कर दिया जाय।

(कुछ सदस्य---समाप्त कर दिया जाय।)

श्री अध्यक्ष---एक जरूरी सूचना देकर मैं अब इस विवाद को कल के लिये रखता हूं।

४ मार्च, १९५३ के श्री जगन्नाथ मल्ल तथा श्री रामनारायण त्रिपाठी के भाषणों के शोधन के सम्बन्ध में श्री नारायणदत्त तिवारी के वक्तव्य का खण्डन

श्री अध्यक्ष---मैं यह सूचना देना चाहता हूं कि कल जो विवाद हुआ था उसमें श्री नारायण दत्त जी आदि ने दो चार दफा यह कहा कि विशेषाधिकार समिति के सामने जो श्री जगन्नाथ मल्ल और श्री रामनारायण त्रिपाठी के भाषण की प्रति भेजी गयी वह अनकरेक्टेड गयी, करेक्ट करके नहीं गयी और उसके ऊपर मैं समझता हूं कि किसी ने उत्तर भी नहीं दिया और मैं समझता हूं कि मैं भी यहां पर बैठे-बैठे यह सोचता रहा कि मैं कुछ कहूं लेकिन मैंने सेक्रेटरी से उस वक्त पूछा कि मैंने जब आज्ञा दे दी थी कि उसको उनसे करेक्ट कराली जाय, दो तीन दफे आज्ञा दी थी, उसके बाद भी आपने करेक्ट क्यों नहीं कराई। यह बात कह रहे हैं, मैं इसको चैलेन्ज नहीं कर सकता कि क्या बात हुई, क्या एक्चुवली उनसे करेक्ट करा ली गयी थी। यह यहां की प्रथा है कि माननीय सदस्य जो भाषण देते हैं उनके पास वह भाषण भेज दिये जाते हैं, जो कि यहां पर लिखे जाते हैं और वह अपने भाषण में कोई ऐसा संशोधन तो नहीं कर सकते जो भाषण में न कहा हो वह जोड़ दें बल्कि कोई शाब्दिक वगैरह हो, या उनको अगर आपत्ति हो कि जो चीज लिखी गयी है वह उन्होंने कही नहीं, लेकिन यहां गल्ती से दर्ज कर दी गयी है तो मैं उसको भी दुरुस्त कर सकता हूं। अगर माननीय सदस्य यह कहें कि मैंने यह नहीं कहा तो मैं उसको मानता हूं क्योंकि यहां की साधारण प्रथा यह रही है कि अगर माननीय सदस्य यह कहते हैं कि यह चीज नहीं कही तो एटीकेट यह कहता है उनकी बात को मान लेना चाहिये कि नहीं कही हालांकि आप ने सुना भी हो कि उन्होंने कही, क्योंकि आनरेबुल मेम्बर्स हैं और जब वह 'डेनाई' करते हैं तो मान लिया जाता है कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। उसके बारे में अगर मैं आज्ञा दे दूं कि वह काट दिया जाय तो वह काट दिया जाता है। मैंने जब श्री सचिव को दो तीन समय आज्ञा दी, तो श्री जगन्नाथ मल्ल तथा श्री रामनारायण जी के पास प्रोसीडिंग्ज गयीं और उनके दस्तखत मौजूद हैं। मैंने आज उसकी इन्वेस्टीगेशन करने के बाद देखा कि उन्होंने उसके ऊपर दस्तखत करके अपने भाषण की प्रतियों को वापिस कर दिया है तो इसलिये यह कहना कि 'अनकरेक्टेड वर्जन' समिति के पास भेजा गया, यह गलत है। माननीय नारायण दत्त जी की जो आशंका थी मैं उसका समाधान करना चाहता हूं कि प्रोसीडिंग्ज करेक्ट करवा दी गयी थीं और उसके बाद भेजी गयी थीं।

(इसके बाद सदन ५ बज कर ५० मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
३१ मार्च, १९५३

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९४ पर)

सूबों

१—खुरजा-जेवर सड़क
२—डिबाई-राजघाट सड़क
३—बुलन्दशहर-गढ़मुक्तेश्वर
४—बुलन्दशहर-अनूपशहर
५—अलीगढ़-अनूपशहर
६—डिबाई स्टेशन तक
७—खुरजा-जेवर-टप्पल
८—दंकौर रेलवे स्टेशन से दंकौर
९—बुलन्दशहर-खाखर

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९९ पर)

जिला बोर्ड आजमगढ़ को लौटाई गई कच्ची सड़कों के नाम

नाम सड़क		लम्बाई
१—चिड़ियाकोट-बांसगांव	..	४ मील
२—मऊ-गोकुलपुर	..	८ ,,
३—कप्टेनगंज महराजगंज	..	५ ,,
४—कप्टेनगंज अहरौरा	..	१३ ,,
५—माहुल पवई	..	७ ,,
६—दीदारगंज, दीदारगंज रेलवे स्टेशन		६ ,,
७—निजामाबाद-आजमगढ़	..	७ ,,
८—निजामाबाद-फरिहा	..	५ ,,
९—कुम्हारिया-माहनगर	..	७ ,,
१० कुन्हरिया-तरवा	..	५ ,,
११—बरवह-दीदारगंज	..	१४ ,,

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

'नत्थी ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३७ व ३८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०० पर)

फर्रुखाबाद जिले में युद्धोत्तर कालीन योजना के प्रथम चरण मे ली गयी पक्की व कच्ची सड़कें।

नई पक्की सड़कें

तिर्वा बेला रोड	..	१० मील ४ फ०
कायमगंज वाईपास	..	२ मील
छिबरामऊ सौरिख विधुना	..	१६ मील ४ फ०

जिला बोर्ड से ली गयी पुरानी पक्की सड़कों का पुननिर्माण

फर्रुखाबाद कायमगंज काम्पिल	..	२४ मील ४ फ०
कन्नौज तिर्वा	..	१२ मील

उपर्युक्त सड़कों में से कन्नौज तिर्वा सड़क पर कार्य पूरा हो चुका है।

कच्ची सड़कें

कायमगंज खलवारा सरायघाट	..	१४ मील ५ फ०
शम्शाबाद गंगलाई	..	२ मील ७ फ०
सरायमेदा जरारी	..	४ मील
कन्नौज बिलग्राम	..	२ मील
मुंडरवा थटिया से जिले की हद तक		१० मील ३ फ० ३७० फीट
मुंडरवा आसिर	..	१० मील ४ फ०
मुंडरवा भवानी सराय	..	८ मील ६ फ० ३४० फीट
तालीग्राम भवानी सराय	..	३ मील १ फ० ३२० फीट
छिबरामऊ विशुनगढ़	..	६ मील
मुहम्मदाबाद ताजपुर	..	६ मील
पखना अजरैल से विहार	..	१ मील ७ फ०
सरायाघाट मुहम्मदाबाद	..	११ मील २ फ०
नवाबगंज से शम्शाबाद रेलवे स्टेशन		३ मील ३ फ०
काम्पिल कदैन रेलवे स्टेशन		६ मील
घाटियाघाट हरपालपुर	..	१ मील ५ फ०

उपर्युक्त सम्पूर्ण कच्ची सड़कें सरकारी आदेशानुसार पहली अगस्त सन् १९५२ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, फर्रुखाबाद को रख रखाव के लिये वापस कर दी गई हैं।

विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये पीछे पृष्ठ १६६-१७० पर)

उत्तर प्रदेश जोत [जोतों की] चकबन्दी विधेयक, १९५३

(जैसा कि प्रवर समिति द्वारा संशोधित किया गया। समिति द्वारा निकाला गया विषय कोष्ठकों " [ ] " में है तथा बढ़ाया गया विषय रेखांकित है।)

कृषि के विकास के निमित्त उत्तर प्रदेश में कृषि संबंधी जोतों की चकबन्दी की व्यवस्था करने के लिये,

विधेयक

यह आवश्यक है कि कृषि के विकास के निमित्त उत्तर प्रदेश में कृषि संबंधी जोतों की चकबन्दी की व्यवस्था की जाय ;

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है।

अध्याय १

प्रारम्भिक

संक्षिप्त शीर्ष नाम, प्रसार और प्रारम्भ।

१—(१) इस अधिनियम का नाम "उत्तर प्रदेश जोत (जोतों की) चकबन्दी अधिनियम, १९५३" होगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह धारा तुरन्त प्रचलित होगी और इस अधिनियम का अवशिष्ट भाग उस दिनांक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में इस हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित करके निश्चित करे और उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लिये विभिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं।

निरसन।

२—यू० पी० कान्सालीडेशन आफ होल्डिंग्स ऐक्ट, १९३९ एतद्द्वारा निरस्त (Repeal) किया जाता है।

परिभाषायें।

३—विषय या प्रसंग (Subject or Context) में कोई बात प्रतिकूल (repugnant) न होने पर इस अधिनियम में :

(१) "सहायक चकबन्दी अधिकारी" (Assistant Consolidation officer) का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है, जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के अन्तर्गत सहायक चकबन्दी अधिकारी के कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए धारा ४२ के अधीन नियुक्त करें"

(२) "चकबन्दी" का तात्पर्य किसी भी क्षेत्र में भूमि (land) के अधिकारी विभिन्न खातेदारों के बीच उक्त भूमि के ऐसे पुनर्वितरण से है जिससे कि वे क्षेत्र जो उनके पास समय विशेष पर उक्त रूप में में हों, और अधिक संहत (compact) हो जाय ;

अपवाद—इस खंड को प्रयोजनों के लिये भूमि [का] के अन्तर्गत बाग भूमि (grove land) अथवा ऐसी भूमि जिसका उल्लेख १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम में है, नहीं है, किन्तु पशुचर भूमि उसके अन्तर्गत है।

(३) "चकबन्दी अधिकारी" (Consolidation officer) का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के अन्तर्गत चकबन्दी अधिकारी के कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये धारा ४२ के अधीन नियुक्त करे ;

(३-क) "चकबन्दी संचालक" (Director of Consolidation) का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है जो इस अधिनियम के अधीन चकबन्दी संचालक के कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये सरकार द्वारा धारा ४२ के अधीन नियुक्त किया जाय।

[(४) "भूमि" (Land) का तात्पर्य ऐसी भूमि से है जो कृषि के प्रयोजनों या कृषि से सम्बद्ध प्रयोजनों अथवा पशुचर के लिये उठायी गयी हो या अध्यासित हो, और उसके अन्तर्गत इमारतों तथा अन्य रचनाओं (स्ट्रक्चर्स) के स्थल (साइट्स) हैं, और ऐसी भूमि है, जो सार्वजनिक प्रयोजनों के उपयोग में आती हो।]

(४) "भूमि" (land) का तात्पर्य ऐसी भूमि से है जो किसी के अधिकार या अध्यासन में कृषि, उद्यानकरण (horticulture) पशुपालन (animal husbandry) (जिसके अन्तर्गत मत्स्य संवर्धन (pisciculture) और कुक्कुट पालन (poultry farming) भी हैं, से सम्बद्ध प्रयोजनों के लिये हो और उसके अन्तर्गत खातेदार की जोत का ऐसा भाग भी है जो उसके मकान या अन्य तत्सम रचना (other Similar structure) का स्थल (site) हो।

(५) "विधिक प्रतिनिधि" का वही अर्थ है जो कोड आफ़ सिविल प्रोसीजर, १९०८ में ["लीगल रिप्रेजेन्टेटिव"] "(legal representative)" को दिया गया है ; ऐक्ट ५, १९०८।

(६) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा नियत से है ;

[(७) किसी लेख्य के संबंध में "गांव में प्रकाशन" या "गांव में प्रकाशित (publish)" करने का तात्पर्य है कि गांव समाज की बैठक में उक्त लेख को पढ़कर सुनाया जाना तथा गांव समाज के कार्यालय में पांच दिन तक उसे इस विषय में हित रखने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिये प्रदर्शित किया जाना ;]

(७) किसी लेख्य के संबंध में "गांव में प्रकाशन" या "गांव में प्रकाशन" (publish) करने का तात्पर्य उस लेख्य को भूमि प्रबन्धक समिति की बैठक में ऐसे दिनांक को पढ़ कर सुनाना, जिसकी सूचना भूमि प्रबन्धक समिति के प्रत्येक सदस्य को दी जायगी और जिसकी घोषणा गांव में डुग्गी पिटवाकर की जायगी, और गांव में किसी प्रमुख स्थान पर लगा देना है।

(८) "बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी)" [सेटिलमेंट अधिकारी (चकबन्दी)] [(settlement officer) (consolidation)] का तात्पर्य किसी ऐसे अधिकारी से है जिसे राज्य सरकार इस अधि-

नियम के अन्तर्गत बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) [सेटिलमेंट अधिकारी (चकबन्दी) [settlement officer] (consolidation)] के कार्य करने के लिये धारा ४२ के अधीन नियुक्त करे तथा इसके अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी है जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के अन्तर्गत बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) [सेटिलमेंट अधिकारी (चकबन्दी)] [settlement officer (consolidation) के कोई या सभी कार्य करने को अधिकृत करे ;

(९) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है ;

(१०) "खातेदार" (tenure-holder) का तात्पर्य सम्बद्ध भूमि के भूमिधर, सीरदार, अधिवासी अथवा असामी से है,

(११) उन शब्दों अथवा पदों के,

यू० पी० ऐक्ट ३, १९०१ ।

(क) जिनकी इस अधिनियम में परिभाषा नहीं की गयी है किन्तु जो यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ में परिभाषित हैं, अथवा

यू० पी० ऐक्ट ३, १९०१ ।

(ख) जो इस अधिनियम में [अथवा] अथवा यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ में परिभाषित नहीं हैं किन्तु जिनकी परिभाषा १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम में की गयी है,

उ० प्र० अधिनियम १, १९५० ।

वही अर्थ होंगे जो उनके उस ऐक्ट या उस अधिनियम में किये गये हैं जिनमें वे परिभाषित हैं।

अध्याय २

नकशों और अभिलेखों का पुनरीक्षण तथा संशोधन

चकबन्दी के संबंध में प्रख्यापन ।

४—(१) चकबन्दी करने के उद्देश्य से राज्य सरकार, यह प्रख्यापित कर सकती है कि उसने किसी जिले अथवा अन्य स्थानीय क्षेत्र के संबंध में चकबन्दी योजना बनाने का निश्चय किया है ।

(२) प्रत्येक ऐसा प्रख्यापन (declaration) सरकारी गजट में तथा उक्त जिले या स्थानीय क्षेत्र के प्रत्येक गांव में प्रकाशित किया जायगा ।

प्रख्यापन का प्रभाव ।

५—(१) धारा ४ के अन्तर्गत प्रख्यापन के प्रकाशित होने पर जिला अथवा स्थानीय क्षेत्र, जैसी भी दशा हो, प्रकाशन के दिनांक से चकबन्दी क्रियाओं (consolidation operations) के अन्तर्गत समझा जायगा जब तक कि धारा ५१ के अन्तर्गत सरकारी गजट में इस आशय की विज्ञप्ति न प्रकाशित कर दी जाय कि चकबन्दी की क्रियायें समाप्त कर दीं गयी हैं ।

(२) जब कोई जिला अथवा अन्य स्थानीय क्षेत्र चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत हो, तब यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के चैप्टर ३ के अधीन नक्शों, [खसरों] खसरे तथा वार्षिक रजिस्टर की तैयारी के रख रखाव का कार्य बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) को संक्रामित हो जायगा, और तत्पश्चात् उक्त चैप्टर के अधीन कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर और तहसीलदार को प्राप्त सभी अधिकार, जब तक जिला अथवा क्षेत्र क्रियाओं के अन्तर्गत रहे, क्रमशः बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी), चकबन्दी अधिकारी तथा सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा प्रयुक्त किये जायेंगे ।

६--(१) राज्य सरकार के लिये यह वैध होगा कि वह धारा [३] ४ के अन्तर्गत प्रचारित प्रख्यापन को, उसमें निर्दिष्ट समस्त क्षेत्र अथवा उसके किसी एक भाग के संबंध में, रद्द (cancel) कर दे।

धारा ४ के अन्तर्गत प्रचारित प्रख्यापन का रद्द करना।

(२) जब उपधारा (१) के अन्तर्गत किसी क्षेत्र के संबंध में प्रख्यापन रद्द कर दिया जाय, तो वह क्षेत्र रद्द हो जाने के दिनांक से चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत न रहेगा।

७--सहायक चकबन्दी अधिकारी चकबन्दी की कच्ची योजना (Provisional Consolidation Scheme) तैयार करने से पहले सम्पूर्ण गांव के खेत-खेत की परताल करके गांव के नक्शे, खसरे [अधिकार अभिलेख (record of rights)] चालू वार्षिक रजिस्टर शुद्धता की जांच तथा परीक्षा करेगा। वह एक ऐसा विवरण भी तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित दिखाई गई हों :--

माल अभिलेखों की परीक्षा

(क) नक्शे, खसरे और खतौनी में पाई गई अशुद्धियां और उनका प्रकार;

(ख) यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के अधीन भौमिक अभिलेखों (land records) के विषय में विवादों (disputes) की संख्या और उनका प्रकार (nature)।

[८--(१) जब कि धारा ७ में अभिदिष्ट लेखों की परीक्षा करने पर सहायक चकबन्दी अधिकारी का यह मत हो कि नकशों अथवा अभिलेखों का पुनरीक्षण, चकबन्दी की कच्ची योजना बनाने में अगली कार्यवाही करने से पूर्व ही, आवश्यक है तो वह तदनुसार राज्य सरकार से इस आशय की सिफ़ारिश करेगा।

(२) जब उसका यह मत हो कि नकशों और अभिलेखों का पुनरीक्षण आवश्यक नहीं है, तो वह नियत रीति से गांव के नक्शे और खसरे की सहायता से खेत खेत की पड़ताल करना आरम्भ कर देगा तथा यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू, ऐक्ट, १९०१ की धारा ३२ में निर्दिष्ट अभिलेखों के इन्दराजी को उक्त ऐक्ट के चैप्टर ३ के उपबन्धों के अनुसार शुद्ध कर देगा।]

८--(१) जब भौमिक अभिलेखों (land records) की उपर्युक्त रीति से परीक्षा करने पर सहायक चकबन्दी अधिकारी का यह मत हो कि चकबन्दी की अस्थायी (provisional) योजना बनाने का कार्य आरम्भ करने से पहले नक्शों या अभिलेखों का पुनरीक्षण आवश्यक है तो वह तदनुसार बंदोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) को नियत आकार में और नियत रीति से रिपोर्ट देगा।

(१-क) उपधारा (१) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर बंदोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) ऐसी जांच के बाद, जिसे वह आवश्यक समझे, या तो--

(क) सहायक चकबन्दी अधिकारी को नक्शे (map) या अभिलेख के संशोधन (correction) का काम प्रारम्भ करने के लिये निर्देश करेगा, या

अभिलेख का पुनरीक्षण तथा संशोधन।

(ख) यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के चैप्टर ४ के उपबन्धों के अनुसार नक्शों या अभिलेखों के पुनरीक्षण (revision) के लिये राज्य सरकार से सिफारिश करेगा।

(२) उपधारा (१—क) के खंड (क) के अधीन निर्देश (direction) प्राप्त होने पर, सहायक चकबन्दी अधिकारी ऐसी और पड़ताल के बाद जिसे वह आवश्यक समझे, यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के चैप्टर ३ के उपबन्धों के अनुसार वार्षिक रजिस्टर के इन्दराजों को शुद्ध कर देगा।

(३) कोई भी व्यक्ति जो सहायक चकबन्दी अधिकारी की उपधारा (२) के अधीन दी हुई आज्ञा से क्षुब्ध हो, ऐसी आज्ञा के ३० दिन के भीतर चकबन्दी अधिकारी को अपील कर सकता है जिसका निर्णय उस दशा को छोड़ कर जिसकी व्यवस्था इस अधिनियम के द्वारा या किसी अन्य प्रकार से की गई हो, अंतिम होगा।

संशोधित अभिलेखों का प्रकाशन

[९]—धारा ८ की उपधारा (२) के अन्तर्गत तैयार किया या वार्षिक रजिस्टर (Annual Register) गांव में प्रकाशित किया जायगा और उसकी एक प्रतिलिपि कलेक्टर को भेज दी जायगी।

अभिलेखों के पुनरीक्षण के संम्बन्ध में प्रख्यापन। यू० पी० ऐक्ट ३, १९०९

१०—धारा ८ की उपधारा [१] (१—क) ख के अन्तर्गत सिफारिशें प्राप्त होने पर राज्य सरकार इस आशय की एक विज्ञप्ति सरकारी गज़ेट में प्रकाशित करेगी और तत्पश्चात यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के चैप्टर ४ के उपबन्धों के अनुसार सम्बद्ध गांवों या गांव का पुनरीक्षित (revised) नक्शा, खसरा तथा अधिकार अभिलेख तैयार किया जायगा मानों कि उक्त ऐक्ट की धारा ४८ के अन्तर्गत उस संबंध में विज्ञप्ति प्रकाशित कर दी गयी हो।

गांटों का और खाते दारों का विवरण तैयार किया जाना।

११—(१) सहायक चकबन्दी अधिकारी, धारा [८] ९ के अन्तर्गत रजिस्टर का प्रकाशन हो जाने पर अथवा धारा १० के अन्तर्गत अभिलेख तैयार हो जाने पर यथाशीघ्र निम्नलिखित तैयार करेगा—

(क) प्रत्येक खातेदार के खातों में सम्मिलित सभी गाटों (plots) की सूची जिसमें निम्नलिखित प्रदर्शित होंगे:—

(१) प्रत्येक गाटें का क्षेत्रफल,

(२) अंतिम बन्दोबस्त के अनुसार गांटों का मिट्टी (soil) के अनुसार वर्गीकरण]

११(१) (क) (२) गाटों की मिट्टी के वर्ग (soil classes) जो नियत रीति से भूमि के प्रबन्धक समिति के परामर्श से अवधारित वर्गों के अनुसार हों,

(३) अंतिम बन्दोबस्त के [रजिस्टर] रोस्टर या पुनरीक्षण क्रियाओं (revision operations) में से जो भी सब से बाद की हो उसमें ऐसी मिटटी के वर्ग के लिए स्वीकृत मौरूसी लगान की दरें,

(४) गाटें [कें] का लगानी मूल्य,

(५) गाटे की नियत रीति से आकलित मालगुजारी या लगान, जैसी भी दशा हो,

(६) ऐसे अन्य ब्योरे जो नियत किये जाँय।

(ख) प्रत्येक खातेदार की एक सूची जिसमें निम्नलिखित प्रदर्शित होंगे :—

(१) सभी प्रकार के भौमिक अधिकारों के अन्तर्गत खातेदारों द्वारा अधिकृत भूमि का कुल क्षेत्रफल,

(२) उसके अंश की मालगुजारी अथवा लगान, जैसी भी दशा हो,

(३) खातेदार द्वारा अधिकृत क्षेत्रफल का लगानी मूल्य, और

(४) अन्य ऐसे ब्योरे जो नियत किये जांयें।

(२) यह विवरण (Statement) गांव में प्रकाशित किया जायगा।

विवरण आपत्तियां।

१२—(१) कोई भी व्यक्ति धारा ११ के अन्तर्गत विवरण प्रकाशित होने के ३० दिन के भीतर सहायक चकबन्दी अधिकारी के समक्ष विवरण में किसी भी इन्दराज की शुद्धता अथवा उसके प्रकार पर आक्षेप के रूप में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है अथवा तत्संबंधी कोई अकरण (omission) बता सकता है।

(२) सहायक चकबन्दी अधिकारी उपधारा (१) के अन्तर्गत प्रस्तुत आपत्तियों के संबंध में, यदि आवश्यकता हो तो पक्षों की सुनवाई करके भूमि प्रबन्धक समिति के विचारों सहित उक्त आपत्तियों पर अपनी रिपोर्ट चकबन्दी अधिकारी के पास प्रस्तुत करेगा जो उस स्थिति को छोड़कर जिसकी व्यवस्था उपधारा (४) में की गयी है, सभी आपत्तियों को नियत रीति से निस्तारित करेगा।

(३) चकबन्दी अधिकारी का निर्णय इस अधिनियम में अथवा इसके द्वारा अन्यथा व्यवस्था न होने पर, अंतिम होगा।

(४) यदि उपधारा (१) के [अन्तर्गत] अन्तर्गुस्त प्रस्तुत आपत्ति में आगम (title) का प्रश्न अन्तर्गत (involved) हो और इस प्रश्न को पहले से किसी सक्षम (competent) न्यायालय ने [निर्णीत] निर्णीत न किया हो, तो चकबन्दी अधिकारी उक्त प्रश्न को निर्णय के हेतु [मध्यस्त] मध्यस्थ (arbitrator) के पास अभिदिष्ट करेगा [जिसका इस संबंध में निर्णय अंतिम होगा]

(५) ऐसे सब वाद या व्यवहार (suits or proceedings) चाहे वे मौलिक न्यायालय (court of first instance) के समक्ष हों या अपील में हों, जिनमें उस भूमि के आगम (title) का प्रश्न विवाद्यास्पद हो, स्थगित कर दिये जायंगे।

(६) उपधारा (४) के अधीन मध्यस्थ का निर्णय अंतिम होगा।

अध्याय ३

चकबन्दी योजना का तैयार किया जाना

चकबन्दी योजना।

१३--चकबन्दी योजना में निम्नलिखित होंगे:--

(क) धारा १४ में अभिदिष्ट सिद्धांतों का विवरण,

(ख) धारा १९ में अभिदिष्ट प्रस्तावों का विवरण, तथा

(ग) ऐसे अन्य विवरण जो नियत किये जाँय।

सिद्धांतों का विवरण।

१४--(१) चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत प्रत्येक गांव के सम्बन्ध में सहायक चकबन्दी अधिकारी एक विवरण तैयार करेगा (जिसे यहां आगे चलकर सिद्धांतों का विवरण कहा गया है) जिसमें वे सिद्धांत लिखित होंगे जिनका अनुसरण चकबन्दी योजना बनाने में किया जायगा। विवरण में गांव के प्रस्तावित पुनर्मापन (re-survey) तथा स्थिति (layout) की स्थूल रूपरेखा (broad outline) निम्नलिखित ब्योरों सहित दिखाई जायगी। [प्रदर्शित होगी।]

(क) वर्तमान और प्रस्तावित गमनागमन के साधन (means of communications),

(ख) ऐसा क्षेत्र जिस पर पेड़ लगाने या जिसे पशुचर भूमि, मत्स्य संवर्धन, खाद के गढ़ों, खलिहानों, शमशान भूमियों और कब्रिस्तानों के लिये अलग कर देने का प्रस्ताव हो,

(ग) आबादी के लिए नियत किया जाने वाला क्षेत्र,

(घ) सार्वजनिक उपयोगिता और अन्य सामान्य उपयोग के कार्यों के लिये स्थल (location),

(ङ) सार्वजनिक सफ़ाई संरक्षण (public conservancy) की व्यवस्था,

(च) अन्य विषय जो नियत किये जांय।

(२) सहायक चकबन्दी अधिकारी भूमि प्रबन्धक समिति की मंत्रणा लेकर नियत रीति से इस विवरण को तैयार करेगा।

(३) यदि सहायक चकबन्दी अधिकारी और भूमि प्रबन्धक समिति के बीच किसी विषय में मतभेद हो तो यह विषय बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) के पास अभिदिष्ट किया जायगा जिसका इस संबंध में निर्णय अंतिम होगा।

सिद्धांतों का विवरण तैयार करने में अनुसरण किये जाने वाले सिद्धांत।

१५--सहायक चकबन्दी अधिकारी धारा १४ के अन्तर्गत सिद्धांतों का विवरण तैयार करने में निम्नलिखित सिद्धांतों का ध्यान रक्खेगा, अर्थात्

(१) प्रत्येक खातेदार को जहां तक संभव हो उसी हार (block) में भूमि प्रदिष्ट की जाय जिसमें उसके खाते की सबसे अधिक भूमि हो;

[(२) प्रत्येक गांव में भूमि बांटकर निम्नलिखित गुटों में वर्गीकृत की जाय;

(क) ऐसी भूमि का गुट जिसमें केवल चावल उत्पन्न होता हो;

(ख) ऐसी भूमि का गुट जिसमें चावल को छोड़कर एक फस्ली फस्लें होती हों;

(ग) ऐसी भूमि का गुट जो मुख्यतः दुफस्ली हो, और

(घ) ऐसी भूमि का गुट जिसमें किसी नदी का पानी आता हो।]

(२) प्रत्येक गांव में भूमि बांट कर पृथक-पृथक ऐसे हारों (blocks) में रक्खी जाय जिनकी संख्या चकबन्दी संचालक की अनुज्ञा बिना तीन से अधिक न हो और जिनका परिच्छेद (demarcation) निम्नलिखित को ध्यान में रख कर किया जायगा,

(क) गांव में उत्पन्न की जाने वाली, फसलों की किस्म और संख्या ;

(ख) मिट्टी की किस्म,

(ग) सिंचाई की सुविधाओं का होना या उनका अभाव; और

(घ) ऐसी भूमि का अस्तित्व जिसमें किसी नदी का पानी आता हो।

(३) केवल उन्हीं खातेदारों को [गुट] हार विशेष में भूमि मिले जिनकी भूमि पहले से वहां हो ;

(४) आबादी के लिये [विनिर्दिष्ट] नियत और सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये सुरक्षित क्षेत्रों को छोड़ कर प्रत्येक खातेदार को प्रदान किये जाने वाले चकों की संख्या गांव में [गुटों] की संख्या से अधिक न हो उस दशा के अतिरिक्त जब कि केवल एक ही [गुट] हार हो और भूमि न्यूनाधिक एक सी [न] हो ;

(५) एक ही परिवार के खातेदारों को जहां तक संभव हो पास पास में चक दिये जांय ;

(६) खातेदार के निवास गृह की स्थिति अथवा उसके द्वारा की गयी उन्नति (improvement) पर यदि कोई हो, चक प्रदान करते समय विचार किया जाय ;

(७) छोटे खातेदारों को गांव की आबादी के समीप, जहां तक व्यवहार्य हो, भूमि प्रदान की जाय;

(८) किसी भी वर्तमान संहत खाता (Compact holding) या फार्म को जो क्षेत्रफल में ६ १/४ एकड़ का या इससे अधिक हो यथा-संभव वितरित अथवा विभक्त न किया जाय ;

"(८-क) उपधारा (१) के अधीन गाटों का प्रदान (allotment of plots) लगानी मूल्य (rental value) के आधार पर किया जायगा ;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि प्रदान किये जानेवाले गांटों के क्षेत्रफल और मूल गुटों (original plots) के क्षेत्रफल का अन्तर २० प्रतिशत से अधिक न हो"

(९) अन्य ऐसे सिद्धांत जो नियत किये जांय।

१६--(१) धारा १५ के अन्तर्गत तैयार किया गया सिद्धांतों का विवरण गांव में प्रकाशित किया जायगा और इसकी एक प्रति चकबन्दी अधिकारी के पास भेज दी जायगी।

सिद्धांतों का विवरण का प्रकाशन तथा उस पर आपत्तियां।

(२) ऐसा व्यक्ति, जिसपर योजना का प्रभाव पड़ने की संभावना हो, ऐसे प्रकाशन के दिनांक से ७ दिन के भीतर, नियत रीति से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

सिद्धांतों के विवरण पर की गयी आपत्तियों का निरस्तारण।

१७—(१) सहायक चकबन्दी अधिकारी धारा १६ के अन्तर्गत प्रस्तुत आपत्तियों पर, यदि आवश्यक हो तो, पक्षों की सुनवाई करने के बाद भूमि प्रबन्धक समिति के विचारों को ध्यान में रख कर उन आपत्तियों पर अपनी रिपोर्ट चकबन्दी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा जो नियत रीति से आपत्तियों को निस्तारित करेगा।

(२) कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (१) के अधीन चकबन्दी अधिकारी की आज्ञा से क्षुब्ध हो, आज्ञा के दिनांक से १५ दिन के भीतर बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है जिसका इस संबंध में निर्णय जब तक कि इस अधिनियम द्वारा अथवा इस अधिनियम में अन्यथा व्यवस्था न हो, अंतिम होगा।

(३) चकबन्दी अधिकारी तथा बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) अपील अथवा आपत्ति का निर्णय करने से पूर्व जैसी भी दशा हो, सम्बद्ध पक्षों को तथा भूमि प्रबन्धक समिति को उचित सूचना देने के पश्चात् गांव का स्थानीय निरीक्षण करेंगे।

सिद्धांतों के विवरण की पुष्टि।

१८—यदि धारा १६ में निर्दिष्ट अवधि के भीतर सिद्धांतों के विवरण पर कोई आपत्ति नहीं प्रस्तुत की जाती अथवा यदि उक्त आपत्तियां प्रस्तुत की जाने के बाद अंतिम रूप से निस्तारित हो चुकी हों, तो बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) ऐसे परिष्कारों और परिवर्तनों के बाद जो धारा [१९] १७ के अन्तर्गत दी गयी आज्ञा को, यदि कोई हो, ध्यान में रखते हुये आवश्यक हों, विवरण का पुष्टीकरण करेगा और तत्पश्चात् इस प्रकार का [पुष्टिकृत] पुष्टीकृत विवरण अंतिम होगा, और गांव में प्रकाशित किया जायगा।

प्रस्तावों का विवरण।

१९—(१) धारा १८ के अन्तर्गत विवरण के पुष्टीकरण के बाद ही, सहायक चकबन्दी अधिकारी [इस] विवरण के अनुसार नियत रूप से प्रस्तावों का विवरण तैयार करेगा जिनमें निम्नलिखित प्रदर्शित होंगे :—

(क) प्रत्येक खातेदार के संबंध में धारा ११ की उपधारा (१) के खंड (ख) में वर्णित ब्योरे ;

(ख) प्रत्येक खातेदार के खाते के वर्तमान गाटों के बदले में प्रदान किये जाने वाले प्रस्तावित गाटों की खसरा संख्या, उनमें अधिकारों का प्रकार तथा लगानी मूल्य (rental value) तथा इस प्रकार निर्दिष्ट खेतों का मिट्टी के अनुसार वर्गीकरण ;

(ग) 'ख' के प्रस्तावों के समर्थन में संक्षिप्त कारण ;

[(घ) उस खातेदार को जिसे अपने वर्तमान खाते से कम लगानी मूल्य की भूमि प्रदिष्ट की जाय तो उसका दिया जाने वाला प्रतिकर, यदि कोई हो,]

(ङ) पेड़ों और कुंओं, [अथवा] इमारतों या किसी अन्य उन्नति (improvement) के लिये नियत रीति से आकलित प्रतिकर ;

(च) सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए [विनिर्दिष्ट] क्षेत्र नियत और ऐसे क्षेत्रों [की स्थिति] का विन्यास (layout) और उनका लगानी मूल्य ;

(छ) अन्य ऐसे ब्योरे जो नियत किये जांय।

(२) प्रस्तावों के विवरण के साथ गांव का नक्शा भी होगा जिसमें गांटों का प्रस्तावित क्रम प्रदर्शित होगा।

(३) यदि प्रस्तावों का विवरण तैयार करते समय सहायक चकबन्दी अधिकारी को यह आवश्यक प्रतीत हो कि योजना के अन्तर्गत किसी खाते के साथ किसी ऐसी भूमि का संयोजन आवश्यक है जो सार्वजनिक या सामान्य प्रयोजनों के उपयोग में आती है तो वह इस आशय का प्रख्यापन करेगा और इस प्रख्यापन में बतलायेगा कि उक्त भूमि में या उक्त भूमि पर जनता के और सभी व्यक्तियों के अधिकार, विवरण में सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये विनिर्दिष्ट अन्य किसी भूमि में हस्तांतरित कर दिये जायंगे और जब अधिकार इस प्रकार हस्तांतरित कर दिये जांय, तो वे उस भूमि के संबंध में जिससे कि वे हस्तांतरित किये गये हों, समाप्त हो जायंगे।

(४) [उक्त] प्रस्तावों का विवरण भूमि प्रबन्धक समिति का परामर्श लेकर नियत रीति से तैयार किया जायगा।

(५) यदि सहायक चकबन्दी अधिकारी और भूमि प्रबन्धक समिति के बीच प्रस्तावों के विवरण संबंधी किसी भी विषय में मतभेद हो तो वह विषय बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) के पास अभिदिष्ट किया जायगा जिसका इस संबंध में निर्णय अंतिम होगा।

विवरणों पर आपत्तियां।

२०—(१) धारा १९ के अन्तर्गत तैयार किया गया प्रस्तावों का विवरण गांव में प्रकाशित किया जायगा।

(२) ऐसा व्यक्ति जिस पर प्रस्तावों का प्रभाव पड़ने की संभावना हो, प्रकाशन के दिनांक से १५ दिन के भीतर सहायक चकबन्दी अधिकारी के समक्ष लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

(३) जनता में से कोई प्रभावित व्यक्ति अथवा कोई ऐसा व्यक्ति जिसे किसी सार्वजनिक भूमि में या सार्वजनिक भूमि पर सार्वजनिक मार्ग के अधिकार के अतिरिक्त अन्य कोई सत्व या अधिकार प्राप्त हो अथवा अन्य कोई ऐसा सत्व या अधिकार प्राप्त हो जिस पर धारा १९ की उपधारा (१) के खंड [ङ] च और (२) के अन्तर्गत प्रस्तावों से वस्तुतः विपरीत प्रभाव पड़ता हो तो वह उपधारा (१) के अन्तर्गत प्रख्यापन प्रकाशित होने के दिनांक से १५ दिन के भीतर सहायक चकबन्दी अधिकारी के समक्ष उक्त सत्व अथवा अधिकार का प्रकार और वह रीति जिसमें उस पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो, तथा तदर्थ प्रतिकर के दावे के संबंध में ब्योरे तथा उसकी धनराशि बताते हुये, आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सार्वजनिक मार्ग के अधिकार के हस्तांतरण अथवा न्यूनीकरण के कारण कोई भी दावा नहीं गृहीत किया जायगा।

विवरण पर की गई आपत्तियों का निस्तारण।

२१—(१) सहायक चकबन्दी अधिकारी धारा २० के अन्तर्गत प्रस्तुत आपत्तियों पर यदि आवश्यक हो तो सम्बद्ध पक्षों की सुनवाई के बाद उन आपत्तियों पर अपनी रिपोर्ट चकबन्दी अधिकारी के पास प्रस्तुत करेगा जो उस स्थिति को छोड़ कर जिसकी व्यवस्था धारा २२ में की गयी है, इन आपत्तियों का निस्तारण नियत रीति से करेगा।

(२) कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (१) के अधीन चकबन्दी अधिकारी की आज्ञा से क्षुब्ध हो, आज्ञा के दिनांक से १५ दिन के भीतर बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है, जिसका इस संबंध में निर्णय,

जब तक कि इस अधिनियम द्वारा अथवा इस अधिनियम में अन्यथा व्यवस्था न हो, अंतिम होगा।

(३) चकबन्दी अधिकारी तथा बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) आपत्ति अथवा अपील की जैसी भी दशा हो, निर्णय करने के पूर्व सम्बद्ध पक्षों तथा भूमि प्रबन्धक समिति को उचित सूचना देने के पश्चात् गांव का स्थानीय निरीक्षण करेंगे।

भूमि में आगम के संबंध में आपत्तियां।

२२—(१) यदि धारा २० के अन्तर्गत प्रस्तुत आपत्ति में कोई आगम का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हो और इस प्रश्न को पहले ही से किसी समर्थ न्यायालय ने अंतिम रूप से न [निर्णित] निर्णीत किया हो, तो चकबन्दी अधिकारी उस प्रश्न को निर्णय के हेतु मध्यस्थ (arbitrator) के पास अभिदिष्ट करेगा।

(२) ऐसे सभी वाद या व्यवहार (suits or proceedings) जो प्रारम्भिक न्यायालय या पुनर्वाद (appeal) में हों और जिनमें [उस ही।] उसी भूमि से सम्बद्ध आगम (title) का प्रश्न उठाया गया हो, रोक दिये जायंगे।

(३) [उपधारा (१) के अन्तर्गत] इस संबंध में मध्यस्थ का निर्णय अंतिम होगा।

प्रस्तावों के विवरण की पुष्टि।

२३—यदि धारा २० में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रस्तावों के विवरण पर कोई आपत्ति [नहीं] न प्रस्तुत की गयी हो अथवा यदि [उक्त] आपतियां प्रस्तुत की जाने के बाद धारा २१ अथवा २२ के अन्तर्गत निस्तारित हो चुकी हों तो बन्दोबस्त अधिकारी [चकबन्दी] ऐसे परिष्कारों और परिवर्तनों के बाद जो धारा २१ अथवा २२ के अन्तर्गत आज्ञा को ध्यान में रखते हुये आवश्यक हों, विवरण का पुष्टीकरण करेगा और तत्पश्चात् इस प्रकार पुष्टीकृत विवरण अंतिम होगा और नियत रीति से प्रकाशित किया जायगा।

अध्याय ४

योजना का प्रचलित किया जाना

योजना के प्रचलन का दिनांक।

२४—चकबन्दी योजना उस दिनांक को प्रचलित होगी जिसे चकबन्दी अधिकारी निर्दिष्ट करे।

नये खातों की प्रदेशना।

२५—अंतिम चकबन्दी योजना के प्रचलित हो जाने के पश्चात् सहायक चकबन्दी अधिकारी नियत रीति से तथा नियत रूप में प्रदेशना आज्ञा (allotment order) जारी करेगा जिसमें उक्त योजना के अनुसार प्रत्येक खातेदार को प्रदिष्ट नये खेत दिखाये [रहेंगे] जायंगे।

कब्जा करने का दिनांक।

२६—चकबन्दी योजना के पुष्ट होने के दिनांक के बाद [अगले कृषि वर्ष (agricultural year) के प्रारम्भ से] पहली मई को या उसके बाद भूमि के खातेदारों का प्रदिष्ट यदि खेतों पर कब्जा करने का अधिकार होगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सभी खातेदार सहमत हों तो सहायक चकबन्दी अधिकारी, उन सब को तुरन्त या किसी ऐसे दिनांक से, जिसे वह निर्दिष्ट करे, कब्जा करने की अनुमति दे सकता है।

नये माल अभिलेख। (revenue records)

२७—(१) चकबन्दी योजना के प्रचलित होने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य सरकार प्रत्येक ऐसे गांव के संबंध में, जो चकबन्दी क्रिया के अन्तर्गत हो, गांव का नया नक्शा, खसरा [field dbook] और अधिकार अभिलेख तैयार किये जाने के लिये यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ की धारा ४८ के अधीन सरकारी गजट में एक विज्ञप्ति निकालेगी और इसके पश्चात् यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के उपबन्धों के अनुसार नये अभिलेख तैयार किये जायंगे।

(२) उपधारा (१) के अन्तर्गत तैयार किये गये अधिकार अभिलेख के सभी इन्दराज अंतिम तथा निश्चायक होंगे।

कब्जा दिलाने के संबंध में सहायक चकबन्दी अधिकारी के अधिकार।

२८—सहायक चकबन्दी अधिकारी, यदि आवश्यक हो तो, उस व्यक्ति अथवा उन व्यक्तियों को जिन्हें चक प्रदिष्ट किये गये हों जोत पर जिसके वे इस प्रकार अधिकारी हों, उसकी खड़ी फस्लों के साथ यदि कोई हों, वास्तविक रूप से क़ब्जा (physical possession), दिलायगा और ऐसा करने में उसे अपमान (contempt), प्रतिरोध (resistance) तथा ऐसी ही अन्य बातों के सम्बन्ध में वे अधिकार (powers) प्राप्त होंगे जिनका प्रयोग अचल सम्पत्ति पर कब्ज दिलाने की डिक्री के सम्पादन (इजरा) करने में दीवानी न्यायालय कर सकते हैं।

२९—(१) यदि धारा २५ के अधीन किसी भूमि के खातेदार को प्रदिष्ट (allotted) भूमि पर खड़ी फ़सलें हों तो सहायक चकबन्दी अधिकारी उस भूमि के खातेदार द्वारा, जिसे कब्जा दिलाया गया हो, ऐसी फसलों के सम्बन्धमें देय प्रतिकर को नियत रीति से अवधारित करेगा और उक्त खातेदार कब्जा करने के दिनांक से (छः) नौ मास के भीतर उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को जिससे या जिनसे क़ब्जा संक्रामित किया गया हो, प्रतिकर देगा और ऐसा न करने की दशा में उससे ऐसा प्रतिकर मालगुजारी के बकाये के रूप में वसूल किया जा सकेगा।

(२) [यदि] जब कोई [भूमि का] खातेदार (tenure holder) जिस से, उपधारा १ में की हुई व्यवस्था से भिन्न किसी अन्य प्रकार से, इस योजना के अधीन प्रतिकर वसूल किया जा सकता हो धारा २६ के अधीन कब्जा करने के दिनांक से [३०दिन] तीन मास के भीतर ऐसा प्रतिकर नियत रीति से जमा न करे तो वह उससे मालगुजारी के बकाये के रूप में वसूल किया जा सकेगा, और नियत रीति से वितरित किया जायगा।

(३) उपधारा (१) या (२) के उपबन्धों को बाधित न करते हुये, यदि इस अधिनियम के अधीन देय प्रतिकर निश्चित दिनांक से पूर्व पूर्णतः या अंशतः अदा न किया जाय तो इस प्रकार अदा न की गई धनराशि पर १ प्रतिशत प्रतिमास की दर से ब्याज लिया जायगा।

चकबन्दी के पश्चात अधिकार।

३०—उस दिनांक से जब कोई खातेदार [अपने को] उसे प्रदिष्ट गांटों पर धारा २६ के उपबन्धों के अधीन कब्जा करता है, उसके अपने पहले के जोत के अधिकार (rights), आगम (titles) और स्वत्व (interest) समाप्त हो जांयगे और उसे, यदि कोई परिष्कार किया जाय तो उसे बाधित न करते हुये धारा २५ के अधीन प्रदिष्ट गांटों के संबंध में वही अधिकार, आगम और स्वत्व प्राप्त होंगे जो अंतिम चकबन्दी योजना में निर्दिष्ट हों।

भार (Encumbrances.)

३१—(१) यदि चकबन्दी योजना के अन्तर्गत (लाया गया) लायी गयी कोई [खाता,] जोत, किसी पट्टे, बन्धक अथवा किसी अन्य भार (encumbrance) से ग्रस्त हो, तो ऐसा पट्टा बन्धक अथवा अन्य भार उस योजना के अन्तर्गत तदनुरूप जोत (Corresponding holding) [से] अथवा उसके किसी ऐसे भाग पर [संक्रामित और उससे सम्बद्ध कर दिया जायगा] जिसे सहायक चकबन्दी अधिकारी ने इस योजना को तैयार करते समय अवधारित किया हो, संक्रामित और उससे सम्बद्ध कर दिया जायगा और तदुपरान्त पट्टेदार,

बन्धकी अथवा अन्य भारकर्त्ता (encumbrancer) [की] का जैसी भी दशा हो, उस भूमि में या उसके प्रति कोई अधिकार (right) न रह जायगा जिससे वह पट्टा, बन्धक अथवा अन्य भार संक्रामित किया गया हो।

[(२) यदि किसी ऐसे जोत (holding) का बाजारी मूल्य, जिसमें उपधारा (१) के अधीन कोई पट्टा, बन्धक या अन्य भार संक्रामित किया गया हो, उस जोत के बाजारी मूल्य से कम हो, जिसमें से वह संक्रामित किया गया हो, तो पट्टेदार, बन्धकी अथवा अन्य भारकर्त्ता को, जैसी भी दशा हो, खातेदार (tenure-holder) से ऐसा प्रतिकर पाने का अधिकार होगा जिसे सहायक चकबन्दी अधिकारी अवधारित करे।)]

(३) सहायक चकबन्दी अधिकारी, यदि आवश्यक हो तो किसी पट्टेदार, बन्धकी अथवा अन्य भारकर्त्ता को जो कब्जा पाने का अधिकारी हो, ऐसे किसी जोत अथवा जोत के किसी भाग का कब्जा दे सकते हैं जिसमें उपधारा (१) के अधीन उसका पट्टा, बन्धक अथवा अन्य भार संक्रामित किया गया हो।

खाता संक्रामित करने का अधिकार।

३२—[यूनाइटेड प्राविंसेज] यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ और १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, में किसी बात के रहते हुये भी भूमि के खातेदारों (tenure-holders) के ऐसे अधिकार (rights), आगम (title) और सवत्व (interest) जो उनके जोतों में हों और उन पर कोई भार, उनपर प्रभाव डालने वाली किसी चकबन्दी की योजना के कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए विनियम (exchange) द्वारा अथवा किसी अन्य प्रकार से संक्रामण योग्य (transferable) होंगे और किसी भूमि के खातेदार अथवा किसी अन्य व्यक्ति को उक्त प्रयोजन के लिये किये गये किसी संक्रामण पर आपत्ति करने अथवा हस्तक्षेप करने का अधिकार न होगा।

व्यय (Costs)।

३३—(१) सहायक चकबन्दी अधिकारी नियत रीति से चकबन्दी का अनुमानित और अन्तिम रूप से निश्चित व्यय अवधारित करेगा, और ऐसे व्यय को उन व्यक्तियों के बीच बांटेगा जिन पर चकबन्दी की आज्ञा का प्रभाव पड़ा हो।

(१—क) उपधारा (१) के अधीन बांटे गये अनुमानित व्यय (estimated cost) का आधा भाग नियत रीति से अग्रिम रूप से (in advance) वसूल किया जा सकेगा और उसका संधान (adjustment) उक्त उप-धारा के अधीन अंतिम रूप से वसूल किये जाने वाले व्यय में से किया जायगा।

(२) इस धारा के अधीन कोई धनराशि जो व्यय के रूप में देय हो, मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी।

प्रचलित करने पर आपत्ति-पत्र।

३४—(१) यदि कोई व्यक्ति धारा [२५, २६, २८] २९, [३०] ३१ और [३१] और ३३ के अधीन दी गई सहायक चकबन्दी अधिकारी की किसी आज्ञा से क्षुब्ध (aggrieved) हो, तो वह ऐसी आज्ञा के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर, नियत रीति से चकबन्दी अधिकारी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

(२) सहायक चकबन्दी अधिकारी उक्त आपत्ति को अपनी रिपोर्ट के साथ चकबन्दी अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

आपत्ति का निस्तारण (Disposal of objections)।

३५—(१) धारा ३४ के अधीन आपत्ति तथा रिपोर्ट के प्राप्त होने पर, चकबन्दी अधिकारी, ऐसी स्थिति को छोड़ कर जिसके विषय में धारा ३६

में कोई व्यवस्था की गयी हो नियत रीति से तथा आपत्तिकर्ता को सूचना (notice) देने के बाद उक्त आपत्ति का निस्तारण करेगा।

(२) चकबन्दी अधिकारी का निर्णय ऐसी दशा को छोड़कर जिसके विषय में इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन कोई व्यवस्था की गयी हो, अन्तिम होगा।

मध्यस्थ निर्णय (arbitration) के निमित्त भेजना।

३६—(१) उस दशा में जब धारा ३४ के अधीन की गई आपत्ति में भूमि के आगम (title) का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हो और ऐसे प्रश्न का निर्णय अन्तिम रूप से किसी सक्षम (competent) न्यायालय द्वारा न हो चुका हो, तो चकबन्दी अधिकारी उसे निस्तारण के निमित्त मध्यस्थ के पास अभिदिष्ट करेगा।

(१-क) ऐसे सभी वाद या व्यवहार (suits or proceedings) जो मूलिक न्यायालय या अपील में हों और जिनमें उस ही भूमि से सम्बद्ध आगम (title) का प्रश्न उठाया गया हो, रोक दिये जायंगे।

(२) मध्यस्थ का निर्णय अन्तिम होगा।

अध्याय ५

प्रकीर्ण (Miscellaneous)

मध्यस्थ निर्णय।

३७—(१) यदि इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन किसी विषय को निर्णय के निमित्त किसी मध्यस्थ के पास भेजने का आदेश दिया जाय तो राज्य सरकार उन दीवानी न्यायाधिकारियों (सिविल जुडिशियल आफ़िसर्स) या प्रथम श्रेणी के असिस्टेंट कलेकटरों में से किसी को, जिनको अपने पद का कम से कम [७] पांच वर्ष का अनुभव हो, मध्यस्थ के रूप में नियुक्त [करेगा] करेगी और अन्य सभी बातों में, मामले का निर्णय आरबिट्रेशन ऐक्ट, १९४० के अनुसार किया जायगा।

(२) उपधारा (१) के अधीन मध्यस्थ की नियुक्ति या तो सामान्य रूप से या किसी विशिष्ट मामले या किसी विशिष्ट वर्ग के मामलों के सम्बन्ध में या किसी निर्दिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों के सम्बन्ध में की जा सकती है।

साक्षियों के उपस्थित कराने तथा अन्य विषयों के अधिकार।

३८—(१) निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में किसी भी बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी), चकबन्दी अधिकारी और सहायक चकबन्दी अधिकारी को ऐसे सब सामर्थ्य (powers), अधिकार (rights) और विशेषाधिकार (privileges) प्राप्त होंगे, जो किसी व्यवहार (action) में निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में दीवानी न्यायालय (Civil Court) को प्राप्त हैं :

(क) साक्षियों को उपस्थित कराना और उनको शपथ देकर प्रतिज्ञान (affirmation) कराके, या अन्य प्रकार से उनके बयान लेना और विदेशस्थ साक्षियों (witnesses abroad) का बयान लेने के लिये कमीशन या निवेदन पत्र (Letter of Request) जारी करना;

(ख) किसी को कोई लेख्य (document) प्रस्तुत करने को बाध्य करना;

(ग) अपमान (contempt) के लिए लोगों को दण्ड देना, और किसी भी व्यवहार (action) में साक्षियों के उपस्थित और लेख्यों को प्रस्तुत कराने के लिये दीवानी न्यायालय द्वारा जारी किये जा सकने वाले किसी भी रीतिक प्रसर (formal process) के स्थान पर ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ सम्मन भेजा जा सकता है और वह उक्त प्रसर के ही बराबर समझा जायगा।

(२) समय विशेष पर प्रचलित किसी विधि में कोई बात रहते हुये भी, यदि बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) या चकबन्दी आधिकारी को सन्तोष हो कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन तैयार किये गये किसी लेख्य (document) में कोई लेख्य या गणना सम्बन्धी कोई ऐसा अशुद्धि या भूल (clerical or arithmetical mistake or error) है जो बिल्कुल प्रत्यक्ष है तो वह या तो स्वतः या किसी स्वत्व रखने वाले व्यक्ति के प्रार्थना-पत्र पर उस अशुद्धि को ठीक कर सकता है।

लेख्य इत्यादि प्रस्तुत कराने का अधिकार।

३९—(१) नियत किये जाने वाले प्रतिबन्धों या निरोधों को बाधित न करते हुए, बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी), चकबन्दी अधिकारी [और] या सहायक चकबन्दी अधिकारी लिखित आज्ञा द्वारा किसी व्यक्ति को आदेश दे सकते हैं कि वह ऐसे लेख्य, पत्र और रजिस्टर प्रस्तुत करें या ऐसी सूचना दे [जो बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी), चकबन्दी अधिकारी तथा सहायक चकबन्दी अधिकारी] जिसे वे इस अधिनियम के अधीन अपने अधिकारों का उचित प्रयोग या कर्त्तव्यों का उचित पालन करने के लिए आवश्यक समझें।

(२) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में, जिसे इस धारा के अधीन कोई लेख्य, पत्र या रजिस्टर प्रस्तुत करने या कोई सूचना देने का आदेश दिया गया हो, यह समझा जायगा कि वह इण्डियन पीनल कोड की धारा १७५ और १७६ के अर्थ में विधितः ऐसा करने को वाध्य (legally bound) है।

बन्दोवस्त अधिकारी (चकबन्दी) चकबन्दी अधिकारी तथा सहायक चकबन्दी अधिकारी के सामने व्यवहारों का वैचारिक व्यवहार माना जाना।

४०—किसी बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी), चकबन्दी अधिकारी तथा सहायक चकबन्दी अधिकारी के सामने होने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि वह इन्डियन पीनल कोड की धारा १९३ और २२८ के अर्थ में और धारा १९६ के प्रयोजनों के लिए एक वैचारिक व्यवहार (judicial proceeding) है।

यू०पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ का लागू किया जाना।

४१—जब तक कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अन्य प्रकार से स्पष्ट व्यवस्था न की गई हो, [कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८] यू० पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ (अध्याय ९ तथा १०) के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन सब व्यवहारों (proceedings) पर लागू होंगे जिनके अन्तर्गत अपील और आवेदन पत्र (applications) हैं।

अधिकारी और प्राधिकारी।

४२—(१) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार निम्नलिखित अधिकारी नियुक्त कर सकती है:—

(१) सहायक चकबन्दी अधिकारी (Assistant Consolidation Officer);

(२) चकबन्दी अधिकारी (Consolidation Officer);

(३) बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) [Settlement Officer (Consolidation)];

(४) सहायक संचालक (चकबन्दी) [Assistant Director (Consolidation)]; तथा

(५) चकबन्दी संचालक (Director of Consolidation)।

(२) चकबन्दी संचालक तथा सहायक चकबन्दी संचालक ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे और बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी), चकबन्दी अधिकारी तथा सहायक चकबन्दी अधिकारी के कार्य को पर्यवेक्षण (supervision) और अधीक्षण (Superintendence) के विषय में ऐसे अधिकारों का प्रयोग करेंगे जो नियत किये जायं।

(३) बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी), चकबन्दी अधिकारी तथा सहायक चकबन्दी अधिकारी ऐसे अधिकारों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बने नियमों के द्वारा या अधीन उन्हें दिये गये या उन पर लगाये गये हों।

(४२-क) (१) यदि १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा १२१ के अधीन संघटित भूमि प्रबन्धक समिति में ११ से अधिक सदस्य हों तो समिति नियत रीति से ऐसी योग्यतायें रखने वाले जो नियत की जायं, ऐसे ११ सदस्य चुनेगी। चुने हुये सदस्यों और उपधारा २ के अधीन नामांकित सदस्यों से यदि कोई हों, मिलकर बनी हुई समिति इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये भूमि प्रबन्धक समिति समझी जायगी।

(२) बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) भूमि प्रबन्धक समिति के लिये एक से लेकर चार तक ऐसे सदस्य नामांकित कर सकेगा जिनका बढ़ाना उसके मतानुसार उस मंडल (Circle) में चकबन्दी की कार्यवाही के लिये सुविधाजनक होगा।

प्रतिनिधान। (Delegation.)

४३—राज्य सरकार इस अधिनियम द्वारा मिले अपने अधिकारों में से कोई भी अधिकार किसी भी अधिकारी (officer) या प्राधिकारी (authority) को सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा उक्त विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किये जाने वाले प्रतिबन्धों (conditions) और निरोधों (restrictions) के अधीन प्रयोग करने के लिये सौंप सकती है।

मापन तथा परिच्छेद के प्रयोजनों के लिए भूमि पर प्रवेश करने का अधिकारियों का अधिकार।

४४—धारा ४२ की उपधारा (१) में उल्लिखित अधिकारी या उनकी [सहायक चकबन्दी अधिकारी और उसकी] आज्ञाओं के अधीन कार्य करने [वाला] वाले कोई व्यक्ति या उनमें से कोई एक इस अधिनियम के अधीन किसी कर्तव्य के पालन में भूमि पर प्रवेश कर सकता है उसका मापन (survey) कर सकता है। उस पर मापन के चिन्ह (marks) बना सकता है तथा उसकी सीमाओं का परिच्छेद (demarcation) कर सकता है और अन्य ऐसे सभी कार्य कर सकता है जो उस कर्तव्य का उचित पालन करने के लिए आवश्यक हों।

मापन के चिन्हों को नष्ट करने, हानि पहुंचाने अथवा उन्हें हटाने के सम्बन्ध में दण्ड।

४५—(१) यदि कोई व्यक्ति विधिक रूप से निर्मित किसी मापन के चिह्न को बिना विधिक अधिकार के जानबूझ कर नष्ट करे या हानि पहुंचाये या हटाये तो चकबन्दी अधिकारी उसे प्रतिकर की ऐसी धनराशि के भुगतान करने का आदेश दे सकता है जो इस प्रकार से नष्ट किये गये, हानि पहुंचाये गये अथवा हटाये गये प्रत्येक चिह्न के लिए पचास रुपये से अधिक न होगी और जो उस अधिकारी के मतानुसार उक्त चिह्न को पूर्व दशा में लाने के व्यय को पूरा करने तथा उक्त व्यक्ति को, यदि कोई हो, जिसने नष्ट किये जाने, हानि पहुंचाये जाने, हटाये जाने की सूचना दी हो, पारितोषिक देने के लिए आवश्यक हो।

(२) [इस धारा] उपधारा (१) के अधीन [अर्थदण्ड लगाया जाना] प्रतिकर देने के लिये दी गई कोई आज्ञा इण्डियन पीनल कोड की धारा ४३४ के अधीन अभिवोजन [पर] में बाधक न [होगा] होगी।

अधिनियम द्वारा स्वीकृत की जाने वाली अपीलें, इत्यादि।

४६—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जारी की गयी किसी आज्ञा के विरुद्ध अपील या [प्रत्यालोचन अभिदेश या] पुनःरीक्षण (review reference or revision) के निमित्त आवेदन-पत्र प्रस्तुत न किया जा सकेगा, जब तक कि इस सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन या उसके द्वारा कोई व्यवस्था न की गयी हो।

अभिलेख मंगाने तथा आदेशों का पुनरीक्षण करने का [बोर्ड] चकबन्दी संचालक का अधिकार।

४७—चकबन्दी संचालक किसी मामले का अभिलेख (record) अपने यहां मंगा सकता है यदि उसे ऐसा प्रतीत हो कि उस अधिकारी ने मध्यस्थ के अतिरिक्त जिसने उस मामले का निर्णय किया है, किसी ऐसे अधिक्षेत्र का प्रयोग किया है जो उसे विधितः प्राप्त नहीं था या विधितः प्राप्त किसी अधिक्षेत्र का प्रयोग नहीं किया है या अधिक्षेत्र का प्रयोग करने में अवैध रूप से (illegally) या वास्तविक अनियमितता पूर्ण (with substantial irregularity) आचरण किया है [तो] और ऐसी आज्ञा दे सकता है जो वह [उपर्युक्त] उपयुक्त समझे।

दीवानी न्यायालय के अधिक्षेत्र पर रोक।

४८—कोई भी व्यक्ति चकबन्दी के व्यवहारों (proceedings) से उत्पन्न होने वाले किसी विषय के सम्बन्ध में या किसी ऐसे अन्य विषय के सम्बन्ध में जिसके लिए इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कोई वाद या प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जा सकता हो, किसी दीवानी न्यायालय में कोई वाद या अन्य व्यवहार (proceedings) प्रस्तुत नहीं करेगा।

न्याय शुल्क से मुक्ति।

४९—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किन्हीं भी व्यवहारों (proceedings) में दिये गये किसी आवेदन-पत्र के सम्बन्ध में कोई न्याय शुल्क (court fee) देय न होगा।

संक्रामण को निष्पन्न करने के लिए कोई करण (Instrument) आवश्यक नहीं है।

५०—समय विशेष पर प्रचलित किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी—

(क) जोतों की चकबन्दी की किसी योजना को कार्यान्वित करने में अन्तर्ग्रस्त किसी संक्रामण (transfer) को निष्पन्न करने के निमित्त किसी लिखित करण (instrument (in writing) की आवश्यकता न होगी, तथा.

(ख) किसी भी करण (instrument) के लिये यदि वह निष्पादित किया जाय, निबंधन (registration) की आवश्यकता न होगी।

चकबन्दी क्रिया की समाप्ति।

५१—खातेदारों के धारा २६ के अनुसार अपने नये खाते पर कब्जा पाने के बाद, राज्य सरकार यथाशीघ्र सरकारी गजट में इस आशय की एक विज्ञप्ति प्रचारित करेगी कि चकबन्दी क्रिया उस गांव में समाप्त कर दी गयी है और तदुपरान्त वह गांव चकबन्दी क्रिया के अधीन न रहेगा।

५२—१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी धारा ८ या ९ के अधीन तैयार किये गये अभिलेखों में इस प्रकार लिखित कोई संयुक्त खातेदार (joint tenure holder) धारा १६ के अन्तर्गत सिद्धान्तों के विवरण के प्रकाशन से १५ दिन के भीतर चकबन्दी अधिकारी को खाते के अपने अंश को पृथक प्रदिष्ट करवाने के लिए आवेदन-पत्र दे सकता है; उक्त आवेदन-पत्र देने पर चकबन्दी अधिकारी इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त प्रार्थी को पृथक खातेदार मानेगा।

नियम

५३—(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिये नियम बना सकती है।

(२) पूर्वोक्त अधिकार की व्याप्ति को बाधित करते हुए ऐसे नियम निम्निलिखित की व्यवस्था कर सकते हैं :

(१) धारा [३] ४ के अधीन आवेदन पत्र तथा प्रख्यापन (declaration) का आकार (form);

(२) धारा [५] ६ के अधीन चकबन्दी से सम्बद्ध प्रख्यापन को रद्द करने से सम्बद्ध विषय तथा उसके परिणाम;

(३) धारा ७ के अधीन माल अभिलेखों (Revenue Records) की परीक्षा से सम्बद्ध प्रक्रिया (procedure) तथा कार्यवाही;

(४) धारा १३ में अभिदिष्ट विवरण-पत्रों का आकार (from);

(५) सिद्धान्तों के विवरण तथा प्रस्तावों (proposals) के विवरण के तैयार करने से सम्बद्ध प्रक्रिया तथा रीति;

(६) धारा १५ में अभिदिष्ट [गुटों] हारों की तैयारी तथा परिच्छेद (demarcation) से सम्बद्ध विषय;

(७) प्रक्रिया तथा रीति जिसके अनुसार भूमि प्रबन्धक समिति के विचार निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्राप्त किये जायेंगे;

(८) सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा चकबन्दी अधिकारी को प्रस्तुत की जाने वाली आख्या में दी जाने वाली बातें तथा उनसे सम्बन्द्ध प्रक्रिया;

(९) बन्दोवस्त अधिकारी (चकबन्दी) द्वारा सिद्धान्तों के विवरण और प्रस्तावों के विवरण तथा अन्य विवरणों की [पुष्टिकरण] पुष्टीकरण से सम्बद्ध प्रक्रिया तथा रीति;

(१०) सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट किये जाने वाले क्षेत्रों का अवधारण;

(११) सार्वजनिक भूमि से किसी दूसरी भूमि को, जो सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये विनिर्दिष्ट की गयी हो, अधिकारों के संक्रामण से सम्बद्ध विषय;

(१२) वह रीति जिसके अनुसार चकबन्दी योजना के लागू किये जाने के लिए निश्चित किया गया दिनांक [विज्ञप्ति] विज्ञापित किया जायगा;

(१३) धारा २६ के अधीन प्रदेशना आज्ञाएं (allotment orders) जारी करने से सम्बद्ध प्रक्रिया और रीति;

(१४) क़ब्ज़ा करने की प्रक्रिया ;

(१५) इस अधिनियम के अधीन किसी खातेदार को दिये जाने वाले प्रतिकर के अवधारण के लिए सिद्धान्त तथा रीति;

(१६) परिस्थितयां जिनमें धारा ३० के उपबन्ध किसी विशेष मामले में लागू न होंगे और प्रक्रिया जिसमें यह बताया जाय कि उक्त धारा के परिष्कार किस हद तक ऐसे मामलों में किये जायेंगे;

(१७) भारों को किसी वर्तमान जोत खाते से किसी नये जोत में अवधारण तथा संक्रामण;

(१८) मध्यस्थ (arbitrator) की नियुक्ति और उसके पास मामले को अभिदेशार्थ भेजे जाने की प्रक्रिया;

(१८-क) धारा १२, २२ और ३६ के अधीन स्थगित वाद तथा व्यवहारों का निस्तारण (disposal);

(१९) इस अधिनियम के अधीन नोटिस या लेख्य को तामील करने की रीति से सम्बन्ध विषय;

(२०) ऐसी कालावधि (time limits) लगाने के लिए, जिनके भीतर नियमों के प्रयोजनों के लिए की जाने वाली बातें अवश्य की जायं, लगायी हुई अवधि को बढ़ाने के संबंध में नियमों में निर्दिष्ट किसी अधिकारिक को अधिकार देकर या न देकर;

(२१) उन मामलों में जिनके लिए इस अधिनियम में कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं की गयी है, अनुसरण की जाने वाली कार्यवाहियों की प्रक्रिया, जिसमें आवेदन-पत्र तथा इस अधिनियम के अन्तर्गत आपत्तियों और अपीलों का प्रस्तुत करना तथा निस्तारण भी सम्मिलित है;

(२२) इस अधिनियम के अधीन प्राप्त अधिक्षेत्र वाले किसी अधिकारी या प्राधिकारी (authority) द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(२३) ऐसी दशाओं में, जिनके विषय में इस सम्बन्ध में, इस अधिनियम में कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गयी है, इस अधिनियम के अधीन आवेदन-पत्र देने और अपील करने की कालावधि;

(२४) इस अधिनियम के अधीन दिये जाने वाले आवेदन-पत्रों (applications), अपीलों और व्यवहारों (proceedings) पर इण्डियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८ के उपबन्धों का लागू किया जाना;

(२५) इस अधिनियम द्वारा राज्य सरकार या किसी दूसरे प्राधिकारी, अधिकारी या व्यक्ति को मिले अधिकारों का प्रतिनिधान (delegation);

(२६) एक प्राधिकारी या अधिकारी के यहां से दूसरे प्राधिकारी या अधिकारी के यहां व्यवहारों का संक्रामण; तथा

[(२७) वह सीमा जिसके अन्तर्गत प्रदेशना (allotment) में खातेदार का क्षेत्र, प्रतिकर द्वारा अथवा अन्य किसी प्रकार से, संधानित (adjusted) किया जा सकता है।]

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उद्देश्य और कारण

१९५० ई०के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के प्रचलित होने के बाद इस राज्य में जोतों की चकबन्दी की स्वभावतः गहरी मांग हुई। स्वामित्व तथा कृषि सम्बन्धी जटिल एवं विभिन्न प्रकार के भौमिक अधिकार सफल चकबन्दी में प्रधान रूप से बाधक थे उनके समाप्त हो जाने पर इस कार्य के प्रारम्भ का यह सुन्दर अवसर है। एक ही परिवार द्वारा खेती किये जाने वाले सभी गांटों के संहत होने के लाभों का संक्षेप में उल्लेख ही पर्याप्त है। चकबन्दी से मेड़ों की संख्या तथा विस्तार बहुत कम हो जायेंगे। और इस प्रकार मेड़ों के विषय में होने वाले झगड़े भी कम हो जायेंगे और भूमि की बचत भी होगी। इससे खेत बड़े हो जायेंगे और खेतों तक आने जाने में कम समय भी लगेगा। भूमि के एकत्र होने पर एकान्तता के लिए तथा अनधिकार प्रवेश, चोरी एवं सीलाबिन जाने को रोकने के हेतु घेरे-जैसे पाढ़ और किनारे पर झाड़ियां तथा खाइयां—बनायी जा सकेंगी। सिंचाई तथा पानी के निकास का नियंत्रण सरल हो जायगा तथा फ़सलों में लगने वाले कीड़ों तथा बीमारियों की रोक थाम करने में कम कठिनाई होगी। अतएव अगस्त, १९५२ में सरकार ने माल मंत्री की अध्यक्षता में इस राज्य में यथाशीघ्र जोतों की चकबन्दी करने की विशद योजना बनाने के लिए तथा यू० पी० कन्सालिडेशन आफ होल्डिंग्स ऐक्ट, १९३९ में संशोधन प्रस्तुत करने के लिये समिति नियुक्ति की। समिति ने १९३९ के एक्ट के अधीन योजना की असफलता के कारणों की जांच करने के पश्चात् तथा उस उपसमिति की रिपोर्ट का अध्ययन करने के पश्चात् जिसने पंजाब (भारत) में जोतों की चकबन्दी की योजना का अध्ययन किया था, तथा पंजाब के अनुरूप ही गांवों के सर्वांगीण उत्थान के हेतु एक समन्वित योजना की सिफारिश की है।

(२) विधेयक की प्रमुख विशेषतायें निम्नलिखित हैं :—

(क) सरकार ही उस जिले को अथवा स्थानीय क्षेत्र को चुनेगी जिसमें इस कार्य का प्रारम्भ होगा।

(ख) कार्य के प्रारम्भ होने से पूर्व एक विज्ञप्ति प्रचारित की जायगी जिसके अनुसार क्षेत्र चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत आ जायगा।

(ग) विज्ञप्ति प्रचारित होने का प्रभाव यह होगा कि वार्षिक रजिस्टरों तथा अधिकार अभिलेखों की तैयारी के कार्य का दायित्व जोतों की चकबन्दी के लिए नियुक्त कर्मचारियों पर आ जायगा जब तक कि क्रियाओं की समाप्ति के हेतु दूसरी विज्ञप्ति नहीं प्रचारित कर दी जायगी।

(घ) सहायक चकबन्दी अधिकारी भूमि प्रबन्धक समिति के घनिष्ट सहयोग से कार्य करेगी। इस अधिकारी का कार्य से सम्बद्ध किसी भी बात को किसी भी स्थिति में अन्तिम करने का कोई भी अधिकार नहीं प्रदान किया गया है। उसे भूमि प्रबन्धक समिति का परामर्श मानना ही पड़ेगा और यदि वह समिति से मतभेद रखता हो तो उसे उच्च अधिकारियों के पास सम्बद्ध विषय को भेजना पड़ेगा।

(ङ) चकबन्दी की कार्यवाहियां लेखबद्ध की जायंगी और उसके बाद ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे। बाग तथा वह भूमि जिस पर काश्तकारों को गांव समाज के अन्तर्गत असामी के अधिकार उपार्जित हो सकते हैं, योजना के उपबन्धों से बाहर रखा गया है।

(च) न केवल सहायक चकबन्दी अधिकारी किन्तु चकबन्दी अधिकारी तथा बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) को भी उस गांव से घनिष्ट सम्पर्क रखना पड़ेगा जिसमें ये क्रियाएं कार्यान्वित हो रही हों और वे तब तक किसी भी आपत्ति अथवा अपील पर कोई आज्ञा नहीं पारित करेंगे जब तक कि वे स्थानीय निरीक्षण न कर सकेंगे।

(छ) दीर्घकालीन मुक़दमेबाजी को रोकने के लिये अधिकारों तथा आगमों से सम्बद्ध सभी विवादों का निर्णय एक मध्यस्थ करेगा जो या तो दीवानी न्यायाधिकारी या प्रथम श्रेणी का सहायक कलेक्टर होगा, जिसे अपने पद का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव हो और जिसकी नियुक्ति सरकार करेगी। चकबन्दी के संचालक को मध्यस्थ द्वारा निर्णीत विषयों को छोड़ कर सभी विषयों में पुनरीक्षण के अधिकार प्राप्त होंगे।

(ज) चकबन्दी के संचालक तथा सहायक संचालक को केन्द्रीय प्रबन्धक तथा निर्देशक प्राधिकारी के रूप में तथा बन्दोबस्त और चकबन्दी अधिकारियों को जिले के स्तर पर तदर्थ नियुक्ति।

(झ) चकबन्दी कार्यवाहियों का दीवानी न्यायालयों के अधिक्षेत्र से बाहर होना।

(ञ) जनता को मुक़दमेबाजी से बचाने के लिए चकबन्दी क्रियाओं के अन्तिम चरण में तैयार किये गये अधिकार अभिलेखों में किये गये अन्तिम इन्दराजों की अन्तिमता तथा निश्चयात्मिकता की परिकल्पना।

चरण सिंह,
माल मंत्री।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० १३ एल० ए०—१९५३—८५०

विधान सभा प्रदेश